राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की हिंदी त्रैमासिक पत्रिका

वर्ष-2 अंक-5 अप्रैल–जून 1979

संपादक

राजमणि तिवारी

उप संपादक

हरिहर प्रसाद द्विवेदी

पत्र व्यवहार का पता :

संपादक, 'राजभाषा भारती',
लोकनायक भवन, खान मार्केट,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली।

फोन नं० 617657

(कार्यालयों के उपयोग के लिए)

विषय-सूची

		पृष्ठ संख्या
अपनी बात		
सरकारी कामकाज सरल और सुबोध हिन्दी में करें	—श्री एच० एम० पटेल	3
हिन्दी को प्रेमाग्रह से बढ़ाना होगा	—श्री आरिफ बेग	4
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में हिन्दी की प्रगति	—श्री महेश्वर प्रसाद	6
दीक्षांत भाषण	—श्री कृपा नारायण	11
ग्राम विकास विभाग में हिन्दी की प्रगति	—श्री बेनी कृष्ण शर्मा	14
अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम : एक परिचय	—श्री राजकृष्ण बंसल	17
देवनागरी में तार सेवा के 30 वर्ष	—श्री जगन्नाथ	19
वित्त मंत्रालय में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	—श्री क० भ० परसाई	21
प्रयोजन मूलक हिन्दी—प्रशिक्षण के संदर्भ में	—श्रीमती ना० ज० राव	22
भारतीय जीवन बीमा निगम में हिन्दी : तब और अब	—श्री हरिहर लाल श्रीवास्तव	25
'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए वर्ष 1979-80 का कार्यक्रम	—संकलित	27
विधि मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति	—संकलित	31
हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए शील्ड देने की व्यवस्था	—कार्यालय ज्ञापन	33
हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को प्रोत्साहन	—कार्यालय ज्ञापन	34
हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण	—संकलित	35
हिन्दी कहाँ और कितनी ?	—संकलित	38
केन्द्रीय सरकार के अधिसूचित कार्यालय	—संकलित	41
पाठकों की प्रतिक्रिया	—पत्रांश	43
समाचार	—संकलित	44

अपनी बात

अप्रैल, 1978 से जनवरी, 1979 तक के चार अंकों में केन्द्रीय हिन्दी समिति द्वारा अब तक लिए गए प्रमुख निर्णयों, राजभाषा नियम, 1976 की मुख्य-मुख्य बातों, संघ सरकार के कार्यालयों में इस्तेमाल की जाने वाली हिन्दी के स्वरूप, प्रमुख सांविधानिक व्यवस्थाओं और तत्संबंधी आदेशों, अनुदेशों के कार्यान्वयन आदि के संबंध में जो सामग्री प्रकाशित की गई है उसका सर्वत्र स्वागत किया गया है। उससे जहाँ केन्द्रीय सरकार की हिन्दी संबंधी नीति पर विस्तृत प्रकाश पड़ा है वहाँ लोगों को केन्द्रीय सरकार द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों का एक लेखा जोखा भी प्राप्त हो गया है। हम चाहते हुए भी अभी इस पत्रिका में गंभीर तथा चिंतन प्रधान लेख नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इस पत्रिका के निकालने का प्रमुख उद्देश्य राजभाषा संबंधी सांविधानिक व्यवस्थाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा उनसे संबंधित निर्णयों, आदेशों, अनुदेशों, नियमों, आदि की व्यापक जानकारी देना है ताकि हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में जो भ्रांतियाँ हैं उनका निराकरण हो सके और जो लोग हिन्दी में अपना सरकारी काम करना चाहते हैं उनका उत्साह बढ़ाया जा सके।

इस अंक में हम अन्य लेखों के साथ-साथ राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार वर्गीकृत 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए वर्ष 1979-80 का वार्षिक कार्यक्रम भी दे रहे हैं। 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के लिए वही कार्यक्रम लागू रहेंगे जो वर्ष 1978-79 के लिए बनाए गए थे। इसके साथ-साथ हिन्दी में अधिक काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों को शील्ड देने की योजना का विवरण भी सभी की जानकारी के लिए प्रकाशित कर रहे हैं। शेष स्तंभ पहले की तरह ही हैं।

—संपादक

सरकारी कामकाज सरल और सुबोध हिंदी में करें

—एच० एम० पटेल
गृहमंत्री, भारत सरकार

31 मार्च, 1979 को केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के अखिल भारतीय वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री माननीय श्री एच० एम० पटेल ने निम्नलिखित उद्‌गार व्यक्त किए :—

मुझे आज आपके बीच आने में बड़ी खुशी हुई । यह परिषद सरकारी कामकाज में, राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए, अच्छी कोशिश कर रही है । आज के इस उत्सव में भी, इसी सिलसिले में इनाम दिए जा रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि देश के सभी हिस्सों से आए हुए लोगों ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया है और इनाम पाया है ।

कई लोगों का ऐसा ख्याल है कि अंग्रेज़ी के मुकाबले में हिन्दी टाइपिंग या हिन्दी शार्टहैंड में उतनी गति नहीं आ पाती । लेकिन मुझे यह जानकर आनंद हुआ है कि जो मुकाबले आप लोगों ने करवाए हैं उनमें हिन्दी टाइपिंग की गति 87 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी शार्टहैंड की गति 220 शब्द प्रति मिनट तक आई है । मुझे कोई शक नहीं कि इस तरह के मुकाबलों से सरकारी कामकाज में भी बहुत सुधार होगा । मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि हिन्दी नोटिंग और ड्राफ्टिंग के मुकाबलों में कई गैर हिन्दी भाषी लोगों ने हिस्सा ही नहीं लिया हैं बल्कि बहुत अच्छे नम्बर पाए हैं । इससे जाहिर है कि आगे आने वाले समय में अहिन्दी भाषी लोग हिन्दी में औरों से पीछे नहीं रहेंगे।

हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए यह जरूरी है कि सादा हिन्दी इस्तेमाल की जाए जिससे कि सभी लोग उसे आसानी से समझ सकें । जो लोग किताबी या मुश्किल हिन्दी इस्तेमाल करते हैं वे इस भाषा को नुकसान पहुँचाते हैं । सरल भाषा का इस्तेमाल करना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है । बढ़ती हुई जिन्दा भाषाएँ दूसरी भाषाओं के आम शब्दों को हमेशा अपनाती हैं । हिन्दी भाषा भी दूसरी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर ले, तो इससे उसको बढ़ावा मिलेगा । मुझे यह जानकर खुशी है कि आप लोग दूसरी भाषाओं के शब्द जरूरत के मुताबिक हिन्दी में इस्तेमाल करने में हिचकते नहीं हैं । इससे हिन्दी का भी फायदा होगा और देश में सभी लोग आसानी से इसे अपना लेंगे । भारत सरकार ने साफ हिदायतें दी हैं कि दूसरी भाषाओं के रोज़मर्रा के शब्द हिन्दी में इस्तेमाल करने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए । मुझे खुशी है कि आपकी परिषद् इस बात को ध्यान में रखती है और आपका साहित्य इसका एक अच्छा नमूना है । जिन इलाकों में हिन्दी बोली जाती है, वहाँ सरकारी कामकाज में हिन्दी का इस्तेमाल काफी तेजी से और जल्दी अपने आप फैल जाएगा। लेकिन ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि उन इलाकों में जो अहिन्दी भाषी लोग रहते हैं उन्हें कोई कठिनाई न हो। जहाँ तक केन्द्रीय सरकार का ताल्लुक है, उसके कामकाज में हिन्दी का इस्तेमाल धीमे-धीमे अच्छे तरीके से बढ़ना चाहिए जिससे कि जो अहिन्दी भाषी कर्मचारी वहाँ काम करते हैं उन्हें अकारण कोई नुकसान न पहुँचे । सरकार की यह निश्चित नीति है कि ऐसे कदम उठाए जाएँ जिससे हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ता रहे । लेकिन इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दी में भी समय लगता है। हिन्दी जरूर तेजी से बढ़ेगी अगर सभी लोग एक-दूसरे की मुश्किलें समझें और उन्हें दूर करने की कोशिश करते रहें । इस मामले में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की एक खास जिम्मेदारी है । मुझे विश्वास है कि इस जिम्मेदारी को यह परिषद् न केवल कुशलता से निभाएगी, बल्कि हिन्दी के कामकाज को बढ़ावा देते समय औरों की मुश्किल को समझेगी और उनको दूर करने की कोशिश करती रहेगी ।

मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूँ जिन्हें आज इनाम मिले हैं और उम्मीद करता हूँ कि अगले वर्षों में और भी ज्यादा लोग इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे । यह जलसा आयोजित करने के लिए और मुझे इसमें शामिल होने का मौका देने के लिए मैं केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद को धन्यवाद देता हूँ।

□□□

हिंदी को प्रेमाग्रह से बढ़ाना होगा

—आरिफबेग
वाणिज्य राज्य मंत्री, भारत सरकार

आज हमारे देश में यह चर्चा व्यापक रूप से चल रही है कि देश में कार्य किस भाषा में चले । दरअसल हमारी आजादी का कोई मतलब न होगा, अगर हम अपनी भाषा न अपना सकें । लेकिन हिन्दी को दुराग्रह से नहीं, सत्याग्रह से नहीं, बल्कि **हिन्दी को प्रेमाग्रह से बढ़ाना होगा।** हरेक व्यक्ति को बताना होगा कि हिन्दी आपकी भाषा है, एकमात्र भाषा है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है और हर एक व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम प्रज्वलित कर सकती है । इसलिए प्रेम से इस भाषा को बढ़ाना होगा ।

पूरे भारत की भाषाएँ अपनी भाषाएँ हैं :

जब मैं पहली बार चुनकर भारत की संसद में आया तो मेरी अजीब दशा हुई । कभी-कभी मैं सोचता कि मैं इंगलिस्तान की संसद में हूँ या भारत की संसद में । प्रत्येक व्यक्ति अपने को अंग्रेजीदाँ कहकर, कहलवाकर, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है और अपनी भाषा जानने वाला व्यक्ति छोटेपन के अहसास में फँसा हुआ है । इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गीत की भांति ही राष्ट्र-भाषा को भी सम्मान दें, हम अपनी भाषा का महत्व समझें, हमें अपनी भाषा से प्यार हो, अपनी भाषा में बोलें, अपनी भाषा में प्रेम के गीत गा सकें, और जब भी कोई अपनी भाषा में बोले तो हमें उससे मुहब्बत होनी चाहिए । हमारे परिवार के जो लोग, जो बहन-भाई हिन्दी नहीं बोल पाते, वे समझते हैं कि संभवतः हम लोग उनसे आगे बढ़ जाना चाहते हैं । इसलिए हमें परिवार के उन बंधुओं को सीने से लगाना होगा, और उन्हें बताना होगा कि हम लोग उन्हें छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते। तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, बंगला सभी हमारी भाषाएं हैं। हमें ये भाषाएँ भी सीखनी होंगी । इनके प्रति आदर और प्रेम से अपने आप को पूरी तरह तैयार करके उनके क्षेत्रों में उनकी भाषा द्वारा हिन्दी को बढ़ावा देना होगा । उन्हें बताना होगा कि हम पूरे भारत की भाषाओं को अपनी भाषा समझते हैं । तभी हम इस मुहीम में, इस मकसद में सफल होंगे और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे प्राप्त कर सकेंगे ।

बहुत बड़ा षड्यंत्र :

हमारे विदेश मंत्री राष्ट्र संघ में हिन्दी में बोलते हैं लेकिन अपनी संसद में उन्हें अंग्रेज़ी में बोलना पड़ता है । आप देख रहे हैं कि राजनीतिक परिस्थिति को जटिल बनाने के प्रयास हो रहे हैं । प्रत्येक व्यक्ति इसे और जटिल बनाना चाहता है और अंग्रेज़ीदाँ लोग इस देश को, इसकी सरकार को, अपने हाथ में रखना चाहते हैं । एक ऐसा वर्ग बन गया है जिसके मन और मस्तिष्क के अंदर यह बात भरी हुई है कि हमें अंग्रज़ी को किसी भी कीमत पर कायम रखना है । यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि अगर अंग्रज़ी इस देश से जाती है तो छोटे-छोटे परिवारों को ऊपर उठने का अवसर मिलेगा ।

आज शिक्षा का वर्गीकरण हो गया है । एक ऐसी शिक्षा है जो आपके, हमारे बच्चों को साधारण स्कूलों में मिलती है, और एक वह शिक्षा है जो विशेष बच्चों को पब्लिक स्कूलों में दी जाती है । इन पब्लिक स्कूलों में किस वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं ? जिनके पास धन दौलत है, ऊँचे पद हैं । इन लोगों ने अपना एक वर्ग बना रखा है और पब्लिक स्कूलों के माध्यम से अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं । इन पब्लिक स्कूलों में जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है, वह भाषा अंग्रेज़ी है । बचपन से ही उन्हें उस माहौल में, उस भाषा में शिक्षा दी जाती है । उनके साथ प्रतियोगिता में बैठकर नत्थू, जुम्मन और रामू के

बेटे आगे कैसे निकल सकते हैं, जो बचपन से ही साधारण स्कूलों में पढ़े हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बात याद आ रही है। यह नेता जी ने उस समय कही थी जब वे सेना का नेतृत्व कर रहे थे। जब विदेशी पत्रकारों ने पूछा कि जब देश आजाद हो जाएगा तब आपके सामने क्या कार्यक्रम होगा। नेताजी ने कहा कि मेरा कार्यक्रम बिल्कुल सीधा और साफ है। जब मेरा देश आजाद होगा, हमारी सरकार बनेगी तो मेरा पहला कार्यक्रम यह होगा कि देश के समस्त बच्चों को उनके माता-पिता से ले लूंगा और उनसे कहूँगा कि मैं इनकी परवरिश, शिक्षा-दीक्षा सरकारी देख-रेख में करना चाहता हूँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक समान शिक्षा होगी। उनको अपनी मातृ-भाषा में एक नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा दी जाएगी ताकि अगले 20 वर्ष में नए भारत का उदय हो सके।

शहीदों के स्वप्न साकार करें :

इस राष्ट्र की आजादी के लिए हमने अनेक बलिदान दिए हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला आदि हँसते-हँसते फाँसी के फंदे पर चढ़े हैं, और गोलियाँ खाई हैं। आज हम जब राष्ट्र की चर्चा करते हैं, तब कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से हम राष्ट्र-भाषा की बात करें और मन में कुछ और हो। हमारी यह भावना होनी चाहिए कि यह राष्ट्र हमारा है, उसके सब लोग हमारे परिवार के ही व्यक्ति हैं। जिस माँ की कोख से हमने जन्म लिया है, उसका ऋण हम पर बाकी है। बिना इस संकल्प के बात नहीं बनेगी। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वे मातृ-भूमि की मिट्टी की शपथ लें कि ऐ माँ! हम कसम खाते हैं कि तेरे सम्मान के खातिर जिएंगे। हम कसम खाते हैं कि तेरे उन शहीदों के सपनों को साकार करेंगे। इस भावना के साथ यदि हम काफिले को आगे की ओर ले चलें तो कोई ताकत हमें मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि हम मिलकर सोचें कि राष्ट्र हमारा है, इसको ऊँचा उठाना हमारा धर्म है, मेरा निवेदन है कि हम ऐसा संकल्प लेकर आगे बढ़ें। आप लोग राष्ट्र की नाव चलाते हैं। आपके हाथ में इसकी पतवार है। यहाँ मैं अपने परिवार से ही बात कर रहा हूँ यानी आप लोगों से, जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं। हम इस प्रकार की राष्ट्रीय भावना सरकारी कर्मचारियों के दिल में उतार दें, ऐसे विचार समाज के दिल में ढाल दें कि एक बार फिर शहीदों की रूह गुदगुदा उठे। वे कभी स्वर्ग की खिड़की से हमारी मातृ-भूमि की ओर झाँकें तो वे देखें कि उनके सपने साकार हो गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा वातावरण दीखता नहीं है। हम अपने देश का ख्याल नहीं करते। हमें अपने-अपने दिल टटोलने हैं कि राष्ट्रीयता का नारा लगाकर कहीं हम अपना स्वार्थ साधने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। इस भाव से यदि हमने अपना आत्मनिरीक्षण किया और अपने देश को आगे बढ़ाने की, अपनी भाषा को आगे बढ़ाने की, यदि हमारी भावना सच्ची है तो हम बेशक आगे बढ़ रहे हैं, अपना देश फिर उसी स्थिति में पहुँचेगा जहाँ हम विश्व-गुरु के पद पर बैठे थे।

हिन्दी सरल हो :

हिन्दी राष्ट्र की भाषा है। अगर इसे आप बढ़ाना चाहते हैं तो हिन्दी को कठिन न बनाइए। हिन्दी शब्दों को आसान बनाइए। जटिल बनाएँगे तो लोग लिखते हुए हिचकेंगे। आवश्यकतानुसार तमाम भाषाओं के शब्द अपनाए जाएँ। मैं इस बात को कहते हुए नहीं शरमाता कि अंग्रेजी के कई ऐसे शब्द आते हैं जिनका अर्थ मुझे मालूम नहीं होता। लेकिन हिन्दी में ऐसा नहीं होना चाहिए। हिन्दी में हम मराठी, बंगला, तेलुगु आदि सभी भाषाओं के शब्द अपना लें जिससे अगले 20 वर्ष में हमारी हिन्दी राष्ट्र के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा लगे। हिन्दी जटिलता का नाम नहीं है। हिन्दी वह भाषा है जिसे सब लोग अपने सीने से लगाएँ।

रुड़की में इंजीनियरी सेमिनार हिन्दी में हुआ था इसके लिए इंजीनियर बधाई के पात्र हैं और इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स ने यह विशेषांक निकाला और हिन्दी में तकनीकी जरनल निकाल रहा है, इसके लिए भी उसकी सराहना होनी चाहिए। मैं आप सबको बधाई देता हूँ और आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने परिवार से बातचीत करने का मौका दिया।

[वाणिज्य राज्य मंत्री **श्री आरिफ बेग** द्वारा इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) के हिन्दी जरनल के "तकनीकी संगोष्ठी विशेषांक" के विमोचन के अवसर पर दिया गया भाषण]

○ ○ ○

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए पाठकों के लेख, सुझाव आदि आमंत्रित हैं।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में हिंदी की प्रगति

—महेश्वर प्रसाद

सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का गठन प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर पहली अगस्त, 1970 को किया गया था। यह विभाग मुख्यत: केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती, पदोन्नति, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण, उनकी सेवा-शर्तों, अनुशासन, सतर्कता, शिकायतों, कर्मचारियों के कल्याण एवं विदेशी नियुक्तियों और वरिष्ठ तथा माध्यमिक प्रबन्ध के संबंध में कार्य करता है। इनके अतिरिक्त यह विभाग प्रशासनिक सुधारों सम्बन्धी नीति विषयक मामलों पर केन्द्रीय सरकार को परामर्श भी देता है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इस विभाग के सम्बद्ध कार्यालय हैं। इस विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में सरकारी नीति के अनुपालन की दिशा में अनेक कार्य किए गए हैं। महत्व की दृष्टि से कुछ कामों में तो यह विभाग सबसे अग्रणी भी रहा है। यहाँ इस दिशा में सरकारी नीति के परिप्रेक्ष्य में किए गए कुछ कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है।

2. राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में इस विभाग का अधिसूचित किया जाना

इस विभाग में 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, इसलिए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में इस विभाग को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।

3. राजभाषा विषयक सांविधिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं का अनुपालन

यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप धारा (3) के अनुसार हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग संकल्पों (सामान्य आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक अथवा अन्य रिपोर्टों और प्रेस विज्ञप्तियों के लिए किया जाना आवश्यक है और संसद के किसी भी सदन के समक्ष रखे जाने वाले कागजात भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होने चाहिए। उक्त नियम की अपेक्षाओं की पूर्ति तथा इस दिशा में समय समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले अनुदेशों और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इस विभाग द्वारा आवश्यक प्रबन्ध किए गए हैं। इस विभाग द्वारा गठित विभिन्न जाँच-आयोगों की रिपोर्टों के अनुवाद के लिए एक पृथक सेल की भी स्थापना की गई है।

4. राजभाषा कार्यान्वयन समिति

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए इस विभाग में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। अब तक इसकी 15 बैठकें हो चुकी हैं। इस विभाग के प्रशासनिक सुधार स्कंध और सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में भी ऐसी ही समितियों का गठन किया जा चुका है। इस विभाग द्वारा इन कार्यालयों में गठित की गई इन समितियों की कार्रवाइयों की समीक्षा की जाती है और कार्यालयों को उपयुक्त सलाह दी जाती है।

5. हिन्दी में टिप्पण तथा मसौदा लेखन के लिए प्रोत्साहन योजना

हिन्दी में मसौदे तथा टिप्पणियाँ लिखने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने की एक योजना भारत सरकार में सर्वप्रथम कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तैयार की गई थी जिसे वर्ष 1972 में कार्यान्वित किया गया था। 15 जुलाई, 1975 से इस योजना के स्थान पर राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की गई प्रोत्साहन योजना को लागू कर दिया गया है जिसके अधीन प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पणियाँ तथा मसौदे लिखने पर क्रमश: 250.00 रुपए, 150.00 रुपए और 75.00 रुपए

के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं । इस प्रयोजन के लिए एक मूल्यांकन समिति का भी गठन किया गया है । इस वर्ष नकद पुरस्कार के अतिरिक्त दो अधिकारियों को हिन्दी में श्रेष्ठ टिप्पणियाँ तथा मसौदे लिखने पर प्रशंसा पत्र भी दिए गए । जो व्यक्ति पुरस्कारों के पात्र नहीं पाए गए, परन्तु हिन्दी टिप्पण और मसौदा लेखन में जिनका कार्य उल्लेखनीय था, उनकी समिति द्वारा प्रशंसा की गई ।

कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में भी इसी प्रकार की एक योजना दिनांक 30-10-1978 से लागू की गई है ।

6. सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण

विभाग के सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग सम्बन्धी सरकारी नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक क्रमबद्ध कार्यक्रम के अधीन उनका निरीक्षण किया जाता है । इस कार्यक्रम के अधीन अब तक निम्नलिखित कार्यालयों का निरीक्षण किया जा चुका है :—

(1) सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली ।

(2) लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ।

(3) कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।

निरीक्षण के बाद इन कार्यालयों को आवश्यक सुझाव भी दिए जाते हैं ।

लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में हिन्दी अधिकारी के कार्यों का भार अकादमी के संकाय के एक रीडर को सौंपा गया है । 1978 के प्रारम्भ से अकादमी में समूह-'घ' के कर्मचारियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का एक कार्यक्रम अकादमी के महिला मण्डल तथा हिन्दी कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में प्रारम्भ किया गया है और अब तक लगभग 45 कर्मचारियों को शिक्षित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाए जाने का विचार है ।

7. विभिन्न हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अधीन कर्मचारियों का प्रशिक्षण

इस विभाग के 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है । केवल 19 कर्मचारियों को अभी हिन्दी में प्रशिक्षित किया जाना शेष है । इनमें से 5 पहले ही हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । हिन्दी टंकण तथा हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित किए जाने वाले क्रमशः अवर श्रेणी लिपिकों और आशुलिपिकों की स्थिति 1-1-79 को निम्न प्रकार थी :—

	कुल	प्रशिक्षित	जिन्हें अभी प्रशिक्षण दिया जाना है ।
1. उन अवर श्रेणी लिपिकों की संख्या, जिनके लिए हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है	158	23	135 (इनमें से 8 इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं)
2. उन आशुलिपिकों की संख्या जिनके लिए हिन्दी-आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य है	134	20	114 (इनमें से 10 इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं)

8. हिन्दी में टिप्पण तथा मसौदा लेखन के लिए कार्यशालाएं

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण तथा मसौदा लेखन का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए इस विभाग द्वारा समय-समय पर हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है । इस योजना के अधीन अब तक इस विभाग के दोनों स्कन्धों में 7 कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है ।

9. हिन्दी में पत्राचार

यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसरण में सभी अधिसूचनाएँ, नियम, संकल्प, प्रेस रिलीज, विज्ञप्तियाँ तथा प्रशासनिक रिपोर्टें और संसद के सदनों के समक्ष रखे जाने वाले सरकारी कागजात, द्विभाषिक रूप में जारी किए जा रहे हैं । हिन्दी भाषी राज्यों तथा गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों तथा दिल्ली, चण्डीगढ़ और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्रों को सभी पत्र केवल हिन्दी में ही भेजा जाना सुनिश्चित करने के लिए प्राप्ति तथा निर्गम अनुभाग में एक चेक पाइंट भी लगाया गया है । इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सभी सामान्य आदेश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किए जाएँ । ऐसे अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि इस बात की पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए कि अहिन्दी भाषी राज्यों को पत्र कवल हिन्दी में जारी न किए जाएँ ।

10. मानक अंग्रेजी मसौदों और फार्मों का हिन्दी अनुवाद

कर्मचारियों को अपने दिन प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी मानक अंग्रेजी मसौदों का हिन्दी में अनुवाद कर दिया गया है और उन्हें सम्बन्धित अनुभागों को दे दिया गया है । इसी प्रकार सभी फार्मों का भी हिन्दी अनुवाद हो चुका है और वे द्विभाषिक रूप में प्राप्त हैं । इस सम्बन्ध में भी निदेश जारी किए गए हैं कि हिन्दी जानने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में प्राप्त पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद न दिया जाए बल्कि वे स्वयं हिन्दी में आए पत्रों को पढ़कर उन पर आगे कार्रवाई करें ।

11. संसदीय राजभाषा समिति का दौरा

यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार गठित संसदीय राजभाषा समिति की एक उप-समिति ने हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए 27 दिसम्बर, 1976 को इस विभाग का दौरा किया था । इसके अलावा यह संसदीय समिति इस विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान का दिनांक 28 दिसम्बर, 1976 और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के कार्यालय का दिनांक 5 तथा 6 जून, 1978 को दौरा कर चुकी है ।

12. इस विभाग के कुछ अनुभागों में पूर्णतया हिन्दी का प्रयोग

इस विभाग के प्रशासन प्रभाग के 8 अनुभागों में सभी सरकारी कामकाज हिन्दी में करने की पहले ही शुरुआत की जा चुकी है । इस वर्ष इनके अतिरिक्त 3 और अनुभागों अर्थात् सार्वजनिक शिकायत, कल्याण तथा गृह कल्याण केन्द्र को भी इस कार्य के लिए चुन लिया गया है जहाँ सरकारी कामकाज के लिए पूर्णतया हिन्दी का सुविधाजनक रूप से प्रयोग किया जा सकता है । प्रशासनिक सुधार स्कंध के पुस्तकालय तथा प्रशासन अनुभागों में हिन्दी के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं । इसके विभिन्न परामर्श प्रभागों द्वारा तैयार की गई उन अध्ययन रिपोर्टों के हिन्दी में अनुवाद करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं जो नागरिकों की सुविधा से सम्बन्धित विषयों तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में है, जहाँ आम आदमी का प्रशासन से वास्ता पड़ता है ।

13. केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएँ

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग जिन अखिल भारतीय सेवाओं के सम्बन्ध में नियम बनाता है उनकी परीक्षाओं में हिन्दी के विकल्प की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(1) सिविल सेवा परीक्षा

सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए भर्ती नीति तथा चयन पद्धति के संबंध में कोठारी समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है । अब भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, तथा केन्द्रीय सेवाओं के लिए एक सिविल सेवा परीक्षा होगी जिसके दो क्रमिक चरण होंगे —

(1) प्रारम्भिक परीक्षा (2) प्रधान परीक्षा के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएँगे । प्रधान परीक्षा के लिए अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों के उत्तर संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा अथवा अंग्रेजी में

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में संसदीय राजभाषा उप समिति के अध्यक्ष श्री नवाब सिंह चौहान तथा अन्य सदस्य भाषा प्रयोगशाला में नई तकनीक का निरीक्षण करते हुए

देने की छूट होगी । इसके अलावा प्रधान परीक्षा भी संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों को किसी एक भारतीय भाषा का प्रश्न-पत्र भी देना होगा । इस प्रकार भारतीय भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी को भी यथोचित स्थान प्राप्त होगा ।

(2) सहायक ग्रेड परीक्षा

वर्ष 1964 से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सहायक ग्रेड परीक्षा में निबन्ध और सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों के उत्तर देने के लिए अंग्रेजी के अलावा हिन्दी के प्रयोग की अनुमति दी गई है । अब केवल सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र को छोड़कर शेष सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी में देने की छूट है । निबन्ध के पत्र में शीर्षक भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में दिया जाता है ।

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड सम्मिलित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा

वर्ष 1974 से उम्मीदवार, (क) भारत सरकार के सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा (ख) भारत के संविधान तथा सरकारी तंत्र का सामान्य ज्ञान, (ग) सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में दिए जा सकते हैं ।

आशुलिपिक ग्रेड-II परीक्षा

उम्मीदवारों को (i) सामान्य ज्ञान और (ii) निबन्ध के प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में भी देने की छूट है । जो उम्मीदवार इन पत्रों के उत्तर हिन्दी में देते हैं उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी हिन्दी में ही देनी होती है ।

(ख) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएँ

(1) उच्च श्रेणी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा

उम्मीदवारों को सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में देने की छूट है । किन्तु शर्त यह है कि कम से कम एक प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी में देना आवश्यक होगा ।

(2) लिपिक ग्रेड परीक्षा

उम्मीदवारों को (i) निबन्ध (ii) सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ) के उत्तर हिन्दी में देने की छूट है ।

(3) विभागीय आशुलिपिक परीक्षा ग्रेड II तथा ग्रेड III आशुलिपिकों के लिए (तथा ग्रेड III आशुलिपिक परीक्षा)

उम्मीदवारों को (i) निबन्ध (ii) सामान्य ज्ञान के उत्तर हिन्दी में देने की छूट है ।

कर्मचारी चयन आयोग में अंग्रेजी के प्रश्न-पत्रों को छोड़कर अन्य सभी प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापे जाते हैं ।

14. सरकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण

अखिल भारतीय सेवाओं में आने वाले अधिकारियों को इस विभाग के अन्तर्गत लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण दिया जाता है जहाँ अन्य विषयों के साथ-साथ भारतीय भाषाएँ भी सिखाई जाती हैं, जिनमें हिन्दी का एक विशिष्ट स्थान है । यहाँ भाषा शिक्षण के लिए एक भाषा प्रयोगशाला की स्थापना भी की गई है । सामान्य हिन्दी शिक्षण के अतिरिक्त प्रशासनिक हिन्दी की दिशा में भी अकादमी अग्रसर है । केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली में एकरूपता लाने के लिए एक परियोजना भी तैयार की गई है । सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान ने निर्णय लिया है कि संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न प्रारंभिक तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में, जिसमें अवर सचिवों का अनुकूलन पाठ्यक्रम भी शामिल है, राजभाषा नीति सम्बन्धी अनुदेशों को भी शामिल किया जाए ।

15. विभिन्न सम्मेलनों तथा पुस्तक प्रदर्शनियों में विभाग द्वारा भाग लिया जाना

यह विभाग राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलनों तथा समय समय पर आयोजित पुस्तक प्रदर्शनियों आदि में भी भाग लेता रहा है जिनमें विभाग द्वारा पुस्तकों, मैनुअलों, नियमों तथा पत्रिकाओं और गजट अधिसूचनाओं आदि का प्रदर्शन भी किया जाता हैं । पिछले वर्ष 1, 2 तथा 3 मार्च, 1978 को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में विभाग के सचिव तथा अन्य उच्चाधिकारियों ने भाग लिया था और विभाग के प्रकाशनों की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था ।

16. अनुवाद की सुविधाओं के लिए अनौपचारिक समूह की बैठकें

इस विभाग में 16 दिसम्बर, 1972 को अनुवाद की सुविधा के लिए एक अनौपचारिक ग्रुप का गठन किया गया था जिसमें इस विभाग द्वारा बनाए गए सांविधिक तथा असांविधिक नियमों, विनियमों, मैनुअलों तथा अन्य कार्यविधि साहित्य के संबंध में सामग्री के अनुवाद तथा मुद्रण की प्रगति का लेखा-जोखा तैयार किया जाता है । अनुवाद के लिए सामग्री यथास्थिति इस विभाग के हिन्दी अनुभाग, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के 'राजभाषा खण्ड' तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को भेजी जाती

है । अब तक इस विभाग से सम्बन्धित अनूदित तथा प्रकाशित सामग्री की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(i) सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षण सम्बन्धी विवरणिका।

(ii) तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी सम्बन्धी पुस्तिका ।

(iii) छुट्टी यात्रा रियायत सम्बन्धी विवरणिका ।

(iv) सरकारी कालोनियों में समाज सदन के प्रयोग के सम्बन्ध में माडल नियम ।

(v) गृह कल्याण बोर्ड के नियम/विनियम ।

(vi) कार्यालय पद्धति ।

(vii) भारत सरकार के अवर सचिवों के रैंक तथा उससे ऊपर के सचिवालयीन पदों तथा कतिपय महत्वपूर्ण गैर सचिवालयीन पदों पर अधिकारियों के चयन तथा नियुक्ति की कार्यविधि आदि ।

अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं से सम्बन्धित अब तक अनूदित/प्रकाशित सांविधिक नियमों की संख्या लगभग 50 है । इनकी सूची संलग्न है:—

1. अखिल भारतीय सेवा (प्रतिकरात्मक भत्ता) नियम, 1954
2. अखिल भारतीय सेवा (सेवा की शर्तें अवशिष्टीय विषय) नियम, 1960
3. अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968
4. अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958
5. अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969
6. अखिल भारतीय सेवा (जम्मू-कश्मीर पर विस्तार) नियम, 1959
7. अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955
8. अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1954
9. अखिल भारतीय सेवा (विदेश वेतन, यात्रा व्यय और छुट्टी संबलम) नियम, 1957
10. अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि में विप्रेषण और उसमें से संदाय) नियम, 1958
11. अखिल भारतीय सेवा (विशेष निःशक्तता छुट्टी) विनियम, 1957
12. अखिल भारतीय सेवा (अध्ययनार्थ छुट्टी) विनियम, 1960
13. अखिल भारतीय सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 1954
14. केन्द्रीय सिविल सेवा (चिकित्सीय परीक्षा) नियम, 1957
15. केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिरक्षण) नियम, 1953
16. केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965
17. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962
18. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1965
19. भारतीय प्रशासनिक सेवा (कॉडर) नियम, 1954
20. भारतीय प्रशासनिक सेवा (कॉडर) (सदस्य संख्या का नियतन) विनियम, 1955
21. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954
22. भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की अन्तिम परीक्षा) विनियम, 1955
23. भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954
24. भारतीय प्रशासनिक सेवा (ज्येष्ठता विनियमन) नियम, 1954
25. भारतीय सिविल सेवा कुटुम्ब पेंशन निधि नियम
26. भारतीय सिविल सेवा कुटुम्ब पेंशन निधि (अनन्तरित अनुभाग) नियम, 1939
27. भारतीय सिविल सेवा (गैर-यूरोपीय सदस्य) भविष्य निधि नियम
28. भारतीय सिविल सेवा (भविष्य निधि) नियम, 1943
29. भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 1961
30. भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1968
31. भारतीय वन सेवा (कॉडर) नियम, 1966
32. भारतीय वन सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) विनियम, 1955
33. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968
34. भारतीय वन सेवा (परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की अन्तिम परीक्षा) विनियम, 1968
35. भारतीय वन सेवा (ज्येष्ठता विनियम) नियम, 1968
36. भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर), नियम, 1954
37. भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) विनियम, 1955

[शेष पृष्ठ 24 पर]

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के 21 वें सत्र के समापन के अवसर पर

दीक्षांत भाषण

—कृपा नारायण
सचिव, राजभाषा विभाग

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सारे देश में आपका ब्यूरो ही राजभाषा का एकमात्र संस्थान है जहां आप अनुवाद का प्रशिक्षण दे रहे है । प्रसन्नता इसलिए हुई कि सारे देश के प्रशिक्षणार्थी यहां आते है । पर सम्भवत: यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि सारे देश के प्रशिक्षणार्थी एक ही स्थान पर आएँ । हमको देश के दूसरे कोनों में भी ऐसे केन्द्र खोलने पड़ेंगे । मैं आशा करता हूं कि इसका सूत्रपात शीघ्र ही होगा । हमें अपनी योजना आगे बढाने की आवश्यकता है ताकि देश के कोने कोने में ऐसे केन्द्र खुल जाएँ ।

आप जानते हैं कि राजभाषा के कार्य के लिए अनुवादकों की आवश्यकता इसलिए है कि यह द्विभाषी दौर है । केन्द्रीय स्तर पर दो भाषाएं चल रही हैं—अंग्रेजी और हिन्दी । यद्यपि हिंदी की सांविधानिक स्थिति तो है किन्तु उसको पूर्णता प्राप्त करने में समय लगेगा । जब तक अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की द्विभाषी स्थिति रहेगी तब तक अनुवाद की आवश्यकता भी रहेगी और उसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं जिसमें आप लोगों का भारी योगदान है ।

प्रश्न यह आता है कि अनुवादक का कार्य, अनुवादक की दृष्टि, अनुवादक की शैली क्या होनी चाहिए । आपको हिन्दी अंग्रेजी का परस्पर अनुवाद करते समय, विशेषकर अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करते समय, जो आप मुख्यत: करते हैं, हमारे संविधान के अनुच्छेद 351 पर दृष्टि रखनी चाहिए जिसमें राजभाषा का स्वरूप बताया गया है । देखिए जो हिन्दी राजभाषा है वह कोई क्षेत्रीय हिंदी नहीं है बल्कि राजभाषा हिंदी तो वह हिंदी है जो कि देश की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के बीच एक संपर्क भाषा का काम करती है । जरा थोड़ा ध्यान से देखिए कि यह हिंदी क्षेत्रीय न होकर हमारे पूरे देश के लिए एक संपर्क भाषा है । यह स्पष्ट है कि हमारे यहां देश के एक बड़े भू-भाग में एक भाषा बोली जाती है—हिंदी किन्तु राजभाषा हिंदी की जो परिभाषा संविधान में है, उससे स्पष्ट है कि उस राजभाषा हिंदी के विकास में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्दों और मुहावरों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए । हां, बिना इसके स्वयं के रूप को बिगाड़े हुए । संविधान में जो प्रावधान है उसका सदा ध्यान रखा जाना चाहिए । एक बात जरूर कहूंगा कि जहां आवश्यकता हो, या शब्दों की कमी हो, वहां शब्द यथा सम्भव संस्कृत से लिए जाएं और फिर भी जहां कुछ कमी रहे वहां दूसरी भाषाओं के शब्दों से कमी पूरी की जाए । साथ ही जो प्रचलित है उसको भी स्थान दिया जाना चाहिए । अगर इस 351 वें अनुच्छेद की परिभाषा को पूरा ध्यान से देखें तो आप को स्पष्ट नजर आएगा कि जो हिंदी राजभाषा है उसका रूप अखिल भारतीय है । मैं प्राय: कहा करता हूं तथा बार बार अपने सहयोगियों से भी मैंने कहा है कि इसका नाम "भारती" होता तो स्थिति शायद अधिक स्पष्ट होती । संपर्क भाषा "भारती" होती तो अधिक स्पष्टता इसलिए होती क्योंकि देश भारत है । खैर, यद्यपि वह नाम से हिंदी है किन्तु उसमें और भी भाषाओं के शब्दों का समावेश होना चाहिए और जहां कमी हो वहां संस्कृत से और क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द लेकर कमी पूरी की जानी चाहिए । जिसको हिन्दी कहते हैं और जिसका संविधान में स्थान है, उसका जो स्वरूप 351 वें अनुच्छेद में दिया गया है उस पर लगातार नजर रहनी चाहिए ।

मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि अनुवादक की दृष्टि से आप लोगों को यह देखना बहुत जरूरी है कि आप अनुवाद अपने लिए नहीं करते । आपको अनुवाद करके संतोष प्राप्त हो जाए, यह पर्याप्त नहीं है । अनुवादक कि हैसियत से आपको संतोष तभी होना चाहिए जब कि जो मझनेस वाला है, जो सुनने वाला है, जो पढ़ने वाला है, उसको संतोष हो जाए । अगर उसको संतोष प्राप्त नहीं हुआ तो आप चाहे अपनी कला, विद्वता, साहित्य तथा पांडित्य की दृष्टि से कितना ही संतोष प्राप्त कर लें वह काफी नहीं है । और यही मैं चाहूंगा कि आप अनुवादक के रूप में ठिठक-ठिठक कर बार-बार यह सोचें कि क्या हम जो अनुवाद कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, वह उनको पसंद आएगा, उनकी समझ में आएगा ।

अभी मैं परसों एक समारोह में गया था। बहुत ही सुन्दर समारोह था। उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया था—पूरे समारोह में। पर क्योंकि हिंदी राजभाषा है और उसके लिए भी स्थान होना चाहिए इसलिए धन्यवाद भाषण हिंदी में था। अब धन्यवाद भाषण कौन देगा, संभवत: इस बात का ख्याल ही उस अनुवादक ने नहीं किया जिसने भाषण का अनुवाद किया था। आप जानते हैं आपको हर काम करने में देश का, पात्र का, काल का ख्याल रखना पड़ता है। स्थान कहां है, कौन कहेगा, कौन सुनेगा, कौन पढ़ेगा, यह भूलना नहीं चाहिए। अगर आपने अनुवाद करके किसी वक्ता के मुंह से ऐसी भाषा को बुलवा दिया जिसके बारे में आप जानते है कि वह वैसी भाषा का प्रयोग कभी करता ही नहीं तो आपने मुश्किल पैदा कर दी। यदि वह ऐसे शब्दों को पढ़ रहा है जिनको वह खुद समझता ही नहीं, तो उसका श्रोता पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा यही होता है कि वह भाषा वैसी हो जैसी वह रोज बोलता है। यदि उस भाषा में अधिकतर ऐसे शब्द रखे जाएं जिन्हें वह खुद समझता है तो बात सचमुच उसके दिल से निकल रही लगती है। पर यदि वह ऐसे शब्द बोल रहा है जिनको खुद नहीं समझता तो वहाँ बैठे हुए लोगों के दिमाग पर यही असर पड़ता है कि पता नहीं कौन सी भाषा हम पर थोपी जा रही है। मैं अधिक नहीं कहना चाहता। पर इतना तो स्पष्ट था कि जिन्होंने भाषण पढ़ा उन्हें पढ़ने में कठिनाई हुई। क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे शब्द थे जिन्हें वे स्वयं अपनी बातचीत में इस्तेमाल नहीं करते। किंतु चूंकि वे लिखकर लाए थे और उसे पढ़ना था इसलिए पढ़ा गया।

अक्सर लोग कहते हैं कि अनुवाद के काम में क्या है? कठिन काम तो मूल लेखन है। परन्तु मैं मानता हूं कि अनुवाद का काम तो और भी कठिन है—अनुवादक को मनोवैज्ञानिक भी होना पड़ता है, भाषा का ज्ञान भी रखना पड़ता है, शब्दों से उसकी जानकारी होनी ही चाहिए, वाक्य विन्यास की भी जानकारी होनी चाहिए।

हर शब्द का पर्यायवाची देखकर अनुवाद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप समझते है कि उसका खुला अनुवाद ठीक होगा, तो वही करें। वही ठीक होता है। वह जिससे कहा जाता है, उस तक सीधा पहुंचता है, ठीक पहुंचता है और जल्दी पहुंचता है। मैं जानता हूं कि कहना तो आसान है परन्तु करना मुश्किल है।

ध्यान रहें कि आप जो अनुवाद करते हैं उन की भी कई श्रेणियां होती हैं। विधि के विषयों का जो अनुवाद होता है उसमें तो आप के हाथ जकड़े हुए हैं। विधि के जो शब्द हैं उनमें खुलापन बिल्कुल नहीं चल सकता है। उसमें जो शब्द समिति ने निर्धारित कर दिये हैं उन्हीं का प्रयोग आपको करना होता है। वहां यदि आप खुली छूट लेंगे तो दिक्कत पड़ेगी क्योंकि विधि में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका एक सुनिश्चित मतलब होता है। अर्थात विधि की दृष्टि से अर्थ सुनिश्चित होता है। उसी का प्रयोग सभी अदालतों में किया जाता है, वकील इत्यादि भी उसी का प्रयोग करते हैं। अत: उस क्षेत्र में तो आप के हाथ बंधे हुए हैं। वहाँ आप को निर्धारित शब्द ही प्रयोग में लाने होंगे। फिर भी आप एक काम कर सकते हैं प्रयोग तो उसी शब्द का करें पर वाक्य विन्यास को सरल कर दें। मैंने कुछ नियम, अधिनियम इत्यादि देखे हैं जिनके हिंदी अनुवाद के अर्थ को समझना काफी मुश्किल है। थोड़ी बहुत हिंदी मैं भी समझता हूं परन्तु मुझे तो उन अनुवादों को समझने में बहुत मुश्किल पड़ी। बड़ा तोड़ा-मरोड़ा गया था वाक्य विन्यास को। अंग्रेजी में जिस तरह का वाक्य-विन्यास है उसी का अनुसरण यदि हिंदी के वाक्य विन्यास में किया जाए तो समझने में वास्तव में बहुत बड़ी दिक्कत पड़ती है। उदाहरण मैं नहीं दूंगा क्योंकि उन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं।

आपको वाक्य का विन्यास ऐसा करना चाहिए कि शब्द का प्रयोग करने से उसमें एक नई आभा आ जाए सहजता की, सरलता की और सुगमता की। और जहां आपको विधि का अनुवाद नहीं करना है, तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, वहां तो आपको ऐसा खुला अनुवाद करना ही चाहिए जो सब के लिए ग्राह्य हो, सबको समझ में आए और जिसे पढ़ने में पढ़ने वाले को दिक्कत न आए। मैं समझता हूं अपने काम को आप इसी दृष्टि से कर रहे होंगे। मैं आपसे कह रहा था कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि जो अनुवाद हो उसकी सरल शैली हो, उसके अन्दर एक से शब्द हों, उसकी शोभा न्यारी हो।

आपको यह भूलना नहीं चाहिए कि इस समय द्विभाषी स्थिति है जहां कि हम हिंदी को संपर्क भाषा बनाना चाह ते है। मैं अक्सर एक शब्द का प्रयोग करता हूं, कहता हूं कि हमको तो टकसाली भाषा चाहिए क्योंकि टकसाली चीज़ चलती है। हमारी हिंदी टकसाली भाषा होनी चाहिए।

मैं यह बात फिर कहूंगा कि जो शब्द हिंदी में नहीं हैं वे संविधान के अनुसार संस्कृत से लेने होंगे। इसका भी एक कारण है। संस्कृत का महत्व इसलिए है कि संस्कृत से लिए हुए शब्द संभवत : देश के एक बड़े भाग के लोग समझ जाते हैं। उन शब्दों के विषय में एक विशेष बात यह है कि जो लोग यहां उत्तर प्रदेश आदि के रहने वाले हैं वे कभी कभी उनको कम समझते है लेकिन दक्षिण में ज्यादा लोग समझते है। प्राय : उत्तर के लोग कहा करते हैं कि कि अब हिंदी कठिन लिखी जाती है जो समझ में नहीं आती है। वह इसलिए समझ में नहीं आती है कि ऐसा कहने वाले लोग उर्दू या हिंदुस्तानी समझते हैं, संस्कृत के शब्द नहीं समझते। किन्तु संविधान के अनुसार अगर शब्दों की कमी

पड़ती है तो वे संस्कृत से लेने होंगे अथवा अगर संस्कृत से न ले सकें तो और किसी भाषा से ले सकते हैं। किन्तु जो शब्द आप लें, अनुवाद में जिनका प्रयोग करें उनका प्रयोग करते समय संविधान के 351 वें अनुच्छेद का ध्यान अवश्य रखें।

जैसा कि मालूम पड़ता है अनुवादकों की ज़रूरत काफी बढ़ेगी। ऐसा लगता है, और अब भी कम से कम स्थिति यह है कि हमें हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में काफी दिक्कत हो रही है। इन दिक्कतों के होने से अनुवादकों की आवश्यकता की संभावना बढ़ती जा रही है। पता नहीं अनुवादकों का भविष्य कितना उज्ज्वल है। पर द्विभाषी दौर अभी और काफी चलेगा और यह बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता है कि जिन क्षेत्रों में हिंदी जम नहीं रही है वहां हिंदी का समावेश करने से पहले काफी समय द्विभाषी स्थिति से काम चलाना होगा। अभी अनुवादक द्विभाषी अनुवाद में लगाए जाएँगे बाद में और राज्यों की भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से उन भाषाओं में अनुवाद के काम में भी लगेंगे। उससे आपका कार्यक्षेत्र भी बढ़ेगा, संख्या भी बढ़ेगी और आपका भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। परन्तु मैं यह समझता हूं कि यदि आप यह सब ध्यान में रखकर अपने कार्य को विस्तार दें, उसको सरलता की नई दृष्टि दें, तो आप जान पाएंगे कि यह एक बड़ा भारी काम है जो आप कर रहे हैं।

यह कहना मेरे ख्याल से किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है कि हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए द्विभाषी स्थिति से होकर निकलना ज़रूरी है। इसके लिए अनुवादकों पर बड़ा भारी उत्तरदायित्व होगा। आप उसको जितना निभाएंगे उतना ही आप उपकार करेंगे। आप लोगों की भाषा मार्गदर्शक होगी—द्विभाषी स्थिति के लिए भी और आगे आने वाली हिंदी के लिए भी। अतएव मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, दुहराकर कहूंगा, कि जिसके लिए कार्य कर रहे हैं उस पर दृष्टि रखें, उसी के संतोष पर दृष्टि रखें। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा है कार्य का विस्तार होगा, प्रशिक्षण-केन्द्र और जगह भी खुलेंगे। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो खुद इसी विचारधारा का है

मेरी राय है कि दृष्टि को विहंगम रखा जाए, व्यापक रखा जाए। अनुवाद के कार्य को कुछ और स्तरों पर भी किया जाए। अंग्रेजी आदि में लिखे हुए उत्कृष्ट साहित्य का अनुवाद किया जा सकता है और मूल साहित्य लेखन किया जा सकता है। उससे सरकारी साहित्य में एक वायुमंडल, एक वातावरण तैयार होगा। यह हमेशा ध्यान दीजिए कि आप जो अपना दैनिक कार्य करते हैं उसको करते हुए और किसी प्रकार का सृजनात्मक काम भी करते रह सकते हैं। उससे आपको बल मिलेगा, आपकी दृष्टि और आगे बढ़ेगी।

मुझे विश्वास है कि एक ऐसा प्रयत्न किया जाएगा जिससे केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के अनुवाद का कार्य क्षेत्र बढ़े और यदि किसी क्षेत्रीय भाषा से हिंदी या अंग्रेजी में और हिन्दी या अंग्रेजी से किसी क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने की आवश्यकता हो तो यह न कहना पड़े कि अनुवाद ब्यूरो तो केवल हिंदी अंग्रेजी के लिए है। आप जानते हैं कि राज्यों की भाषाओं में पत्र केन्द्रीय सरकार में आ सकते हैं और उनके लिए उत्तर भी इन भाषाओं में तैयार किए जा सकते हैं। मान लीजिए तमिल, तेलुगु या कन्नड़ में कोई पत्र आता है तो उसका हिन्दी या अंग्रेजी में अनुवाद करने की व्यवस्था तो इस ब्यूरो में होनी ही चाहिए। अंग्रेजी में या हिंदी में तैयार किए गए उत्तर का भी उन भाषाओं में अनुवाद करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यद्यपि संविधान में स्थिति स्पष्ट है किन्तु फिर भी हमको क्षेत्रीय भाषाओं, अर्थात राज्यों की भाषाओं और हिन्दी के बीच भाई-चारा रखने की दृष्टि से कुछ ऐसा प्रयत्न करना ही होगा। कुछ ऐसी व्यवस्था कर ही लेनी चाहिए कि हमें यह न कहना पड़े कि हम तो विवश हैं। हम इस काम में कुछ सहयोग नहीं कर सकते क्योंकि हम तो अन्य भाषाओं को जानते ही नहीं। हम सिर्फ दो ही भाषाओं का काम करते हैं।

यदि यहां क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी-अंग्रेजी में और हिंदी-अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था हो जाएगी तो अनुवादकों का क्षेत्र भी बढ़ेगा और मैं तो वह दिन भी दूर नहीं देखता जब इस तरह के अनुवादक होंगे जो दो या तीन भाषाओं में अनुवाद कर सकेंगे—हिंदी, अंग्रेजी और एक अन्य भाषा में। अगर आप ब्यूरो में यह काम करने लग जाएँगे तो आपका क्षेत्र भी और बढ़ जाएगा। यह स्थिति आने पर स्वत: अनुवादक की अपनी दृष्टि बढ़ सकेगी। इससे उसका भी लाभ होगा, हिन्दी का भी लाभ होगा, क्षेत्रीय भाषाओं का भी लाभ होगा और अनुवादक की कार्य दृष्टि भी काफी विकसित होगी।

मुझे बताया गया है कि पहले यहां के सभी प्रशिक्षणार्थी अपने कार्यालयों में जाकर अनुवाद का भी काम नहीं करते थे पर अब स्थिति काफी ठीक हो गई है। सच बात यह है अगर हम अपना कार्यक्षेत्र बढ़ा लेंगे तो आप लोगों का इस्तेमाल मंत्रालयों में अधिक हो सकेगा। अनुवाद के विस्तार के लिए द्विभाषी स्थिति आवश्यक है। हाल ही में कुछ निर्णय लिए गए हैं और आप उन निर्णयों को जानते हैं कि कहां-कहां द्विभाषी काम होना चाहिए। इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां दोनों भाषाओं में काम आवश्यक है वहां दोनों में वह ज़रूर ही किया जाए। इस दिशा में ऊंचे स्तर पर प्रयत्न किए जा रहे हैं पर आप इसे अपना कर्तव्य मानिए और किसी काम में चाहे कोई रोड़ा अटक जाए पर जहां द्विभाषी काम होना है वहां वह अवश्य होना चाहिए। यदि कहीं नियमों के विरुद्ध

[शेष पृष्ठ 20 पर]

ग्राम विकास विभाग में हिंदी की प्रगति

—बेनी कृष्ण शर्मा

संयुक्त सचिव, ग्राम विकास विभाग

राजभाषा के व्यापक प्रयोग के सम्बन्ध में जो नीति अपनाई गई है और निर्णय लिए गए हैं, उनका ग्राम विकास विभाग में पूरा-पूरा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 से सम्बन्धित सांविधिक उपबन्धों और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 और राजभाषा विभाग द्वारा तनाए जाने वाले हिन्दी से सम्बन्धित वार्षिक कार्यक्रमों के अनुसार राजभाषा सम्बन्धी कार्य किया जाता है। ग्राम विकास विभाग का हिन्दी अनुभाग हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित अनुदेशों के कार्यान्वयन के अलावा हिन्दी अनुवाद का भी कार्य करता है। चूंकि ग्राम विकास विभाग का सम्बन्ध मुख्यतः गांवों से है और यह विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित कार्य करता है, इस कारण राजभाषा सम्बन्धी आवश्यकताओं और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में ग्राम विकास विभाग का अपना विशेष महत्व है।

अक्तूबर, 1974 में सामुदायिक विकास और सहकारिता विभागों के बँटवारे के बाद ग्राम विकास विभाग में हिन्दी के प्रयोग में काफी प्रगति हुई है और इस कार्य के लिए इस विभाग का हिन्दी अनुभाग बड़ी तत्परता से अपना कार्य कर रहा है तथा इस विभाग के अन्य अनुभागों से भी हिन्दी सम्बन्धी अनुदेशों का अनुपालन करा रहा है। इस समय हिन्दी अनुभाग में एक हिन्दी अधिकारी, एक वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा दो कनिष्ठ अनुवादक हैं। इसके अलावा, दो आशुलिपिक तथा एक हिन्दी टाइपिस्ट हैं। राजभाषा (हिन्दी) के बारे में इस विभाग में जो प्रगति हुई है, उसका उल्लेख संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है :—

1. राजभाषा नियम, 1976 के अनुपालन की स्थिति

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 को इस विभाग के सभी अधिकारियों / अनुभागों तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों आदि में परिचालित किया गया है और सभी कार्यालयों में उक्त नियम का पूरी-तरह अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस विभाग में इन नियमों के अनुसार कहीं से भी प्राप्त हिन्दी पत्रों का हिन्दी में ही उत्तर दिया जाता है और "क" व "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के कार्यालयों को अधिकांश मूलपत्र हिन्दी में ही भेजने के प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा, सामान्य आदेश, संकल्प, अधिसूचना, विज्ञप्ति तथा प्रशासनिक रिपोर्टें आदि अनिवार्य रूप से हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी की जाती हैं। 30 जून, 1978 को समाप्त हुए वर्ष में ऐसे 230 कागजात हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए थे। इस विभाग के 27 अनुभागों में से 23 अनुभाग हिन्दी में छोटे-छोटे टिप्पण तथा मसौदे तैयार करते हैं और हिन्दी जानने वाले 48 अधिकारियों में से 18 अधिकारी भी अपने छोटे-छोटे नोटों तथा आदेशों में हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, इस विभाग में अधिकारियों, कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण तथा आलेखन तैयार करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए एक नकद पुरस्कार योजना परिचालित की गई है और इस योजना में भाग लेने वाले व्यक्तियों से नाम माँगे जा रहे हैं।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन ग्राम विकास विभाग तथा इसके दो सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों—विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद तथा नागपुर को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

2. गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 1978-79 के वार्षिक कार्यक्रम पर की गई कार्रवाई

संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के सम्बन्ध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वर्ष 1978-79 के कार्यक्रम का इस विभाग में पूरा-पूरा पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा, सभी सम्बद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों को भी समय-समय पर ये आदेश दिए जाते हैं कि वे इस कार्यक्रम के अनुपालन हेतु भरसक प्रयत्न करें। इस विभाग की 6-12-1978 को हुई विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भी इस कार्यक्रम के बारे में विचार किया गया था जिसमें सभी शाखा अधिकारियों से यह आग्रह किया था कि वे अपने अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों तथा अनुभागों द्वारा इस कार्यक्रम का पूरी-तरह अनुपालन कराएँ। इसके अलावा, एक आदेश भी जारी किया गया जिसमें सभी अनुभागों / अधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि सरकारी पत्राचार में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)(iii) के अधीन आने वाले सभी कागजातों को हिन्दी तथा अंग्रेजी में जारी किया जाए।

3. 'क' 'ख' और 'ग' राज्यों से पत्राचार की स्थिति

उक्त क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों आदि से हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। जहां तक मूल रूप से हिन्दी में लिखे जाने वाले पत्रों का सम्बन्ध है, इस बारे में भी यथासम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। सभी अनुभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे हिन्दी-भाषी राज्यों के साथ हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार करें। 30जून, 1978 को समाप्त हुए वर्ष में 2701 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए थे जिनमें से 1117 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया था। इसके अलावा, "क" "ख" व "ग" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों आदि को इस विभाग की ओर से 1144 मूल पत्र हिन्दी में जारी किए गए थे। मूल पत्रों को अधिकाधिक हिन्दी में जारी करने के लिए इस विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी विचार किया जाता है।

4. हिन्दी शिक्षण योजना

इस विभाग में तृतीय श्रेणी और ऊपर के 217 कर्मचारी हैं। इनमें से 128 कर्मचारी हिन्दी की आवश्यक योग्यता रखते हैं और 51 को हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 6 अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में प्रशिक्षण पा रहे हैं। इनके अलावा, दो आई० ए० एस० अधिकारियों को भी हिन्दी पढ़ने के लिए नामित किया गया है। ग्रेड 2 व 3 के कुल 40 आशुलिपिकों में से 3 को छोड़कर सभी हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान रखते हैं। इनमें से 9 को हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिया जा चुका है और 2 इस समय प्रशिक्षण पा रहे हैं। कुल 39 अवर श्रेणी लिपिकों में से केवल 1 को छोड़कर सभी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं। इनमें से 7 को हिन्दी टाइपराइटिंग में प्रशिक्षित किया जा चुका है और 4 इस समय प्रशिक्षण पा रहे हैं। जिन आशुलिपिकों को हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन प्रशिक्षित किया गया था और वे अपनी हिन्दी आशुलिपि की गति भूल चुके थे उनके लिए एक हफ्ते का रिफ्रेशर कोर्स भी चलाया गया है।

5. हिन्दी अनुवाद कार्य

संसद के दोनों सदनों में सामग्री अनिवार्य रूप से द्विभाषिक रूप मे रखनी होती है, जैसे संसद प्रश्नों के उत्तर, आश्वासन, मंत्री महोदय द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य, वार्षिक रिपोर्ट, निष्पादन बजट आदि। इसके अलावा, अधिसूचनाओं, संकल्पों, सामान्य आदेशों करारों, संविदाओं आदि को भी हिन्दी मे तैयार किया जाता है। इसके साथ-साथ हिन्दी अनुभाग बैठकों, सम्मेलनों तथा अन्य गोष्ठियों से सम्बन्धित कार्यसूचियों, टिप्पणों तथा कार्यवाहियों और अधिकारियों / अनुभागों से प्राप्त अन्य सामग्री का हिन्दी अनुवाद करता है। इस वर्ष इस विभाग की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं, जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि, से सम्बन्धित छोटी-छोटी पत्रिकाओं का भी अनुवाद किया गया।

6. रिपोर्टों का हिन्दी में अनुवाद

इस विभाग की वार्षिक रिपोर्ट तथा निष्पादन बजट हर वर्ष द्विभाषिक रूप में तैयार किए जाते हैं। इनके अलावा, इस विभाग में जो भी अंतरिम रिपोर्ट निकाली जाती हैं उन्हें भी हिन्दी में अनूदित करके प्रकाशित कराया जाता है। इस वर्ष इस विभाग के अधीन अशोक मेहता पंचायती राज संस्था समिति की रिपोर्ट का भी हिन्दी अनुवाद तैयार किया गया।

7. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें तथा उनमें लिए गए निर्णय

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने हेतु इस विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। इस समिति की बैठक नियमित रूप से की जा रही है। उक्त समिति की पिछली बैठक 6-12-1978 को हुई थी। इस बैठक में गत बैठक की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में चर्चा की गई और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए जिन पर कार्रवाई की जा रही है। उक्त बैठक में जो निर्णय लिए गए थे वे निम्न प्रकार हैं :—

1. हिन्दी आशुलिपिकों की सेवाओं का पूरा-पूरा उपयोग किया जाए।
2. हिन्दी टाइपिस्टों / आशुलिपिकों को हिन्दी टाइपराइटर सुलभ कराए जाएं।
3. अधिकाधिक मानक मसौदे हिन्दी में तैयार कराए जाएं।
4. विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय तथा उसके अधीनस्थ / उपकार्यालयों में हिन्दी के पदों में वृद्धि करने पर विचार।
5. हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाएं।
6. "क" व "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को अधिकांश मूलपत्र हिन्दी में ही भेजे जाएं।
7. टिप्पण तथा आलेखन में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।
8. कुरुक्षेत्र पत्रिका के बारे में विचार।
9. विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद में हिन्दी के कार्य की प्रगति की समीक्षा।
10. संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के सम्बन्ध में वर्ष 1978-79 के कार्यक्रम पर विचार-विमर्श।

जहाँ तक सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों का सम्बन्ध है, विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद तथा नागपुर और राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान, हैदराबाद में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन कर लिया गया

है और उनकी बैठकें भी नियमित रूप से हो रही हैं। इन समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त भी हमें समय-समय पर प्राप्त होते हैं और उनकी इस विभाग में समीक्षा की जाती है।

8. कुरुक्षेत्र पत्रिका का हिन्दी में प्रकाशन

इस विभाग से कुरुक्षेत्र नामक एक पत्रिका निकाली जाती है। यह पत्रिका हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करायी जाती है। इस पत्रिका का अंग्रेजी अंक पाक्षिक छपता है और हिन्दी अंक मासिक आधार पर प्रकाशित होता है। इस पत्रिका में ग्राम विकास से सम्बन्धित योजनाओं तथा कार्यकलापों के बारे में महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किए जाते हैं। हिन्दी पत्रिका को पाक्षिक बनाने तथा इसका परिचालन बढ़ाए जाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

9. विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण और स्थिति में सुधार के लिए की गई कार्रवाई

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए तथा राजभाषा अधिनियम 1968 और नियम 1976 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति ने इस विभाग के कुछ अधीनस्थ उपकार्यालयों/संस्थानों आदि का दौरा किया है। उपसमिति निरीक्षण के समय जो निदेश देती है, उन पर शीघ्र अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। समिति ने इस विभाग के जिन कार्यालयों में हिन्दी पदों के सृजन तथा हिन्दी टाइपराइटरों आदि की व्यवस्था करने के लिए निदेश दिए थे, उनसे सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। समिति की सिफारिशों पर इस विभाग के अधीन राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान, हैदराबाद में हिन्दी के कुछ पद सृजित कर दिए गए हैं। इसके अलावा, इस विभाग के अधिकारियों को भी उक्त कार्यालयों में भेजा जाता है जो उन कार्यालयों में जाकर हिन्दी की प्रगति की जाँच करते हैं और हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उक्त कार्यालयों को सुझाव देते हैं। जिन कार्यालयों में संसदीय राजभाषा समिति की उप समिति तथा इस विभाग के अधिकारियों ने दौरा किया है, उनमें हिन्दी की स्थिति पहले से काफी बेहतर हो गई है और राजभाषा सम्बन्धी सभी अनुदेशों का पूरा-पूरा पालन सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

10. नामपट्ट, रबड़ की मोहरें, पत्र-शीर्ष आदि द्विभाषिक रूप में उपलब्ध कराना

विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इस विभाग में अधिकांश रबड़ की मोहरों को द्विभाषिक रूप में तैयार करा लिया गया है। इसके अलावा, 86 नामपटों तथा साइन बोर्डों को द्विभाषिक रूप में तैयार कराया गया है और इस विभाग के सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में नामपटट, रबड़ की मोहरें आदि द्विभाषिक रूप में तैयार कराई जा चुकी हैं।

11. फार्मों तथा मानक मसौदों में हिन्दी का प्रयोग

इस विभाग में लगभग 40 मानक मसौदों तथा 59 फार्मों का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराया गया है और उनका अनुभागों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।

12. लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखा जाना

हिन्दी भाषी राज्यों को जारी किए जाने वाले हिन्दी पत्रों के लिफाफों पर हिन्दी में ही पते लिखे जाते हैं तथा इन क्षेत्रों को अंग्रेजी में जारी किए जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर भी हिन्दी में ही पते लिखने के लिए आवती तथा निर्गम अनुभाग में प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ अनुभागों ने हिन्दी में तार भेजने की भी शुरुआत की है।

13. हिन्दी टाइपराइटरों की व्यवस्था

इस विभाग में देवनागरी लिपि के 10 टाइपराइटर हैं। इनमें से एक टाइपराइटर को छोड़कर सभी अन्तर्राष्ट्रीय अंक लगे हुए हैं। जिस टाइपराइटर में अन्तर्राष्ट्रीय अंक नहीं लगे हुए हैं, उसमें ऐसे अंक लगाए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस विभाग के अधीन विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद में 2 तथा नागपुर कार्यालय में एक और राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान में 2 हिन्दी के टाइपराइटर हैं। इसके अलावा, इस विभाग के अधीन विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय के कुछ उपकार्यालयों में भी हिन्दी के टाइपराइटर खरीदने के बारे में विचार किया जा रहा है।

विभागीय शब्दावली

इस विभाग में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने में मदद करने के लिए एक विभागीय शब्दावली तैयार की गई है। जिसमें इस विभाग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न शब्दों तथा वाक्यांशों के अंग्रेजी/हिन्दी रूप दिए गए हैं। इसके अलावा नियुक्ति संबंधी आदेशों, छुट्टी-स्वीकृति पत्र, आवास सम्बन्धी आदेशों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि के नमूने भी दिए गए हैं।

उपर्युक्त बातों के अलावा ग्राम विकास विभाग सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने में निरन्तर लगा हुआ है और विभाग का, अपनी सभी योजनाओं को हिन्दी में भी प्रकाशित करने का इरादा है ताकि सभी योजनाओं की जानकारी आम जनता को भी हो सके।

□ □ □

अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक परिचय

राज कृष्ण बंसल
निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि में प्रयुक्त मैनुअलों, फार्मों और अन्य असांविधिक सामग्री आदि का अनुवाद तो किया ही जाता है साथ ही भारत सरकार और हिंदी भाषी राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यालयों और उपक्रमों आदि में काम कर रहे अनुवादकों को अनुवाद का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ।

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों, सरकारी अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन कंपनियों, उपक्रमों निगमों एवं उद्यमों और हिंदी भाषी राज्यों के भाषा विभागों में अनुवादक के रूप में अथवा राजभाषा से संबंधित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को अनुवाद का प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय सरकार के अधीन ब्यूरो ही एकमात्र संस्था है । सरकार की वर्तमान राजभाषा नीति के अनुसार सरकारी कामकाज में लम्बे समय तक एक द्विभाषिक स्थिति बने रहने की संभावना है, जिससे अनुवाद प्रशिक्षण का महत्व और अधिक बढ़ गया है ।

ब्यूरो में अनुवाद प्रशिक्षण का त्रैमासिक पाठ्यक्रम आरंभ हुए 6 वर्ष हो चुके हैं । अब तक कुल 495 सरकारी कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । यद्यपि आरम्भ के कुछ बैच छोटे थे, किन्तु अब हर सत्र में प्रायः 30 छात्र होते हैं । अब तक 20 बैच प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं / इक्कीसवां बैच इस समय प्रशिक्षण पा रहा है ।

आरंभ में तो प्रशिक्षणार्थी कम होते थे पर 1974 में प्रशिक्षणार्थियों के स्थान पर एवजी की व्यवस्था संभव हो गई और प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया । इससे प्रशिक्षणार्थियों के नाम भारी संख्या में प्राप्त होने लगे हैं । ब्यूरो को इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त हो गया है । सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब इस प्रशिक्षण का और विस्तार करना और इसे एक नियमित शिक्षा संस्थान का रूप दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, ताकि एक साथ और अधिक छात्रों को प्रशिक्षण देना भी संभव हो सके और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में अनुवादकों के पदों की माँग को प्रशिक्षित अनुवादकों से पूरा किया जा सके । इन सभी मुद्दों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । इस संबंध में राजभाषा विभाग को बहुत पहले एक प्रस्ताव भेजा जा चुका है और वह सिद्धांतः स्वीकार भी हो चुका है । आवश्यक वित्तीय स्वीकृति के अभाव में इस प्रस्ताव को अभी क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सका है ।

हिन्दी अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है । कई प्रशिक्षणार्थियों ने बताया है कि जिन अधिकारियों के साथ वे काम करते हैं उनमें से कुछ का जटिल और अति संस्कृतनिष्ठ हिंदी के प्रति पूर्वाग्रह होता है, जो ब्यूरो तथा भारत सरकार की नीति के अनुरूप नहीं है । इसका समाधान यही है कि ऐसे अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाए । समन्वय और भाषा की एकरूपता को ध्यान में रखते हुए यह काम अत्यन्त महत्वपूर्ण है । यह पक्ष भी ब्यूरो के उल्लिखित प्रस्ताव में सम्मिलित है ।

कुछ प्रशिक्षणार्थियों से यह भी ज्ञात हुआ है कि प्रशिक्षण के बाद अपने कार्यालयों में लौटने पर उन्हें अनुवाद के काम पर नहीं लगाया जाता । इस संबंध में ब्यूरो ने पहला कदम यह उठाया है कि छात्रों को वापिस भेजते समय उनके विभागों को लिख दिया जाता है कि उनका प्रशिक्षण तभी उपयोगी हो सकेगा जब उन्हें अनुवाद के काम पर ही लगाया जाए और अभ्यास का अवसर मिलता रहे । इसके बावजूद उन्हें अनुवाद के काम पर लगाया जाता है या नहीं, इस संबंध में निश्चित जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्यूरो ने एक सर्वेक्षण आरम्भ किया है जिसमें सभी प्रशिक्षित छात्रों के कार्यालयों से पूछा जाता है कि उनके यहां से आए हुए प्रशिक्षणार्थी अब किस काम पर लगे हुए हैं । जिन प्रशिक्षणार्थियों की तत्काल पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण हो गया हो उन्हें छोड़कर बाकी सभी को हिन्दी के काम पर ही लगाए जाने की सूचना मिली है । यह संतोष की बात है । विभिन्न कार्यालयों ने यह भी बताया है कि उनके कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण बहुत उपयोगी रहा है, इससे न केवल उनकी दक्षता बढ़ी है, बल्कि अब वे सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग भी करते हैं ।

यह निर्णय भी किया गया है कि प्रशिक्षण केवल उन्हीं कर्मचरियों को दिया जाए जो अनुवाद के काम पर लगे हैं या प्रशिक्षण के बाद मुख्यतः अनुवाद के काम पर ही लगाए जाएंगे । प्रशिक्षणार्थी भेजने वाले कार्यालयों से इस प्रकार का आश्वासन ले लिया जाता है ।

बाहर से आने वाले छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था हो जाने पर देश के दूर-दूर के भागों से प्रशिक्षणार्थी आ रहे हैं । नागपुर, बड़ौदा, दुर्गापुर, कलकत्ता, कटक, बंबई हैदराबाद, सिकन्दराबाद, कोचीन, तिरुअनन्तपुरम, बंगलूर, मद्रास, अंडमान निकोबार, रांची, पटना आदि दूर-दूर स्थानों से काफी संख्या में प्रशिणार्थी आते रहे हैं । अनेक सत्रों में 30 में से 8—9 तक छात्र दक्षिण से या पूर्वी भारत के राज्यों से आए हैं । इस सत्र में भी विभिन्न अहिंदी भाषी राज्यों से प्रशिक्षणार्थी आए हैं और उन्होंने प्रशिक्षण में विशेष रुचि दिखाई है । भावात्मक एकता को बढ़ावा देने का इससे अच्छा साधन और क्या हो सकता है ? छात्रावास में विभिन्न भाषा भाषी छात्रों में बड़ा सद्भाव और स्नेह रहता है ।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा अगस्त, 1973 में बनाई गई थी उसके विषय में समय-समय पर विभिन्न मंत्रालयों और अधिकारी विद्वानों तथा स्वयं छात्रों से सम्मतियां मांगी जाती रही हैं और उनके सुझावों पर कुछ सुधार भी किए गए हैं । जैसे आरंभ के समय हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद का अभ्यास बहुत कम कराया जाता था जो बाद में बढ़ाया गया । इसी प्रकार कुछ समय, सार अनुवाद के अभ्यास को भी दिया जाता है । छात्रों को विज्ञान, विधि तथा मानविकी विषयों के विविध शब्दों और तकनीकी शब्दावली का आधारिक ज्ञान करा दिया जाता है । हिन्दी का वर्णमालाक्रम भी बताया जाता है तथा प्रेस कार्य व प्रूफ शोधन का भी ज्ञान कराया जाता है । इनमें से कुछ विषयों पर प्रकाश डालने के लिए हर सत्र में इन विषयों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है । उनके भाषण उपयोगी सिद्ध हुए हैं । सरकार की राज-भाषा नीति का सम्यक ज्ञान कराने के लिए हर सत्र में इस विषय पर भी एक विशेषज्ञ भाषण सम्मिलित किया जाता है और प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यक नियमादि की साइक्लोस्टाइल प्रतियाँ दे दी जाती हैं ।

प्रशिक्षणार्थियों को हिन्दी से संबंधित बाहर की कुछ संस्थाओं में ले जाकर वहां के काम से परिचित कराने का प्रयत्न भी किया जाता है । इनमें केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा प्रमुख हैं ।

विविधि विभागों में प्रशिक्षण के बारे में अब तक जो सम्मतियाँ प्राप्त हुई हैं उनसे लगता है कि प्रशिक्षण का यह पाठ्यक्रम उपयोगी रहा है और प्रशिक्षणार्थियों को सही दिशा में सोचने और भाषा के सही स्वरूप को समझने में सहायता मिली है । अनेक विभागों के भर्ती नियमों में यह प्रशिक्षण योग्यता के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है । इससे

[शेष पृष्ठ 26 पर]

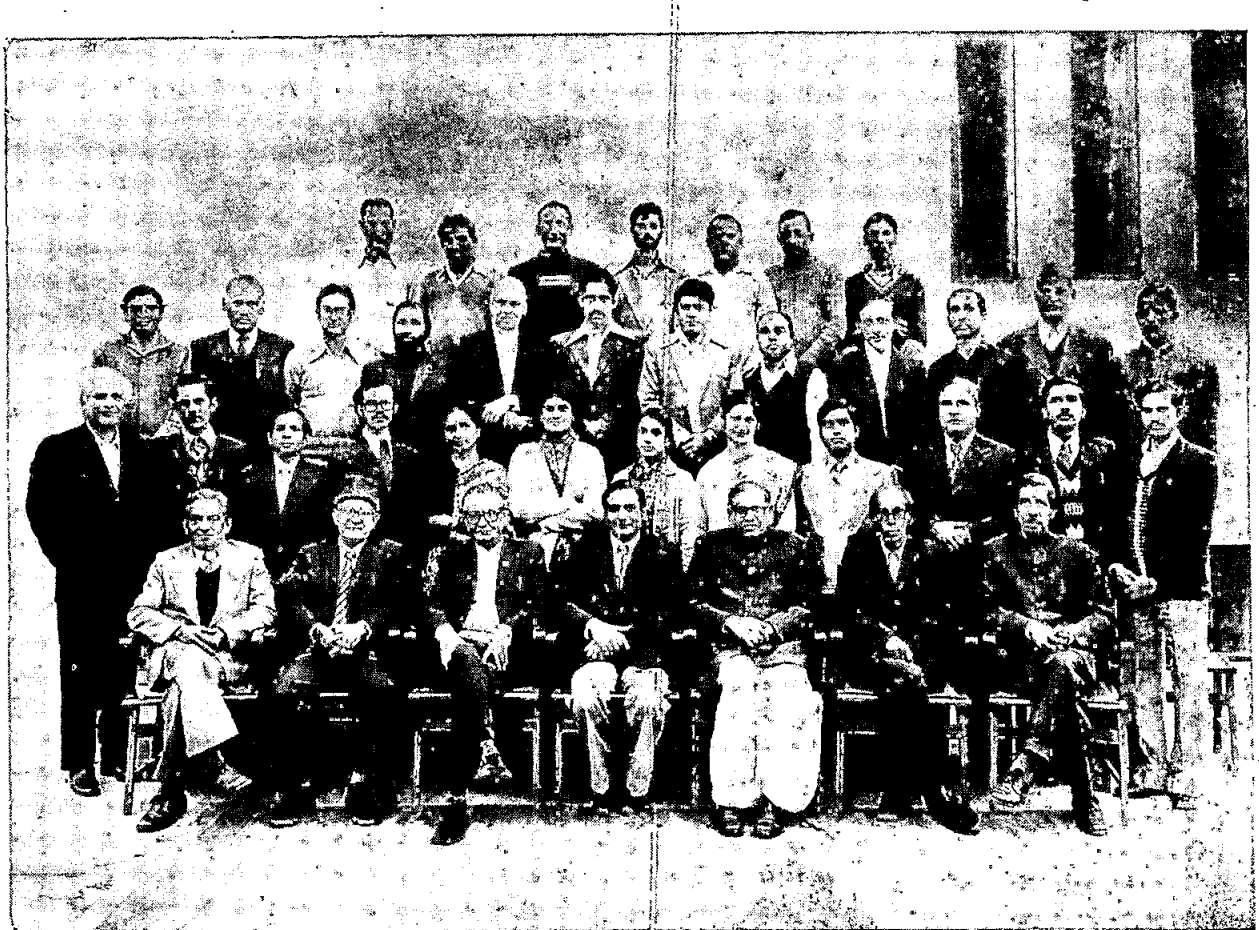

अनुवाद प्रशिक्षण के 20 वें सत्र के समापन के अवसर पर लिया गया चित्र

देवनागरी में तार सेवा के 30 वर्ष

—जगन्नाथ, अवर सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

इस वर्ष की पहली जून को देवनागरी तार सेवा को चालू हुए 30 वर्ष पूरे हो जाएंगे । संयोगवश केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को और अपने सभी कार्यालय प्रमुखों को ऐसे आदेश दिए हैं कि 1979 के पूरे वर्ष को "राजभाषाओं का वर्ष" के रूप में मनाया जाए जिसमें केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों का गम्भीरता पूर्वक कार्यान्वयन कराया जाए तथा राज्य सरकारों के काम-काज में उनकी भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। अत: यह जरूरी हो जाता है कि देवनागरी तार सेवा की 30 वीं वर्षगांठ पर हम इसकी अब तक की उपलब्धियों का लेखा जोखा करें तथा आगे के लिए इस सेवा को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उपाय सोचें । यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देवनागरी लिपि के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं में तार दिए जा सकते हैं और वे रोमन लिपि में दिए गए तारों की अपेक्षा सस्ते पड़ते हैं ।

2. सरकारी और व्यापारिक कार्यालयों में कार्य को शीघ्रता से सम्पादित कराने के लिए तारों की विशेष भूमिका होती है । भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद डाक तार महानिदेशालय ने इस बात पर विचार करके कि किस प्रकार भारतीय भाषाओं में भी तार दिए जाएं, अपनी सूझ बूझ का परिचय, निम्नलिखित मार्गों पर 1 जून, 1949 को देवनागरी तार सेवा का प्रारम्भ करके दिया था :—

(1)	आगरा-	इलाहाबाद,
(2)	इलाहाबाद-	वाराणसी,
(3)	कानपुर-	लखनऊ,
(4)	पटना-	गया, और
(5)	नागपुर-	जबलपुर

देवनागरी तार घरों का विस्तार

3. विगत 30 वर्षों में देवनागरी तार घरों का निरन्तर विस्तार हो रहा है जहाँ 1949-50 वर्ष में इनकी संख्या मात्र 12 थी, वहां पहले दशक की समाप्ति पर 1959-60 वर्ष में 1952 तारघरों में यह सेवा चालू हो चुकी थी 1971-72 वर्ष में दूसरा दशक पूरा होते-होते इन तारघरों की संख्या 4,440 तक पहुँच गई। इसके पश्चात के वर्षों के उपलब्ध आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1974-75	6646
1975-76	7896
1976-77	8533
1977-78	9878

देवनागरी टेलीप्रिंटरों को प्रोत्साहन

4. डाक तार विभाग का निरंतर यह प्रयास है कि यथाशीघ्र इस सेवा का विस्तार सभी तारघरों में हो जाए । इसके लिए पर्याप्त संख्या में टेलीग्राफिस्टों की आवश्यकता होगी । स्टाफ को देवनागरी मोर्स को सीखने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु उन्हें इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर दो वेतन वृद्धियां दी जाती हैं । इसी प्रकार देवनागरी टेलीप्रिंटर पाठयक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वालों को दो अग्रिम वेतन वृद्धियां भी दी जाती हैं । टेलीग्राफिस्टों को निश्चित सीमा से अधिक देवनागरी तारों के निपटान पर रोमन लिपि के तारों के बराबर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है ।

देवनागरी तारों की लोकप्रियता

5. जैसा कि इस लेख के आगे स्पष्ट किया जाएगा देवनागरी में तार अंग्रेजी तारों की अपेक्षा सस्ते पड़ते है देश में भारतीय भाषाओं के प्रति प्रेम भी बढ़ता जा रहा है । इन दो कारणों से बुक किए गए देवनागरी तारों की संख्या में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है ।

वर्ष	संख्या
1949–50	2,570
1959–60	1,22,247
1971–72	9,51,798
1974–75	13,23,900
1976–77	15,27,800

देवनागरी में तार सस्ते क्यों ?

6. डाक तार महानिदेशालय ने कुछ इस प्रकार के नियम बनाए हैं कि देवनागरी में तार अंग्रेजी तारों की अपेक्षा निश्चित रूप से सस्ते पड़ते हैं । पाठकों की जानकारी के लिए कुछ नियम के महत्वपूर्ण अंश नीचे दिए जा रहे हैं :—

मात्राओं को अलग अक्षर नहीं गिना जाता जैसे क्—ई (की) एक ही अक्षर माना जाता है । किन्तु अंग्रेजी में (टू) दो अक्षर गिने जाएंगे ।

संयुक्त क्रियावाचक वाक्यांश :—अधिक से अधिक, दस अक्षरों वाला संयुक्त क्रियावाचक वाक्यांश भी यदि शब्दों **को मिला कर एक शब्द के रूप में लिखें** तो तार चार्ज के लिए एक ही शब्द गिना जाता है । जैसे आ रहा हूं, भेज दिया गया, पहुंचा दिया जाएगा, इनको एक शब्द माना जाएगा । अंग्रेजी तार के हिसाब से has been sent आदि तीन शब्द माने जाएंगे ।

विभक्तियों के चिन्ह अथवा संबंध सूचक शब्द :—जैसे ने, को, लिए, का, को, के, में ये, पर, से, आदि को पहले शब्द के साथ मिलाकर लिखने से जैसे :—मोहनको, दिल्लीमें, राम केलिए, स्टेशनपर, विभक्ति मिला हुआ शब्द एक ही गिना जाएगा । अंग्रेजी में to Mohan आदि दो शब्द गिने जाएंगे ।

संधि युक्त शब्द एक गिने जाते हैं :—जैसे अति आवश्यक 'अत्यावश्यक' एक शब्द माना जाता है । अंग्रेजी में very important आदि दो शब्द गिने जाएंगे ।

समास युक्त शब्द भी एक ही गिने जाते हैं :—यदि बीच में स्थान न छोड़ा जाए और 10 से अधिक अक्षर न हों तो प्रधानमंत्री, महामंत्री, प्रधानसम्पादक, सहायकसम्पादक आदि एक ही अक्षर गिने जाएंगे । अंग्रेजी में Prime Minister आदि दो शब्द गिने जाएंगे ।

30वीं वर्षगांठ कैसे मनाएँ

इस सेवा की 30 वीं वर्षगाँठ के अवसर पर सरकार और जनता दोनों ही का यह कर्तव्य है कि इस सेवाके विषय में व्यापक प्रचार किया जाए, क्योंकि रोमन लिपि में भेजे गए तारों की अपेक्षा देवनागरी में दिए गए तारों का अनुपात बहुत कम है इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट निकाला जाना चाहिए जैसा कि डाक तार महानिदेशालय अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर करता है । पोस्टरों एवं अन्य प्रचार साहित्य द्वारा इस सेवा की विशेषताओं का भी प्रचार किया जाना चाहिए । उद्योगपतियों, व्यापारियों और छात्रों को गोष्ठियां बुलाकर उन्हें उपयुक्त जानकारी दी जानी चाहिए । संक्षेप में, एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाना जरूरी है जिससे कि राजभाषाओं के वर्ष के अन्त तक देवनागरी तार सेवा का सभी पूरा प्रयोग कर सकें और उनका अनुपात अपेक्षित सीमा तक बढ़ जाए ।

देवनागरी तार सेवा की विशेषता एक और भी है इसके द्वारा अंग्रेजी को छोड़कर देश की सभी भाषाओं के देवनागरी लिपि में लिखे तार भेजे जा सकते हैं । इस प्रकार हिन्दीतर भाषी राज्यों के स्वाभिमानी देशवासी भी देवनागरी तार सेवा का पूरा लाभ उठा सकते हैं । आइए, हम इस सेवा को इसकी तीसवीं वर्ष गाँठ पर समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने का संकल्प लें ।

□ □ □

[पृष्ठ 13 का शेष]

काम हो रहा है तो उसे रोकना चाहिए । मुझे विश्वास है कि आप जहां कहीं भी जाएंगे वहां आप लोग अनुवादक के कार्य के अलावा इन "चैक प्वाइंट्स", इन जांच बिन्दुओं, पर दृष्टि रखेंगे जिनके अनुसार काम होना चाहिए । यह जानकारी आपको सदा रहनी चाहिए कि जांच बिन्दुओं के अनुसार काम हो रहा है या नहीं । क्योंकि इन्हीं से आपके काम को बल मिलेगा, आपके काम को लोग जानेंगे । इन्हीं से दृष्टि मिलेगी, इन्हीं से यह पता चलेगा कि आपके कार्य की कहाँ तक उपयोगिता है और आप अपने मंत्रालय में कितना महत्वपूर्ण काम करते हैं ।

मैं आप लोगों का आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का और मिलने का मौका दिया । ब्यूरो के अनुवाद के विषय में जैसा कि मैं कह रहा था हम लोगों को इस तरह का ढांचा सोचना चाहिए और संभवतः हम लोग सोच भी रहे हैं जिससे ब्यूरो का विस्तार हो, आप लोगों की संख्या बढ़े और आप लोगों के अगले कदम क्या हों, यह स्थिति साफ रहे । अनुवादक इन बातों का भी ध्यान रखें कि उनके अनुवाद से लोगों को संतोष हो और आप यह मानकर चलें कि औरों का संतोष ही आपका संतोष होना चाहिए ।

मैं इन शब्दों के साथ ब्यूरो में आने के लिए, आमंत्रित होने के लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूँ कि जिस काम का प्रशिक्षण आप लोगों ने प्राप्त किया है उसको आप अच्छी तरह से *निभा सकेंगे* ।

वित्त मंत्रालय में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

—क० भ० परसाई
विशेषाधिकारी (हिंदी)
राजस्व विभाग

वित्त मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की एक पिछली बैठक में की गयी सिफारिशों के अनुसरण में मंत्रालय के राजस्व विभाग में एक राजभाषा अनुभाग कायम किया गया है, जो मंत्रालय एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मंत्रालय के अधीनस्थ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की राजभाषा नीति के सम्यक् कार्यान्वयन के काम को देखता है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का कार्य भी इस अनुभाग को सौंपा गया है और यह अनुभाग राजस्व विभाग के अपर सचिव (प्रशासन) की देखरेख और नियंत्रण में कार्य कर रहा है।

2. उप प्रधान मंत्री (वित्त) हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति का पुनर्गठन फरवरी 1978 में हुआ है। अन्य मंत्रालयों में प्रवर्त्तमान परिपाटी के अनुरूप ही संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, मंत्रालय के सभी सचिव, उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक, दोनों केंद्रीय कराधान बोर्डों के अध्यक्ष तथा सरकार की दोनों बीमा निगमों के अध्यक्ष भी इस समिति के सदस्य हैं। साथ ही पांच सुप्रसिद्ध विद्वान् इस समिति के गैर सरकारी सदस्य हैं। राजस्व विभाग में अपर सचिव (प्रशासन) इस समिति के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करते हैं। समिति के पुनर्गठन के बाद इस की दो बैठकें हो चुकी हैं और प्रत्येक बैठक में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में पूरे मंत्रालय में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। यह समिति कार्यान्वयन कार्य में सुधार लाने के लिए समय-समय पर उपाय सुझाती है और समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का पूरा प्रयत्न किया जाता है।

3. समिति की दूसरी बैठक 16 अक्तूबर 1978 को हुई और इस बैठक में हुए एक निर्णय के अनुसार पूरे मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक मूल्यांकन समिति नियुक्त की गई है। यह मूल्यांकन समिति सुझाव देगी कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की खामियों को किस प्रकार दूर किया जाए और क्या-क्या सरल और सुगम व्यवस्था की जाए जिससे हिंदी का सरकारी काम में अधिकाधिक प्रयोग हो सके।

4. सारे वित्त मंत्रालय के लिए राजस्व विभाग के अपर सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक हिंदी साहित्य समीक्षा समिति भी बनाई गई है। यह समिति वित्त मंत्रालय तथा उसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के विभिन्न पुस्तकालयों द्वारा खरीदी जाने वाली हिंदी की पुस्तकों की समीक्षा करती है। इस समिति ने निर्णय किया है कि जिन जिन कार्यालयों में हिंदी अनुभाग है वहां पर सरल भाषा में और कुछ मोटे अक्षरों में छपी हिंदी पुस्तकें रखी जाएं, जिससे इन पुस्तकों का, वे अधिकारी लाभ उठा सकें जिनकी मातृ-भाषा हिंदी नहीं है अथवा जिन्हें हिंदी का ठीक से ज्ञान नहीं है। आशा है कि इन पुस्तकों को पढ़ने से उनके हिंदी ज्ञान में वृद्धि होगी।

5. राजस्व विभाग के राजभाषा अनुभाग ने सरकार की राजभाषा नीति की मुख्य-मुख्य व्यवस्थाओं को सार रूप में प्रकाशित किया है और इसे मंत्रालय के सभी विभागों तथा कार्यालयों को भेजा है। एक ही कागज पर छपा होने के कारण यह सारांश मार्गदर्शन के लिए टेबुल पर रखा जा सकता है।

मंत्रालय के सभी विभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनी हुई हैं और वे सम्यक् रूप से काम कर रही हैं। इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से होती हैं और उनके माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन के काम की समीक्षा करना भी आसान हो गया है।

6. मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में बनाए गए हिंदी अनुभाग भी प्रभावपूर्ण और संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं। ये अनुभाग अनुवाद तथा कार्यान्वयन संबंधी सारा काम संभालते हैं।

मुख्य मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग, सरकार द्वारा नियुक्त विशेष समितियों की रिपोर्टों का अनुवाद भी करते हैं और अभी हाल में ही राजस्व विभाग के हिंदी अनुभागों ने प्रत्यक्ष-करों के संबंध में नियुक्त चौकसी समिति की रिपोर्ट का भी अनुवाद किया है। अप्रत्यक्ष कर के संबंध में नियुक्त झा समिति की रिपोर्ट के पूर्वार्द्ध का अनुवाद भी हिंदी अनुभाग कर चुके हैं और उत्तरार्द्ध का भी किया जाएगा।

□ □ □

प्रयोजन मूलक हिंदी : प्रशिक्षण के संदर्भ में

—ना०ज० राव
उपनिदेशक (उत्तर)
हिंदी शिक्षण योजना

भारतवर्ष एक बहुभाषा भाषी देश है अतः उसकी सम्प्रेषण व्यवस्था किसी सम्पर्क भाषा की अपेक्षा रखती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में राष्ट्र की सभी भाषाओं को गौरवपूर्ण स्थान देते हुए उनमें सम्पर्क स्थापित करने के लिए तथा अखिल भारतीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है ।

यह राष्ट्र को राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से एक सूत्र में बांधने के काम में आने वाली प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है । स्वतन्त्रता के पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता था पर अब प्रादेशिक भाषाओं के सहयोग से हिन्दी के व्यवहार को बढ़ाया जा रहा है । हिन्दी भारतवर्ष की एक ऐसी भाषा है जो अपने क्षेत्रों के बाहर सबसे अधिक बोली समझी या प्रयुक्त की जाती है और सामाजिक, व्यावसायिक तथा लोक मनोरंजन आदि के लिए व्यावहारिक रूप से सर्वाधिक प्रचलित है ।

यद्यपि संविधान में हिन्दी को संघ की प्रमुख राजभाषा और अंग्रेजी को सहयोगी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है किन्तु इसके साथ-साथ संविधान ने सभी भारतीय भाषाओं की उन्नति और विकास को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी है । अतः भाषा शिक्षण भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक अंग बन गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हर स्तर पर हर प्रदेश में प्रादेशिक भाषा शिक्षा का माध्यम बन गई है । अंग्रेजी के हटने से बहुभाषीय माध्यम देश में तेजी से उभर रहा है । त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप हिन्दी को अब इस प्रकार विकसित और समृद्ध करना है कि उससे राजभाषा एवं सम्पर्क भाषा का प्रयोजन सिद्ध हो सके । हिन्दी क्षेत्रों में वह शिक्षा के माध्यम का कार्य तो करेगी ही साथ ही उसे अपने उन क्षेत्रों व हिन्दीतर क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं के साथ मिल कर एक प्रभावकारी प्रयोजन मूलक साधन या माध्यम के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाना है ।

किसी भी भाषा के दो पक्ष या प्रकार्य होते हैं, एक का सम्बन्ध हमारी संस्कृति के परिरक्षण एवं आनंदानुभूति से है तो दूसरे का संबंध हमारी सामाजिक आवश्यकता और जीवन की व्यवस्था से जुड़ा होता है । यह व्यक्ति परक होते हुए भी समाज सापेक्ष है और रोजमर्रा के कामकाज के लिए सम्प्रेषण का माध्यम है। भाषा का यही पक्ष या प्रकार्य प्रयोजन मूलक होता है ।

भारत में प्रयोजन मूलक हिन्दी के छः रूप हो सकते हैं :

पहला:—सामान्य हिन्दी जिसका उपयोग सामान्य संप्रेषण माध्यम के रूप में किया जा सकता है।

दूसरा:—प्रशासन की हिन्दी जिसकी शैली कार्यालयीन या आफीशलीज होगी।

तीसरा:—वाणिज्य व्यापार की हिन्दी या कामर्शलीज।

चौथा:—जनसम्पर्क की हिन्दी जिसकी शैली सामाजिक या सोशलीज होगी।

पांचवां:—तकनीकी हिन्दी जो तकनीकलीज होगी। और

छठा:—उच्च हिन्दी जो सामान्य साहित्य की शैली में होगी।

देश में सांस्कृतिक चेतना जागरण व साहित्यिक परम्परा के निर्वाह का कार्य प्रादेशिक भाषाएं तथा हिन्दी क्षेत्र में हिन्दी द्वारा हो सकता है क्योंकि वे सभी सौन्दर्यानुभूति एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संवाहक के रूप में पर्याप्त मात्रा में विकसित हैं। किन्तु जनजीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तथा शिक्षित समाज द्वारा उद्योग, तकनीक योजना, संगठन, व्यवस्था एवं प्रशासन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिन्दी को प्रयोजन मूलक हिन्दी की संज्ञा देनी चाहिए यही प्रयोजन मूलक हिन्दी अंग्रेजी के वर्तमान उस स्थान को भी लेगी जिसके माध्यम से आज देश की दो प्रतिशत जनता सामाजिक चेतना, लोक व्यवहार, उच्च शिक्षा और जीविकोपार्जन का कार्य कर रही है । अतः व्यावहारिक तथा प्रयोजन परक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त की जाने वाली हिन्दी को प्रयोजन मूलक हिन्दी कहा जा सकता है।

प्रयोजन मूलक हिन्दी संस्कृति या साहित्य का प्रतीक नहीं हो सकती । वह तो केवल कामकाज की भाषा होगी । भारत में राजभाषा एवं सम्पर्क भाषा के रूप में सदियों से अंग्रेजी प्रयुक्त होती रही हैं। अब अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित किया जा रहा है । इस वर्तमान संक्रांति काल में द्विभाषिकता की स्थिति कुछ समय तो रहेगी ही किन्तु जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माध्यम में संपूर्ण परिवर्तन करना आवश्यक है। साथ ही प्रयोजन मूलक हिन्दी का स्वरूप निर्धारित कर उसके प्रशिक्षण को व्यवस्था करना भी । भाषा प्रशिक्षण के दो दृष्टिकोण होते हैं । पहले में भाषा शिक्षण का उद्देश्य सामान्य और व्यापक होता है जिसमें उसके चार कौशलों को केन्द्र मानकर भाषा सिखाई जाती है और दूसरा प्रयोजन मूलक । प्रयोजन मूलक भाषा के प्रशिक्षण के उद्देश्य उसके विभिन्न रूपों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं—जैसे बोलने के लिए भाषा सिखाना, भाषा में निहित ज्ञान या साहित्य को पढ़ाने के लिए भाषा का शिक्षण अथवा उस में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक वाणिज्यिक या व्यापार के क्षेत्र में उपलब्ध ज्ञान की जानकारी के लिए भाषा का प्रशिक्षण। अतः विशिष्ट प्रयोजन के अनुरूप ही प्रशिक्षण की अलग-अलग योजनाएं तैयार की जानी चाहिए । प्रशिक्षण की प्रारंभिक अवस्था में हमें अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है : अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद तथा उससे संबंधित कार्यों को, प्रशिक्षण के लिए हमारी प्रथम आवश्यक कार्यों की सूची में शामिल करना होगा ।

संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम सूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा । इस प्रावधान के अनुसार प्रयोजन मूलक हिन्दी के प्रयोग के लिए कुछ ऐसे शब्द, वाक्य तथा वाक्यांश आदि व्यवहार रूपों को उभारना होगा जो राष्ट्र के स्तर पर देश को एक सूत्र में बांधें । इसके लिए हमें सामाजिक एवं भाषिक दोनों स्तरों पर हिन्दी का संविधान में स्वीकृत अन्य भारतीय भाषाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी करना आवश्यक होगा । व्यतिरेकी विश्लेषणों के परिणामस्वरूप प्रयोजन मूलक हिन्दी की प्रकृति को समझने में अच्छी सहायता मिलेगी।

प्रशिक्षण के लिए प्रयोजन मूलक हिन्दी का शैक्षिक व्याकरण तैयार करना बहुत जरूरी होगा इसके लिए पहले यह निश्चित करना होगा कि हम बताए गए 6 प्रयोजनों में से किस प्रयोजन के लिए हिन्दी प्रशिक्षण देना चाहते हैं ? प्रयोजन निर्दिष्ट करने पर प्रशिक्षण का प्रकार और स्वरूप निर्धारित करना होता है । उदाहरण के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या, अध्येता केवल बोलचाल के लिए हिन्दी सीखना चाहता है या वह हिन्दी में लिखने-पढ़ने की दक्षता भी चाहता है । क्या वह विदेशी है जो केवल यहाँ बाजार हाट व पर्यटन करने लायक हिन्दी का ज्ञान चाहता है अथवा वह यहां किसी विषय विशेष के अध्ययन के लिए हिन्दी सीखना चाहता है ? उसे कितनी तथा किस प्रकार की हिन्दी की शब्दावली और हिन्दी के वाक्य सांचों की आवश्यकता होगी जिससे उसका प्रयोजन सिद्ध हो सके आदि।

शिक्षण विधि और तकनीक भी प्रशिक्षण के व्यावहारिक रूप को नियंत्रित करते हैं । शिक्षण विधि में प्रत्यक्ष विधि और अनुवाद विधि का प्रयोग किया जाता है । प्रशिक्षण के तकनीकों में अभ्यास पुस्तिकाएं, टेप, भाषा प्रयोगशाला, प्रोग्राम लर्निंग आदि का समावेश होता है ।

प्रशिक्षण में शैक्षिक इकाइयों तथा पाठ नियोजनों का भी महत्वपूर्ण स्थान है । प्रयोजन मूलक हिन्दी के विभिन्न रूपों में प्रशिक्षण के लिए उसके अलग-अलग पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता है तथा उन्हीं के अनुसार वांछित भाषा के लिए व्याकरणिक तथ्यों का प्रस्तुतीकरण भी प्रशिक्षण के दौरान किया जाना चाहिए । अध्यापक आवश्यकतानुसार व्याकरण के नियमों से प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराता जाता है । इस समय वह प्रशिक्षणार्थी को ज्ञात भाषा के व्याकरणिक तथ्यों का भी उल्लेख कर समानता अथवा असमानता की ओर प्रशिक्षणार्थियों का ध्यान खींच दे तो भाषा सीखने में सरलता होती है । प्रयोजन मूलक हिन्दी के प्रशिक्षण की अवधि लम्बी नहीं हो सकती फिर भी समय निर्धारण करना होगा ।

प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग पाठ्य-सामग्री का निर्माण करना भी एक महत्वपूर्ण समस्या है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पिछले 20–25 वर्षों से प्रशासन, विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं व्यवसाय तथा पत्रकारिता आदि के क्षेत्रों में हिन्दी के क्रमशः अधिकाधिक उपयोग के कारण स्थिति तेजी से बदलती जा रही है । भारत सरकार के भूतपूर्व हिन्दी सलाहकार एवं राजभाषा विभाग के सचिव श्री रमाप्रसन्न नायक का मत है कि आज विश्वविद्यालयों में विशेषतया स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी की जो शिक्षा दी जा रही है, उससे विद्यार्थियों को आगे चलकर ऊपर बताए गए क्षेत्रों में काम करने के लिए कोई खास मदद नहीं मिलती । पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-सामग्री में आवश्यक परिवर्तन करने पर ही विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से निकलने वाले लोग इन क्षेत्रों में बखूबी काम कर पाएंगे इसलिए हिन्दी साहित्यपरक अध्ययन और प्रयोजन मूलक अध्ययन में सीमा रेखा खींचना आज की प्रमुख और जरूरी आवश्यकता है और तद्नुसार पाठ्य-सामग्री का निर्माण करना जरूरी है आज के नए-नए क्षेत्रों में हिन्दी का इस्तेमाल किए जाने के

कारण उसमें हजारों नई अभिव्यक्तियाँ और शब्द आते जा रहे हैं जिनका परम्परागत पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को कोई परिचय नहीं मिलता। हिन्दी साहित्य की शिक्षा और प्रयोजन मूलक हिन्दी भाषा की शिक्षा इन दोनों का भेद हमें स्पष्ट कर लेना है। प्रयोजन मूलक हिन्दी सरल और जनता की भाषा होगी जो शास्त्रीयता और क्लिष्टता से बहुत दूर होगी।

प्रयोजन मूलक हिन्दी का प्रशिक्षण आज के सन्दर्भ में बहुत आवश्यक होता जा रहा है क्योंकि प्रशासन आदि के क्षेत्र में हिन्दी जानने वालों की मांग हर दिन बढ़ती जा रही है लेकिन सरकार को अपने काम के आदमी नहीं मिलते। श्री नायक ने स्नातक और स्नात्तकोतर दोनों स्तरों पर हिन्दी भाषा प्रयोजन मूलक हिन्दी और हिन्दी साहित्य के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रमों की जोरदार सिफारिश की है। उनका सुझाव है कि इस प्रकार के पाठयक्रमों से जहां एक ओर हिन्दी साहित्य का अध्ययन पहले की तरह जारी रहेगा वहां दूसरी ओर नए क्षेत्रों में प्रवेश पाने वाले इच्छुक विद्यार्थियों को अपने पसन्द के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करने का मौका मिल सकेगा जिससे वे अध्ययन के बाद व्यवहार के क्षेत्रों में प्रवेश करने पर प्रशासन, विधि, व्यवसाय और ज्ञान, विज्ञान के नये नये क्षेत्रों में अपना काम बखूबी कर सकेंगे और बदलते हुए जमाने की नई आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे।

प्रयोजन मूलक भाषा के प्रशिक्षण में केवल भाषिक नियमों की ही दक्षता पर ध्यान नहीं दिया जाता वरन् भाषिक रूपों के व्यवहार परक और प्रयोजन मूलक नियमों में भी प्रशिक्षार्थी को दक्ष बनाना होता है क्योंकि इसका उद्देश्य भाषा व्यवहार में दक्ष बनाना है न कि भाषा के बारे में ज्ञान वर्धन करना।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रयोजन मूलक हिन्दी सिखाने के लिए दफ्तर के समय में हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था, हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत, देश के सभी बड़े बड़े नगरों में की गई है और उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखकर हाल ही में उसके पाठ्यक्रमों को नया स्वरूप प्रदान किया गया है। सरकार ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कर विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरी, प्रशासन, रक्षा आयुर्विज्ञान, कृषि आदि विषयों की तीन लाख से भी अधिक शब्दावलियां तैयार करवा दी हैं। इसी प्रकार राजभाषा (विधायी) आयोग ने 10 हजार अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी समानार्थी शब्दों की विधि शब्दावली भी प्रकाशित की है। शब्द कोशों के निर्माण के लिए भारत सरकार स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। स्कूली विद्यार्थियों के लिए 26 द्विभाषिक जेबी शब्द कोश बनाने की योजना भी है।

शिक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने प्रयोजन मूलक हिन्दी प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की है। इसी मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में अहिन्दी भाषा भाषियों के लिए हिन्दी शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम है तथा हिन्दी भाषा के विकास और प्रसार के लिए श्रेष्ठतम सुविधाएं है।

भारत सरकार के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो आदि द्वारा प्रशासनिक तथा सांविधिक साहित्य का हिन्दी अनुवाद किया जाता है। जून, 1975 से भारत सरकार ने एक स्वतन्त्र राजभाषा विभाग की स्थापना कर दी है। जिसका मुख्य कार्य सरकारी भाषा नीति को कार्यान्वित करना है। हिन्दी के प्रयोजन मूलक स्वरूप का विकास करने के लिए हिन्दी प्रचारक स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान अपेक्षित है। इनके सहयोग से हिन्दी के प्रयोजन मूलक रूप को शीघ्रातिशीघ्र उभरने का मौका मिलेगा। कार्यालयीन हिन्दी के लिए पारिभाषिक शब्द और शैली का प्रचार प्रसार करने में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् का भी बहुत बड़ा हाथ है और इस दिशा में उसके उपयोगी कम दाम वाले प्रकाशनों द्वारा प्रयोजन मूलक हिन्दी के विकास प्रचार और प्रसार में काफी सहायता मिली है।

□□□

[पृष्ठ 10 का शेष]

38. भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1950
39. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954
40. भारतीय पुलिस सेवा (विशेष रूप से भर्ती किए गए व्यक्तियों का वेतन) विनियम, 1960
41. भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन) नियम, 1954
42. भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की अन्तिम परीक्षा) विनियम, 1965
43. भारतीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठता विनियमन) नियम, 1954
44. भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) नियम, 1954
45. भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियम, 1961
46. न्याय निर्णयन कार्यवाहियाँ और अपील नियम, 1957
47. भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा (काडर) नियम, 1969
48. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (उच्च श्रेणी ग्रेड के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1966
49. संघ लोक सेवा आयोग (कर्मचारिवृन्द) विनियम, 1958

भारतीय जीवन बीमा निगम में हिंदी :

तब और अब

—हरिहरलाल श्रीवास्तव

4501 करोड़ रुपए का विशाल जीवन फंड एकत्रित करने वाले भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर जब हम नजर डालते हैं तो हमें बड़ा गर्व होता है। गर्व इसलिए है कि राष्ट्र कल्याण के लिए निगम ने गत 23 वर्षों में जो कार्य किया है वह प्रशंसनीय है । गर्व इसलिए भी कि राजभाषा के सम्मान और उपयोग के लिए मात्र तीन वर्षों में निगम ने जो कार्य किया, वह पिछले तेइस वर्षों में नहीं हुआ था । इस निगम की संरचना सितम्बर, 1956 में भारतीय संसद द्वारा हुई जो भारतीय जनता द्वारा बीमा में लगाए गए धन को और उनकी बचत को, राष्ट्र कल्याण संबंधी कार्यों में लगाने का उद्देश्य लेकर प्रारम्भ हुआ । निगम आज बड़ी तेजी से अपने उद्देश्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है । आज यह निगम अपनी पूंजी के 75 प्रतिशत से भी अधिक धन का उपयोग इन्हीं क्षेत्रों में कर रहा है ।

जिस गति से निगम सफलता प्राप्त कर रहा है, यदि निगम के लोग उससे संबंधित कामकाज राजभाषा हिंदी में करें तो सफलता की गति और बढ़ सकती है ।

इसमें संदेह नहीं कि भारतीय जीवन बीमा निगम में हिन्दी के उपयोग पर बल दिया जा रहा है । परन्तु खेद है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें जितना ध्यान इस ओर देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं ।

निगम में हिंदी के उपयोग पर एक छोटा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं । जिससे ज्ञात होगा कि मात्र तीन वर्ष के अन्दर निगम ने हिंदी के क्षेत्र में कितनी प्रगति कर ली है।

दिसम्बर, 1975 में निगम के कार्यालय में यदि हिन्दी में भी पत्र भेजा जाता था तो उसका उत्तर अंग्रेजी में मिलता था । यही नहीं, 1975 के दिसम्बर की बात है । मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम पर एक निबन्ध "जीवन की कसौटी जीवन बीमा निगम" प्रकाशित करने हेतु निगम के मध्य जोन द्वारा प्रकाशित हो रही पत्रिका 'नवज्योति' में भेजा जिसके प्रकाशन की स्वीकृति का उत्तर हमें अंग्रेजी में मिला । परन्तु आज उसी कार्यालय से सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में प्राप्त हो रहे हैं । इस तरह दो-तीन वर्षों के अन्दर ही निगम के कार्यालयों में तेजी से हिन्दी में कामकाज होने लगा है । यही नहीं लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता भी बढ़ती जा रही है ।

एक युग था जब निगम का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी अंग्रेजी का ही अधिक उपयोग करता था । भारतीय जीवन बीमा निगम में शायद ही कोई फार्म हिंदी में रहा हो । व्यक्ति हिंदी में कार्य करने की रुचि रखते हुए भी अंग्रेजी में कार्य करने के लिए विवश था । आज समय बदल चुका है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम का अब शायद ही कोई ऐसा फार्म होगा जो हिंदी में उपलब्ध न हो।

भारतीय जीवन बीमा निगम के केन्द्रीय कार्यालय से निगम संबंधी समाचार की एक मासिक पत्रिका "योगक्षेम" प्रकाशित होती है जिसकी स्थिति आज से तीन वर्ष पहले यह थी कि उसमें एक शब्द भी हिंदी का हमें नहीं मिलता था, जिसके कारण हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में उसका कोई महत्व नहीं था ।

परन्तु अब वह स्थिति बदल चुकी है । अब बराबर योगक्षेम पत्रिका में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी निबन्ध प्रकाशित हो रहे हैं । इतना अवश्य है कि आज भी इस पत्रिका में अंग्रेजी का ही स्थान अधिक है जो नहीं होना चाहिए ।

हिंदी के विकास में छोटे-छोटे अवरोध

हिन्दी किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं रह गई है । वह पूरे देश की भाषा बन गई है । यह कटु सत्य है कि कोई

भी बड़ा कदम जब हम उठाते हैं तो उसे एक दिन में पूरा नहीं कर सकते । इसी प्रकार यह भी सत्य है कि भाषा और राष्ट्र एक ही दिन में नहीं बन जाते । आज जिस स्थिति में हिन्दी को लोग अपना रहे हैं उससे स्पष्ट है कि जिस कार्य को सौ साल में पूरा किया जाता था उसे अब दस साल में ही पूरा किया जा सकता है ।

भारतीय जीवन बीमा निगम हिन्दी को अधिकाधिक बढ़ाने के लिए बहुत कार्य कर रहा है, परन्तु इसमें छोटे-छोटे अवरोध के कारण हिन्दी को फलने फूलने में कठिनाई हो रही है । आज भी जब हम निगम के शाखा, मंडल या क्षेत्रीय कार्यालय में जाते हैं तो वहां बहुत सी छोटी-छोटी बातें जिसे आसानी से हिन्दी में लिखा जा सकता है अंग्रेजी में लिखा हुआ पाते हैं । जैसे––अभिकर्ताओं/विकास अधिकारियों की वरीयता सूची, सूचनापट्ट पर लिखी हुई सूचना, अभिकर्ताओं को भेजी जाने वाली सूचना, यही नहीं आज भी कार्यालय में कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी को अच्छी तरह जानते हुए भी अंग्रेजी में बात करते हैं । निगम के कार्यालयों में अंग्रेजी में जो पत्र सूचना आदि भेजने के लिए साइक्लोस्टाइल किए जा चुके हैं उन्हें अंग्रेजी क्षेत्रों में भेजकर वहां हिन्दी में पत्र के नमूने तैयार किए जाएं तो हिन्दी को बढ़ाने में और सुविधा प्राप्त होगी । इस प्रकार निगम को हानि भी नहीं होगी और हिन्दी के प्रति इसका अपना कर्तव्य भी पूरा हो जाएगा । राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने ठीक ही कहा था ––

"भाषाओं के क्षेत्र में हमारी जो स्थिति है, उसे मैंने समझा है और उसके आधार पर मैं कहता हूं कि यदि हमें अस्पृश्यता निवारण जैसे सुधार के लिए काम करना है तो हिन्दी का सर्वत्र ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह एक ऐसी भाषा है जिसे हमारे देश के 30 करोड़ लोगों में से 20 करोड़ लोग बोलते हैं और चूंकि हम सब अपने को भारतीय कहते हैं । इसलिए हमें ऐसा करने कहने का अधिकार है कि ये 30 करोड़ लोग 20 करोड़ लोगों की भाषा सीखने का प्रयत्न सहर्ष करें।" काश ! बापू की बात आज हमलोग चरितार्थ करते तो हम और अच्छे बन पाते । कार्यालयों में बैठे हुए अधिकारी लोग अपने मातहतों को यदि हिन्दी में आदेश देते तो अंग्रेजी के अपेक्षाकृत व उसे और अधिक समझ पाते क्योंकि हिन्दी उसकी अपनी भाषा, रोजमर्रा की भाषा, मातृभाषा और राजभाषा है। इसलिए वह जितना अपनी मातृभाषा को समझ सकता है अन्य भाषा को नहीं। यह आवश्यक नहीं कि सबकी मातृभाषा हिंदी ही है । ऐसी स्थिति में हिन्दी भाषा-भाषी के ऊपर विशेष जिम्मेदारी आ सकती है । उन्हें सदैव ध्यान रखना होगा कि हिन्दी अब केवल हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र की ही भाषा नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की भाषा बन गई है । इस स्थिति में जब दूसरी भाषा वाले लोग हिंदी बोलते हैं लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनसे भूल होना स्वाभाविक है। कदाचित वे लोग अपनी मातृभाषा के कुछ शब्द यदि हिन्दी में जोड़ दें तो इससे हमें घृणा नहीं बल्कि उनका आदर और सम्मान करना चाहिए । यह करने के बाद ही हम हिंदी को उसके वास्तविक रूप में पा सकेंगे।

जहां तक भारतीय जीवन बीमा निगम की बात है यह भारत के साथ-साथ विदेशों में भी जनता जनार्दन की सेवा में लगा हुआ है । निगम में हिन्दी की प्रगति सन्तोषजनक ढंग से हो रही है और आशा है निगम के लोग छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान दे दें तो निगम एक ऐसी संस्था हो जाएगी जिसे हिंदी में काम करने में अन्य कार्यालयों से अधिक सम्मान प्राप्त हो सकेगा, साथ ही निगम का और अधिक प्रचार-प्रसार भी हो सकेगा । □□□

[पृष्ठ 18 का शेष]

प्रशिक्षण का महत्व बहुत बढ़ गया है और उसी अनुपात में, हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है ।

उक्त पाठ्यक्रम का 20वाँ सत्र 3-10-78 को शुरू हुआ। इसमें देश के विभिन्न भागों से 30 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण में बहुत रुचि दिखाई और 90 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों ने अंतिम परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए । सभी प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए ।

इस सत्र के समापन के अवसर पर दीक्षान्त भाषण देने और प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए भारत सरकार के हिन्दी सलाहाकार और राजभाषा विभाग के सचिव, श्री रमाप्रसन्न नायक को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव, श्री मुनीश गुप्त ने की। श्री नायक ने प्रशिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रशिक्षण में, जैसा आजकल सरल भाषा के प्रयोग पर बल दिया जाता है और उसका अभ्यास कराया जाता है तथा अनेक विषयों की आधारभूत शब्दावली का ज्ञान कराया जाता है, वैसा ही गहन प्रशिक्षण चालू रहना चाहिए । उन्होंने प्रशिक्षण की अवधि कम करने की बजाय प्रशिक्षण को और उपयोगी बनाने पर बल दिया।

'क' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए वर्ष 1979-80 का कार्यक्रम

18 जनवरी, 1968, के भाषा नीति विषयक संकल्प के अनुसरण में संघ के सरकारी प्रयोजनों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिये, "क" क्षेत्र, अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए, वर्ष 1979-80 (31 मार्च, 1980 तक) का निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किया गया है। "ख" और "ग" क्षत्रों में वही कार्यक्रम लागू रहेंगे जो 1978-79 के लिए अनुमोदित किए गए थे।

1. निर्धारित प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाना:

उपर्युक्त कार्यालय यह सुनिश्चित करने का यत्न करें कि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रयोग किया जाए :—

(क) "क" क्षेत्र में स्थित किसी राज्य, संघ शासित क्षेत्र या कार्यालय (केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के अलावा) या व्यक्ति से पत्र व्यवहार के लिए हिन्दी का प्रयोग किया जाए। यदि अपवाद स्वरूप कोई पत्र अंग्रेजी में जारी किया जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद साथ भेजा जाए।

संदर्भ: राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 का नियम (3)(1)।

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग और "क" क्षेत्र में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच भेजे जाने वाले पत्रों में से दो तिहाई हिन्दी में हों। [नियम 4(ख)]

(ग) "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच (मंत्रालयों तथा विभागों को छोड़ कर) पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाए। [नियम 4(ग)]

(घ) "ख" क्षेत्र में स्थित किसी राज्य, संघ शासित क्षेत्र या कार्यालय (केन्द्रीय सरकार के कार्यालय को छोड़ कर) से सामान्यतः हिन्दी में पत्र व्यवहार किया जाए। यदि कोई पत्र उन्हें अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ हिन्दी में अनुवाद भेजा जाए। [नियम (3) (2)]

(ङ) हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाएँ। [नियम (5)]

(च) हिन्दी में दिए गए या हस्ताक्षर किए हुए, आवेदन, अपील या अभिवेदन के उत्तर हिन्दी में दिए जाएँ। [नियम 7(2)]

(छ) जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएँ। [नियम 10(4)]

(ज) जिन अधिसूचित कार्यालयों में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी काफी संख्या में है उन्हें नोटिंग, ड्राफ्टिंग तथा अन्य सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए। [नियम 8(4)]

(झ) "ज" में उल्लिखित कार्यालयों के अतिरिक्त, अन्य कार्यालयों में भी, अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

2. निर्धारित प्रयोजनों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाना :

(क) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। [राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3)]

(1) संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञप्तियाँ;

(2) संविदाएँ, करार, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञापत्र सूचनाएँ और निविदा प्रारूप;

(3) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज-पत्र।

(ख) निम्नलिखित प्रक्रिया साहित्य तथा स्टेशनरी आदि के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का ही द्विभाषिक रूप में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। [नियम-11]

(i) मैनुअल, संहिताएँ और अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में, यथास्थिति, मुद्रित किया जाए, साइक्लोस्टाइल किया जाए और प्रकाशित किया जाए।

(ii) फार्मों और रजिस्टरों के शीर्ष हिन्दी और अंग्रेजी में हों।

(iii) नाम-पट्ट, सूचना-पट्ट, पत्र-शीर्ष और लिफाफों पर छपे या उत्कीर्ण लेख तथा स्टेशनरी की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रजी में हों।

(ग) अखिल भारतीय स्तर के या "क" क्षेत्र में जारी किए जाने वाले विज्ञापन हिन्दी और अंग्रेजी के समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए एक साथ जारी किए जाएँ। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था प्रस्तावित है:—

(1) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय "क" क्षेत्र के कार्यालयों से विज्ञापन तभी स्वीकार करे जब विज्ञापन की सामग्री उसे हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाए।

(2) अन्य क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से यदि अपवाद के रूप में सामग्री केवल अंग्रेजी में स्वीकार की जाती हो, तो उसका हिन्दी रूपांतर निदेशालय स्वयं तैयार करे ताकि विज्ञापन हिन्दी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी हो सके।

3. "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के बीच तार देवनागरी में भेजना:

कार्यालयों से भेजे जाने वाले तार भी पत्र व्यवहार के अन्तर्गत आते हैं इसलिए पत्र व्यवहार के समान ही "क" क्षेत्र में उनका केवल हिन्दी में भेजा जाना अपेक्षित है। लेकिन, इस बारे में वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक दम से सभी तार हिन्दी में भेजना कठिन होगा। इसलिए, प्रस्ताव है कि वर्ष 1979-80 में "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के बीच भेजे जाने वाले तार कम से कम 25 प्रतिशत देवनागरी में हों।

4. हिन्दी (देवनागरी) टाइपराइटरों की व्यवस्था :

वर्ष 1979-80 के लिए "क" क्षेत्र के कार्यालयों के लिए निश्चय किया गया है कि:—

(क) जिन कार्यालयों में देवनागरी का एक भी टाइपराइटर नहीं है उन सभी कार्यालयों में देवनागरी का कम से कम एक टाइपराइटर खरीद लिया जाए। इसके लिए 1 जुलाई, 1979 तक खरीद का आर्डर दे दिया जाए।

(ख) जिन कार्यालयों में देवनागरी का एक या अधिक टाइपराइटर पहले से हैं, वे कार्यालय वर्ष 1979-80 में खरीदे जाने वाले कुल टाइपराइटरों के कम से कम 50 प्रतिशत टाइपराइटर देवनागरी के खरीदें।

(ग) विभिन्न कार्यालय देवनागरी टाइपराइटर खरीदने के अतिरिक्त, रोमन लिपि के उपलब्ध टाइपराइटरों में से कुछ को आवश्यकतानुसार देवनागरी लिपि के टाइपराइटरों में बदलवा लें।

5. अधीनस्थ सेवाओं तथा पदों के लिए की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग :

यह सुनिश्चित करने का यत्न किया जाए कि "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा अधीनस्थ सेवाओं और गैर-तकनीकी पदों के लिए ली जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र अनिवार्य रहते हुए भी शेष विषयों के प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने की छूट दी जाए। प्रश्न पत्र भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएँ।

6. प्रशिक्षण केन्द्रों में हिन्दी के वैकल्पिक माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था:

विभिन्न मंत्रालय, विभाग, निगम, उद्यम आदि अपने कर्मचारियों की भर्ती के बाद उनके लिए कुछ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाते हैं। ऐसे अधिकांश पाठ्यक्रमों में अभी तक अंग्रेजी के माध्यम से ही प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान राजभाषा नीति के अनुसार प्रस्ताव है कि इन प्रशिक्षणों के लिए वर्ष 1979-80 में "क" क्षेत्र में स्थित प्रशिक्षण केन्द्र हिन्दी माध्यम से भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें।

7. विभागीय परीक्षाओं में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का वैकल्पिक प्रयोग :

यह सुनिश्चित करने का यत्न किया जाए कि "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त अन्य प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएँ और उन प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने की छूट दी जाए।

8. कुछ विशिष्ट नगरों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सघन प्रयास :

प्रस्ताव है कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, देहरादून, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर, पटना, रांची, धनबाद, अम्बाला, हिसार और शिमला में स्थित कार्यालयों के कामकाज में हिन्दी का गहन रूप से प्रयोग किया जाए और इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। उपरोक्त नगरों के अतिरिक्त

जिन नगरों में केन्द्रीय सरकार तथा सरकार के नियंत्रणाधीन निगमों, उद्यमों आदि के 10 या अधिक कार्यालय हों, उन नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाए, उन्हें सक्रिय तथा प्रभावी बनाया जाए और हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाएँ ।

9. आदेशों, अनुदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जाँच बिन्दुओं (चेक प्वाइंटों) की स्थापना :

अक्सर देखा गया है कि राजभाषा सम्बन्धी अधिनियम, नियमों, आदेशों, अनुदेशों के उपबन्धों का, कार्यालयों में, समुचित अनुपालन नहीं हो पाता । इस व्यवस्था पर निगाह रखने के लिए सभी कार्यालयों में यथावश्यक जाँच-बिन्दु बनाए जाने चाहिए (इसके साथ इनकी सूची नमूने के लिए संलग्न है) । अनुरोध है कि वर्ष 1979-80 में सभी कार्यालय इस प्रकार के जाँच-बिन्दु बनाएँ और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करें जिससे राजभाषा सम्बन्धी आदेशों का उचित अनुपालन हो सके ।

10. कार्यालयों का निरीक्षण

अधिकारी जब दौरे पर जाते हैं तब उनके लिए यह आवश्यक होता है कि वे देखें कि अन्य आदेशों के समान राजभाषा सम्बन्धी अनुदेशों का अनुपालन किस सीमा तक किया जा रहा है । अक्सर मंत्रालय और विभाग इस प्रकार के निरीक्षण नहीं करवा पाते । सुझाव है कि वर्ष 1979-80 में प्रत्येक मंत्रालय विभाग "क" क्षेत्रों के कम से कम पाँच नगरों में स्थित अपने कार्यालयों का निरीक्षण करने का कार्यक्रम बनाएँ और इस बात का अध्ययन कराएँ कि वहाँ राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों, अनुदेशों तथा इस वार्षिक कार्यक्रम का किस सीमा तक अनुपालन किया जा रहा है । निरीक्षण के समय अधिकारी यह भी देखें कि नियमों और आदेशों आदि के उपबन्धों के अनुपालन पर निगाह रखने वाले जांच बिन्दु किस सीमा तक काम कर रहे हैं । निरीक्षण के दौरान देखी गई कमियों को दूर करने के लिए भी प्रभावी उपाय किए जाएँ ।

11. यह वार्षिक कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों विभागों, उनके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कंपनियों, निगमों, उपक्रमों तथा सरकार द्वारा नियुक्त आयोगों, समितियों तथा अभिकरणों और उनके कार्यालयों पर भी लागू होता है । (वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इसके अनुसार सभी सम्बन्धित कार्यालयों को समुचित अनुदेश जारी करें और जारी किए गए अनुदेशों को एक प्रति सूचना के लिए राजभाषा विभाग को भी भेजें ।)

राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन के लिए बनाए जाने वाले जाँच बिंदुओं की प्रस्तावित सूची

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वह राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के समुचित अनुपालन के लिये प्रभावकारी जाँच बिन्दु बनाएँ । कुछ जांच बिन्दु पहले से ही काम कर रहे हैं, जहां ऐसे जाँच बिन्दु नहीं बनाए गए हैं, वहां पर उन्हें बनाने की, और जहां पहले से हैं, उन्हें प्रभावकारी बनाने की आवश्यकता है ।

इस समय जो जाँच बिन्दु काम कर रहे हैं अथवा जो और बनाए जा सकते हैं उनका विवरण निम्नलिखित है :—

1. फार्मों, कोडों, मैनुअलों और गजट की सामग्री की द्विभाषी रूप में छपाई

निर्माण तथा आवास मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के प्रेस इस बात का ध्यान रखते हैं कि (क) भारत के गजट में छपने वाली अधिसूचनाएँ, नियम, संकल्प तथा (ख) कोड, मैनुअल फार्म तथा रजिस्टरों के शीर्ष आदि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हों । जो सामग्री इस प्रकार की नहीं होती उसे मुद्रण निदेशालय संबंधित विभाग को वापस कर देता है । इस प्रकार के जाँच बिन्दु भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के अधीन मुद्रणालयों के लिये बनाए जाने चाहिए, जिससे ऐसी सामग्री केवल अंग्रेजी में न छपे ।

2. देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद :

वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों और उनके अधीन कार्यालयों के लिये यह आवश्यक है कि वर्ष में खरीदे जाने वाले कुछ टाइपराइटरों में से निर्धारित प्रतिशत टाइपराइटर देवनागरी लिपि के खरीदें । पूर्ति और निपटान महानिदेशालय अपने यहां प्राप्त होने वाले इंडेंटों की जाँच करके यह देखता है कि क्या निर्धारित अनुपात में देवनागरी

टाइपराइटरों के आर्डर दिए गए हैं या नहीं । जो विभाग या उपक्रम अपने कार्यालयों के लिए टाइपराइटरों की खरीद पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की मार्फत नहीं करते और सीधे खरीद करते हैं, उन्हें भी इस प्रकार का जाँच बिन्दु बना लेना चाहिए । उनका जो अधिकारी टाइपराइटर खरीदने के लिए आर्डर देता है उसे भी खरीद करते समय यह देख लेना चाहिए कि क्या वर्ष के दौरान निर्धारित प्रतिशत के अनुसार देवनागरी लिपि के टाइपराइटर मँगाए जा रहे हैं ।

3. सामान्य आदेश आदि को द्विभाषी रूप में जारी करना:

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी सामान्य आदेश आदि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होने चाहिए । इसके लिये उस अनुभाग को, जहाँ परिपत्र आदि साईक्लोस्टाइल किए जाते हैं, जाँच बिन्दु बना दिया जाए और ऐसे परिपत्र जो सामान्य आदेश की परिभाषा में आते हैं तभी साईक्लोस्टाइल किया जाए जब उनका हिन्दी रूपांतर भी साथ हो । साथ ही जो अनुभाग परिपत्रों, आदि के प्रेषण का काम करता है, वही यह सुनिश्चित करे कि सभी प्रकार के परिपत्र तथा अन्य सामान्य आदेश हिन्दी में भी साथ-साथ जारी हो रहे हैं । विशेष परिस्थिति में यदि कोई सामान्य आदेश केवल अंग्रेजी में जारी करना आवश्यक हो तो उसके लिये पहले से निश्चित किसी उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाए । लेकिन ऐसे प्रलेखों का भी हिन्दी रूपांतर अधिक से अधिक एक सप्ताह में जारी कर दिया जाए ।

4. "क" तथा "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों को जाने वाले पत्र

प्रेषण अनुभाग को जांच बिन्दु बनाकर उनसे कहा जाए कि वे "क" क्षेत्र की राज्य सरकारों को जाने वाले पत्रों को प्रेषण के लिए तभी स्वीकार करें जब वे हिन्दी में हों या उनका हिन्दी अनुवाद साथ लगा हो । इन राज्यों को पत्र अंग्रेजी में भेजने की अनुमति देने के लिए किसी उच्च स्तर के अधिकारी को नामित किया जाए और वह अधिकारी देखे कि इस प्रकार की अनुमति विशेष परिस्थितियों में ही दी जाए, सामान्य रूप से नहीं ।

5. लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखना

प्रेषण अनुभाग को इसके लिये जाँच बिन्दु बनाया जाए कि "क" क्षेत्र को जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते देवनागरी लिपि में लिखे जाएँ ।

6. रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, साइनबोर्ड आदि द्विभाषी रूप में बनवाना

जो अनुभाग इन वस्तुओं को बनवाने का काम देखता है, उसके प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 1 1 में उल्लिखित वस्तुएं हिन्दी अंग्रेजी में अर्थात् द्विभाषी रूप में बनवाई जा रही हैं ।

7. सर्विस बुक में प्रविष्टियाँ

जिस अनुभाग में कर्मचारियों की सर्विस बुकों में प्रविष्टियाँ करने का काम होता है उसके प्रभारी अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों में काम करने वाले "ग" तथा "घ" श्रेणी के कर्मचारियों की सर्विस बुकों में की गई प्रविष्टियाँ हिन्दी में की जा रही है । इस बात की पड़ताल सर्विस बुक में प्रविष्टि करते समय या उस पर हस्ताक्षर करते समय कर ली जाए ।

8. हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देना

जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से कोई पत्र जारी होता है, उसकी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यदि पत्र हिन्दी में प्राप्त हुआ है तो उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाए ।

9. सामान्य जिम्मेदारी

राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जो पत्र, परिपत्र आदि हिन्दी में या हिन्दी-अंग्रेजी में जारी होने चाहिए या जो प्रलेख हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार हों, वे उसी रूप में जारी होते हैं यह देखने की जिम्मेदारी पत्र या प्रलेख पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की रहनी चाहिए। यदि हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी द्वारा इस बात में कोई चूक हो जाए तो उपर्युक्त जांच बिन्दु उस अधिकारी का ध्यान उस चूक की ओर आकर्षित करा देंगे, ताकि उसे तत्काल सुधार लिया जाए । जिन अधिकारियों के पास वैयक्तिक सहायक आदि नियुक्त हैं उनके सजग रहने से भी इस संबंध में सहायता मिल सकती है ।

○ ○ ○

विधि मंत्रालय की

हिंदी सलाहकार समिति

विधायी विभाग के 10 जनवरी, 1972 के संकल्प सं० एफ 4(1) 70 रा० भा० के अनुसरण में भारत सरकार ने 12 अप्रैल, 1978 को विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। समिति का कार्य निम्नलिखित विषयों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना है :—

(1) केन्द्रीय अधिनियमों और कानूनी नियमों का हिन्दी में अनुवाद ;

(2) सामान्य विधि शब्दावली का विकास ;

(3) विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा हिन्दी में देने के लिए हिन्दी में मानक पुस्तकों का निर्माण ;

(4) विधि पत्रिकाओं और रिपोर्टों का हिन्दी में प्रकाशन; और

(5) उपयुक्त विषयों से संबद्ध और आनुषंगिक विषय।

वर्तमान समिति का गठन इस प्रकार है :—

(1) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	अध्यक्ष
(2) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
(3) श्री भारत भूषण, संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
(4) लोक सभा के द्वारा नामित सदस्य	,,
(5) श्री जगदीश जोशी, संसद सदस्य, राज्य सभा	,,
(6) श्री कुंवर बहादुर अस्थाना, संसद सदस्य, राज्य सभा	,,
(7) श्री नवाब सिंह चौहान, संसद सदस्य, लोक सभा	,,
(8) श्री इस्माइल हुसेन खाँ, संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
(9) श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी, एडवोकेट, उच्चतम न्यायालय	,,
(10) श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी, भूतपूर्व सदस्य, राजभाषा (विधायी) आयोग	,,
(11) प्रो० रमाकान्त पाठक, अध्यक्ष हिन्दी विभाग मिथिला विश्वविद्यालय	,,
(12) डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी, वरिष्ठ एडवोकेट उच्चतम न्यायालय	,,
(13) श्री राजेश्वर प्रसाद, अध्यक्ष, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्	,,
(14) श्री जी० पी० नैने, सचिव, राष्ट्रभाषा समिति	,,
(15) डा० वेणीशंकर झा, नागरी प्रचारिणी सभा	,,
(16) सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य (पदेन)
(17) संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग	सदस्य (पदेन)
(18) सचिव, विधायी विभाग	सदस्य
(19) सचिव, विधि कार्य विभाग	,,
(20) सचिव, कम्पनी कार्य विभाग	,,
(21) सं० सचिव, विधायी विभाग	,,
(22) सं० सचिव, विधि कार्य विभाग	,,
(23) सं० सचिव, कंपनी कार्य विभाग	,,
(24) संयुक्त सचिव और प्रारूपकार विधायी विभाग (राजभाषा खंड)	सचिव

[18-11-78 को इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य हिन्दी संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करते हुए]

चित्र में दिखाई दे रहे हैं :—विधि मंत्री तथा समिति के अध्यक्ष श्री शांति भूषण, संयुक्त सचिव और प्रारूपक श्री ब्रजकिशोर शर्मा, सचिव, कम्पनी कार्य विभाग श्री कृष्ण मूर्ति, सचिव विधि कार्य विभाग श्री पी० बी० वेंकटसुब्रह्मण्यम्, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग श्री मुनीश गुप्त, सचिव विधायी विभाग श्री आर० वी० एस० पेरिशास्त्री, संयुक्त सचिव विधि कार्य विभाग श्री एन० एस० मेहता, संसद सदस्य श्री नवाब सिंह चौहान और हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य श्री शंभूनाथ चतुर्वेदी।

हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य गगन के एक ज्वल्यमान नक्षत्र थे। वे एक महान शिक्षा शास्त्री, प्रबुद्ध चिंतक, अप्रितम आलोचक और अद्वितीय कथाशिल्पी थे। उन्होंने हिन्दी साहित्य की जिन जिन विधाओं का स्पर्श किया उन्हें अपनी कुशल लेखनी से अत्यन्त लोकप्रिय बना दिया। वे एक उच्च कोटि के मनीषी और महामानव थे। उन्होंने विश्वविद्यालयों के साथ साथ अनेक सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को भी अपने पांडित्य और मार्ग दर्शन से लाभान्वित किया था। 1955 में स्थापित राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में उन्होंने हिन्दी के विकास और प्रसार के लिए अपना बहुमूल्य परामर्श दिया था। उनके निधन से हिन्दी जगत को अपार क्षति हुई है।

'राजभाषा भारती' उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक सम्वेदना प्रकट करती है।

हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए शील्ड देने की व्यवस्था

परिपत्र संख्या--1

सं० 11/12013/2/76-रा०भा०(क-2)

भारत सरकार

राजभाषा विभाग

कार्यालय ज्ञापन

नई दिल्ली, 6 फरवरी 1979

विषय : विभिन्न मंत्रयलयों/विभागों तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए शील्ड देने की व्यवस्था :

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय हिन्दी समिति ने यह निर्णय किया था कि मंत्रालयों और विभागों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक शील्ड रखी जानी चाहिए और राजभाषा विभाग की ओर से एक शील्ड उस मंत्रालय/विभाग को दी जानी चाहिए जिसमें हिन्दी में सबसे अधिक काम हुआ हो। राजभाषा विभाग की ओर से शील्ड देने के लिए कौन से मानदण्ड अपनाए जाएँ इस बारे में विचार करने के लिए, इस उद्देश्य के लिए बनाई गई समिति ने शील्ड देने के लिए प्रस्तावित सुझावों पर 1 सितम्बर, 1978 को हुई बैठक में विचार किया। विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि शील्ड देने के लिए कुल 100 अंक निर्धारित किए जाएँ और निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर मंत्रालयों/विभागों को अंक दिए जाएँ :—

क. मंत्रालय/विभाग के अधिकारियों द्वारा हिन्दी में काम **30 अंक**

मंत्रालय या विभाग के राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों में से जो अधिकारी हिन्दी में काम करते हैं, उनका, कुल अधिकारियों से प्रतिशतत्व लिया जाए और इसके लिए कुल 30 अंक रखे जाएँ। राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों के लिए अलग-अलग 15-15 अंक निर्धारित किए गए हैं।

ख. हिन्दी में पत्राचार **25 अंक**

मंत्रालय या विभाग द्वारा हिन्दी में जारी किए गए पत्रों की संख्या के, कुल पत्रों की संख्या से, प्रतिशतत्व के आधार पर अंक निर्धारित किए जाएँ। इस मद के अंतर्गत कुल 25 अंक निर्धारित किए गए हैं।

ग. प्रशिक्षण **15 अंक**

मंत्रालय या विभाग में वर्ष के दौरान हिन्दी में प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की संख्या और जिन कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना है उनके प्रतिशतत्व के लिए कुल 15 अंक निर्धारित किए गए हैं।

घ. हिन्दी (देवनागरी) टाइपराइटरों की व्यवस्था **10 अंक**

मंत्रालय या विभाग में वर्ष के दौरान खरीदे गए देवनागरी टाइपराइटरों की संख्या और उनका वर्ष के दौरान खरीदे गए कुल टाइपराइटरों से प्रतिशतत्व। इस मद के अन्तर्गत कुल 10 अंक निर्धारित किए गए हैं।

ङ. हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिकों की व्यवस्था **10 अंक**

मंत्रालय या विभाग में हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिकों की संख्या और कुल आशुलिपिकों से उसका प्रतिशतत्व। इस मद के लिए 10 अंक रखे गए हैं।

च. विविध **10 अंक**

ऊपर बताई गई मदों के अतिरिक्त, कुछ अन्य बातों, जैसे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें, कार्यशालाओं का आयोजन, इत्यादि के लिए भी 10 अंक रखे गए हैं।

2. राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों और विभागों से ऊपर बताए गए मानदण्डों के आधार पर जानकारी प्राप्त करेगा और जिस मंत्रालय या विभाग को वर्ष के दौरान इन मदों के अंतर्गत किए गए कार्यों के आधार पर सर्वाधिक अंक मिलते हैं उसे शील्ड देगा । यह शील्ड अचल होगी और उस मंत्रालय या विभाग के पास ही रहेगी । इसके अतिरिक्त हिन्दी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिए दो विशेष पुरस्कार देने की व्यवस्था भी की जाए । शील्ड देने के उद्देश्य के लिए मंत्रालय तथा मंत्रालय के प्रमुख विभागों को मंत्रालय के अंतर्गत ही माना जाएगा ।

3. मंत्रालय और विभाग अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में से जिस कार्यालय में हिन्दी का सबसे अधिक काम होता है उसे भी इसी प्रकार की एक शील्ड देंगे । इस शील्ड के लिए मंत्रालय और विभाग स्वयं मानदण्ड निर्धारित करेंगे । यदि वे चाहें तो राजभाषा विभाग द्वारा ऊपर निर्धारित किए गए मानदण्डों की सहायता ले सकते हैं और इनके आधार पर, आवश्यकतानुसार अपने मानदण्ड निर्धारित कर सकते हैं ।

4. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे ये अनुदेश अपने सभी संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में लाएँ ।

(विष्णु स्वरूप सक्सेना)
उप सचिव भारत सरकार

हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन केंद्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को प्रोत्साहन

संख्या 12014/1/78-रा०भा० (डी)
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
नई दिल्ली 110001, दिनांक 14 फरवरी, 1979
25 माघ, 1900

कार्यालय ज्ञापन

विषय:—हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को प्रोत्साहन—एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन की स्वीकृति

उपर्युक्त विषय पर मुझे इस विभाग के तारीख 2 सितम्बर, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12014/2/ 6-रा० भा० के पैरा-1 (1) की ओर सभी मंत्रालयों और विभागों का ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है । संदर्भाधीन पैरे में यह कहा गया था कि राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर ही 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन दिया जा सकता है । इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि जून, 1978 या इसके बाद होने वाली प्राज्ञ परीक्षा में पास होने वाले राजपत्रित अधिकारियों को, अराजपत्रित कर्मचारियों की भाँति ही, केवल पास अंक प्राप्त करने पर भी 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा । वैयक्तिक वेतन के मंजूर किए जाने और अदायगी के बारे में निर्धारित अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । अराजपत्रित पद से राजपत्रित पद पर पदोन्नत होने पर तथा एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पद पर पदोन्नत होने पर, स्वीकृत किया गया वैयक्तिक वेतन, संबंधित अधिकारी को, बाकी बचे समय के लिए उसी दर से मिलता रहेगा जो उसे उच्च पद पर पदोन्नत न होने की स्थिति में मिलता ।

2. ऊपर लिए गए निर्णय के आधार पर, यह भी निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा द्वारा नई दिल्ली में चलाए जाने वाले पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के बाद परीक्षा (जून, 1978 या उसके बाद) पास करने वाले राजपत्रित कर्मचारियों को भी उसी आधार पर एक वेतन-वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन 12 महीने की अवधि के लिए उन्हीं शर्तों और नियमों के अनुसार मिलेगा, जिन के अनुसार वह हिन्दी प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर देय होगा ।

3. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा विभाग के कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

ये आदेश वित्त मंत्रालय के तारीख 23-1-1979 की अनौपचारिक टिप्पणी संख्या 261-डब्ल्यू आर वित्त-1/79 के अधीन प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे हैं । यह कार्यालय ज्ञापन सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

हस्ता०/-
(आर० के० बंसल)
उप सचिव, भारत सरकार

हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण

हिंदी के संघ और कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप तथा देश के भीतर और बाहर हिंदी सीखने वालों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो जाने के कारण हिंदी वर्तनी की मानक पद्धति निर्धारित करना बहुत आवश्यक और कालोचित जान पड़ा ताकि हिन्दी शब्दों की वर्तनियों में अधिकाधिक एकरूपता लाई जा सके। तदनुसार शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 1961 में हिंदी वर्तनी की मानक पद्धति निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की।

समिति की चार बैठकें हुईं जिनमें गंभीर विचार-विमर्श के बाद वर्तनी के संबंध में एक नियमावली निर्धारित की गई। समिति ने तदनुसार अप्रल, 1962 में अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत कीं जो सरकार द्वारा अनुमोदित रूप में नीचे दी जा रही हैं :–

(1) हिंदी के विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अतिरिक्त सभी प्रसंगों में प्रातिपदिक से पृथक् लिखे जाएं, जैसे, राम ने, स्त्री को, मुझको। परन्तु प्रेस की सुविधाओं को ध्यान में रखकर, पत्र-पत्रिकाओं में संज्ञादि शब्दों में भी विभक्तियां मिलाने की छूट रहे।

अपवाद:– (क) सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति चिह्न हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक् लिखा जाए ; जैसे, उसके लिए, इनमें से।

(ख) सर्वनाम और विभक्ति के बीच "ही" "तक" आदि का निपात हो तो विभक्ति को पृथक् लिखा जाए ; जैसे आप ही के ही लिए, मुझ तक को।

(2) संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं पृथक्-पृथक् लिखी जाएं; जैसे पढ़ा करता है, आ सकता है।

(3) 'तक' 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक् लिखे जाएँ ; जैसे आपके साथ, यहाँ तक।

(4) पूर्वकालिक प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए ; जैसे, मिलाकर, खा-पीकर, रो-रोकर।

(5) दृवदव समास में पदों के बीच में हाइफ़न रखा जाए ; जैसे, राम-लक्ष्मण, शिव-पार्वती-सवाद।

(6) सा, जैसा आदि से पूर्व हाइफ़न रखा जाए ; जैसे, तुम-सा, राम-जैसा, चाकू-से-तीखे।

(7) तत्पुरुष समास में हाइफ़न का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं – जैसे भू-तत्व, रामराज्य।

(8) जहां श्रुतिमूलक य-व का प्रयोग विकल्प से होता है वहां न किया जाए, अर्थात किए-गये, नई-नयी हुआ-हुवा आदि में से पहले (स्वरात्मक) रूपों का ही प्रयोग किया जाए। यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों में माना जाए।

(9) हिंदी में ऐ (ै), औ (ौ) का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की ध्वनियां "है" 'और' आदि में हैं तथा दूसरे प्रकार की 'गवैया' 'कौवा' आदि में। इन दोनो ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं (चिह्नों (ै, ौ; ओ, ो) का प्रयोग किया जाए 'गवय्या' 'कव्वा' आदि संशोधनों की आवश्यकता नहीं।

(10) संस्कृतमूलक तत्सम शब्दो की वर्तनी में सामान्यत: संस्कृत रूप ही रखा जाए परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हलंत चिह्न लुप्त हो चुका है उनमें उसको फिर से लगाने का यत्न न किया जाए जैसे, 'महान', 'विद्वान' आदि में।

(11) जहां पंचमाक्षर के बाद उसी के वर्ग के शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो वहां अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाए ; जैसे, अंत, अन्य, गंगा, बाङ्मय ; संपादक, साम्य, सम्मति।

(12) चंद्रबिंदु के बिना प्राय: अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है, जैसे हंस, हँस ; अंगना, अँगना आदि में। अतएव ऐसे भ्रमों को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए किंतु जहां चंद्रबिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो ओर चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करे वहां चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग की भी छूट दी जा सकती है ; जैसे नहीं, में, मैं। परन्तु कविता आदि के ग्रथों में छंद की दृष्टि से चंद्रबिंदु का यथास्थान अवश्य प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार छोटे बच्चों की प्रवेशिकाओं में जहां चंद्रबिंदु का उच्चारण सिखाना अभीष्ट हो वहां

उसका यथास्थान सर्वत्र प्रयोग किया जाए ; जैसे, नहीं, में, मैं, नँद-नंदन ।

(13) अरबी-फ़ारसीमूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जाएँ, जैसे, जरूर । परन्तु जहां पर उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभीष्ट हो वहां उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाएँ, जिससे उनका विदेशीपन स्पष्ट रहे ; जैसे, राज़, नाज़ ।

(14) अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध विवृत 'ऑ' ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर 'आ' की मात्रा (ा) के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए (ऑ ॉ)।

(15) संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए ; जैसे, 'दुःखानुभूति' में । परन्तु यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा, जैसे 'दुख-सुख के साथी' ।

सोदाहरण व्याख्या

हिंदी एक विकासशील भाषा है । संघ की राजभाषा घोषित हो जाने के बाद यह शनैः शनैः अखिल भारतीय रूप ग्रहण कर रही है । अन्य भारतीय भाषाओं के संपर्क में आकर, उनसे बहुत कुछ ग्रहण करके और अहिंदी भाषियों द्वारा प्रयुक्त होते-होते हिंदी का जो अखिल भारतीय रूप विकसित होगा उसकी स्पष्ट कल्पना करना कठिन है ।

किसी भी विकासशील भाषा के शब्दों में अनेकरूपता होना स्वाभाविक है । ऐसी भाषा को कठोर नियमों में नहीं जकड़ा जा सकता और उसे बोलने या लिखने वालों को किसी ऐसे शब्द को जिसके दो या अधिक समानांतर रूप प्रचलित हो चुके हों, एक विशेष रूप में प्रयुक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । ऐसे शब्दरूपों के विषय किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्णय दे देने के बाद भी उनकी ग्राह्यता-अग्राह्यता के विषय में मतभेद बना ही रहता है ।

भाषा विषयक कठोर नियम बना देने से उनकी स्वीकार्यता तो संदेहास्पद हो ही जाती है, साथ ही भाषा के स्वाभाविक विकास में भी अवरोध आने का डर रहता है । फलतः भाषा गतिशील, जीवंत और सप्राण नहीं रह पाती ।

इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्तनी समिति ने वर्तनी विषयक नियम बनाने में बहुत उदारतापूर्ण नीति अपनाई है । मूल पुस्तिका में दिए गए नियमों को उदाहरण आदि के द्वारा यहां अधिक स्पष्ट किया जा रहा है :—

(1) पहला नियम स्पष्ट है । हिन्दी के विभक्ति चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रातिपदिक से पृथक् लिखे जाएंगे ; जैसे, राम ने, राम को, राम से आदि तथा स्त्री ने, स्त्री को, स्त्री से आदि । सर्वनाम शब्दों में ये चिह्न प्रातिपादिक के साथ मिलाकर लिखे जाएंगे ; जैसे, उसने, उसको उससे, उसपर आदि । इस नियम में जो छूट और अपवाद दिए गए हैं वे भी स्पष्ट हैं ।

(2) दूसरा नियम भी स्पष्ट है । कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं : जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा आदि ।

(3) तीसरे नियम को कुछ और उदाहरण देकर स्पष्ट करना आवश्यक है । हिंदी में आह, ओह, अहा, ऐ, ही, तो, सो, भी, न, जब, तब, कब, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ, कि, किंतु, मगर, लेकिन, चाहे, या, अथवा, तथा, यथा, और आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं । कुछ अव्ययों के आगे विभक्ति चिह्न भी आते हैं ; जैसे, अब से, तब से, यहाँ से, वहाँ से, सदा से आदि । नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक् लिखे जाने चाहिएँ ; जैसे, आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर कर दे, मुझे जाने तो दो, काम भी नहीं बना, पचास रुपए मात्र आदि । सम्मानार्थक 'श्री' और 'जी' अव्यय भी पृथक् लिखे जाएँगे ; जैसे, श्री श्रीराम जी, श्री कन्हैयालाल जी, महात्मा जी आदि ।

(4) परंतु समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय पृथक् नहीं लिखे जाएंगे, जैसे प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्र, निमित्तमात्र, यथासमय, यथोचित आदि । यह सर्वविदित नियम है कि समास होने पर समस्त पद एक माना जाता है । अतः उसे विभक्त रूप में न लिखकर एक साथ लिखना ही संगत है । यह सामान्य नियम मानते हुए भी समिति ने जहाँ भ्रम की गुंजाइश देखी वहां उसका निवारण करने के लिए 'हाइफ़न' का विधान किया है ।

(5) नियम 4-5 और 6 भी स्पष्ट हैं । 'हाइफ़न' का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है । द्वंद्व समास के अन्य उदाहरण हैं :—

देख-रेख, चाल-चलन, हँसी-मजाक, लेन-देन, पढ़ना-लिखना, खाना-पीना, खेलना-कूदना आदि ।

(6) नियम-7 के अनुसार तत्पुरुष समास होने पर समस्त पद में 'हाइफ़न' का प्रयोग केवल उसी स्थिति में करने का विधान है जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं । उदाहरण के लिए यदि 'भू-तत्व' (पृथ्वी-तत्व) समस्त पद में हाइफ़न का उपयोग न किया जाए तो उसके 'भूतत्व' (-भूत होने का भाव) पढ़े जाने की आशंका है, यद्यपि वर्तनी और अर्थ दोनों दृष्टियों से दोनों शब्द भिन्न हैं । सामान्य तत्पुरुष समासों में जैसे रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि में 'हाइफ़न' लगाने की आवश्यकता नहीं है ।

(7) आठवें नियम में श्रुतिमूलक य-व का वैकल्पिक प्रयोग न करने का विधान है । यह निषेध सभी शब्द-रूपों और स्थितियों के लिए किया गया है; जैसे दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक लिए हुए, नई दिल्ली आदि ।

(8) नवाँ नियम स्पष्ट है । दसवें नियम में संस्कृत-मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों का त्यों ग्रहण करने का निदेश है । अतः 'ब्रह्मा' को 'ब्रम्हा', 'चिह्न' को 'चिन्ह', 'उऋण' को 'उरिण' में बदलना उचित नहीं होगा । इसी प्रकार ग्रहीत दृष्टव्य, प्रदर्शिनी, कान्तिवान्, अत्याधिक, अनाधिकार आदि अशुद्ध प्रयोग ग्राह्य नहीं है । जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हलंत चिह्न लुप्त हो चुका है, उनमें उसे लगाने का प्रयत्न न किया जाए । हिंदी में महान, विद्वान आदि शब्दों में हलंत चिह्न लुप्त हो गया है, अतः उनमें फिर से हलंत लगाने की परिपाटी चालू न की जाए ।

(9) ग्यारहवाँ नियम पंचमाक्षर और अनुस्वार के प्रयोग के संबंध में है । जहाँ पंचमाक्षर के बाद उसी के वर्ग के शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो अनुस्वार का ही प्रयोग होना चाहिए । जैसे गंगा, संपादक, संध्या, धंधा आदि में पंचमाक्षर के वर्ग का ही वर्ण आगे आता है अतः पंचमाक्षर के स्थान में अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है । परंतु यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए अथवा वही पंचमाक्षर दोबारा आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा ; जैसे वाङ्मय, अन्य, सम्मति, चिन्मय, उन्मुख आदि । अतः वांमय, संमति, चिंमय, उंमुख आदि रूप अशुद्ध हैं ।

(10) चंद्रबिंदु के प्रयोग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके समिति ने आवश्यकतानुसार इसके प्रयोग का विधान किया है । नियम स्पष्ट है ।

(11) अंग्रेजी, अरबी और फारसी से हिंदी में आए हुए शब्दों और उनकी विशिष्ट ध्वनियों से संबंधित नियम-13 और 14 स्पष्ट हैं । जहां तक अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं से नए शब्द ग्रहण करने और उनके देवनागरी लिप्यंतरण का संबंध है, अगस्त-सितंबर 1962 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वैज्ञानिक शब्दावली पर आयोजित भाषाविद् सेमीनार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के देवनागरी लिप्यंतरण के संबंध में की गई सिफारिश उल्लेखनीय है । उसमें यह कहा गया है कि अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण इतना क्लिष्ट नहीं होना चाहिए कि उसके लिए वर्तमान देवनागरी वर्णों में नए संकेत-चिह्न लगाने की आवश्यकता हो जाए । अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण मानक अंग्रेजी उच्चारण के अधिक से अधिक निकट होना चाहिए । उसमें भारतीय शिक्षित समाज में प्रचलित उच्चारण संबंधी थोड़े बहुत परिवर्तन किए जा सकते हैं । अन्य भाषाओं के शब्दों के संबंध में भी यही नियम लागू होना चाहिए ।

हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके दो-दो रूप बराबर चल रहे हैं । विद्वत्-समाज में दोनों रूपों को एक-सी मान्यता है । फिलहाल इनकी एकरूपता आवश्यक नहीं समझी गई है । कुछ उदाहरण हैं :—गरदन/गर्दन, गरमी गर्मी, बरफ/बर्फ, बिलकुल/बिल्कुल, सरदी/सर्दी, कुरसी/कुर्सी, भरती/भर्ती, फुरसत/फुर्सत, बरदाश्त/बर्दाश्त, वापिस/वापस, आखीर/आखिर, एकाई/इकाई, बरतन/बर्तन, दोबारा/दुबारा आदि ।

(12) अंतिम नियम स्वतः स्पष्ट है । □□□

(केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 'हिंदी वर्तनी का मानकीकरण' से उद्धृत)

हिंदी कहाँ और कितनी ?

कर्मचारी राज्य बीमा निगम :

हिन्दी कार्यशालाएँ : मुख्यालय में 7, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली में 4 और क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर, पटना, चंडीगढ़, जयपुर और इन्दौर में 3-3 कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है । इस प्रकार अब तक कुल 26 कार्यशालाओं का आयोजन हो चुका है । प्रत्येक कार्यशाला में लगभग 20-25 प्रशिक्षार्थी होते हैं । अतः अब तक तृतीय श्रेणी के लगभग 600 कर्मचारी यह प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण देने के लिए कुछ पाठ तैयार किए गए हैं और उन्हें हिन्दी भाषी राज्यों के क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र को भी भेजा गया है ।

2. सारा काम हिन्दी में करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम : हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को सारा काम हिन्दी में करने के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुना गया है । यह काम मुख्यालय की देख-रेख में होगा । विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिक से अधिक अथवा पूरा कामकाज हिन्दी में करने के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, वह इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	सारा काम हिन्दी में करने के लिए निर्धारित अवधि
1.	क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान	जनवरी, 1979 से जून, 1979 तक
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार	जनवरी, 1979 से जून, 1979 तक
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश	फरवरी, 1979 से सितम्बर, 1979 तक

3. भर्ती/पदोन्नति परीक्षाओं में हिन्दी : फिलहाल निम्न श्रेणी लिपिक पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में गणित और सामान्य ज्ञान के पर्चों में और उच्च श्रेणी लिपिक पद के लिए विभागीय परीक्षा में, गणित के पर्चे में, हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति दे दी गई है । भविष्य में, ली जाने वाली उच्च श्रेणी लिपिक की विभागीय परीक्षाओं में कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कार्यविधि विषयक पर्चों में भी हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति दे दी जाएगी और बीमा निरीक्षक की परीक्षाओं में गणित और सामान्य ज्ञान के पर्चे में हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति देने के प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा ।

4. लाइब्रेरी पुस्तकें : पुस्तकालय के लिए हिन्दी की और अधिक किताबें खरीदी जा रही हैं । फिलहाल पुस्तकालय में हिन्दी की कुल 2280 पुस्तकें हैं ।

गांधी धाम रेलवे स्टेशन पर हिन्दी का कार्य :

यह स्टेशन गुजरात में अरब सागर के तट पर है । इस स्टेशन पर लगे हुए लगभग सभी साइन बोर्ड द्विभाषी रूप में लगाए गए हैं । सभी लेटर हेड, रबड़ की मोहरें हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की गई हैं । 'ख' क्षेत्र में होते हुए भी इस स्टेशन से 30 प्रतिशत से अधिक पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जा रहा है । हिन्दी भाषी क्षेत्रों के कार्यालयों को लगभग 40 प्रतिशत तक पत्र हिन्दी में भेजे जा रहे हैं । स्टेशन के अलावा यहाँ 18 रेल कार्यालय हैं । इनमें हिन्दी का इस्तेमाल काफी मात्रा में हो रहा है । बैगन फोरमेन के कार्यालय और सिगनल इंस्पेक्टर के कार्यालय में तो 1976 से ही काफी काम हिन्दी में होने लगा था । इन कार्यालयों के हाजिरी रजिस्टर, वेतन-बिल, गाड़ी परीक्षक की डायरी और पी० टी० ओ० हिन्दी में बनाए जा रहे हैं । मेडिकल विभाग तकनीकी विभाग है, लेकिन इसमें भी फरवरी, 1977 से ही बाहरी रोगियों का रजिस्टर, दवा की पर्चियाँ आदि हिन्दी में लिखी जा रही हैं । डीजल शैड में मासिक रिटर्न तथा ईंधन की खपत का रजिस्टर हिन्दी में रखा गया है । इस समय आरक्षण कार्यालय लगभग 80 प्रतिशत काम हिन्दी में कर रहा है । इसी तरह टिकट घर और पार्सल कार्यालयों में 60 प्रतिशत काम हिन्दी में हो रहा है । रेलवे सुरक्षा दल में भी काफी काम हिन्दी में हुआ है । पिछले 6 महीनों में 'क' और 'ख' क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों को कुल 3086 पत्र भेजे गए जिनमें से 1734 अर्थात् 60 प्रतिशत पत्र हिन्दी में भेजे गए ।

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड बैरास्पूल परियोजना :

नक्शों के शीर्षक, संकेत चिन्ह आदि को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखने से संबंधित 14 फरवरी, 1979 को समाप्त होने वाली तिमाही प्रगति

रिपोर्ट के अनुसार बैरास्यूल परियोजना में बनाए गए नक्शों की स्थिति :–

क्र० सं०	विवरण	संख्या
1.	15-11-78 से 14-2-79 तक की अवधि में तैयार किए गए कुल नक्शों की संख्या	35
2.	इनमें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए गए नक्शों की संख्या	14
3.	केवल अंग्रेजी में तैयार किए गए नक्शों की संख्या	21

इस परियोजना के कार्यालय में दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुई तिमाही के विवरण के अनुसार कुल 1350 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए जिनमें से 634 के उत्तर हिन्दी में तथा 27 के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए।

वेतन बिल, चेक तथा कैश बुक हिन्दी में तैयार होने लगे :

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में बताया गया कि इस उप-क्षेत्रीय कार्यालय में वेतन बिल तो हिन्दी में तैयार ही किए जा रहे हैं, साथ ही चैक और कैश बुक भी हिन्दी में भरी जा रही हैं।

क्या आप जानते हैं कि :—

अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के आधार पर हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि की गति क्रमशः 87.65 शब्द प्रति मिनट और 220 शब्द प्रति मिनट हैं। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की तरफ से आयोजित उन्नीसवीं हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता और सत्रहवीं हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के नाम नीचे दिए जा रहे हैं :—

हिन्दी टाईपिंग प्रतियोगिता :

प्रथम : श्री जगदीश चन्द्र करोड़ीवाल (इन्दौर केन्द्र)
गति 87.65 श० प्र० मि०

द्वितीय : श्री यशवंत गोपाल भोपटकर (इन्दौर केन्द्र)
गति 78.0 श० प्र० मि०

तृतीय : श्री सुरेन्द्र कुमार राखेचा (बीकानेर केन्द्र)
गति 69.3 श० प्र० मि०

हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता :

प्रथम : श्री गोपाल दत्त बिष्ट, (दिल्ली)
220 श० प्र० मि०

द्वितीय : श्री रामचन्द्र वीरवाणी (दिल्ली)
200 श० प्र० मि०

तृतीय : श्री मुकेश चन्द्र शर्मा (दिल्ली)
180 श० प्रति मि०

बैंकिंग प्रभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 20वीं बैठक के प्रमुख निर्णय

1. सभी बैंक अपने अंग्रेज़ी के गिफ्ट चैकों/ट्रैवलर चैकों के स्टाक की समीक्षा करें और सूचित करें कि वे कब तक समाप्त हो जाएँगे।

2. गिफ्ट चैक/ट्रैवलर चैकों के स्टाक होने पर भी इन्हें द्विभाषिक रूप में छपवा लिया जाए और 'क' क्षेत्र की शाखाओं में उपलब्ध कराया जाए।

3. गृह मंत्रालय उन स्थानों की सूची भेज दे जहाँ नगर राजभाषा समितियां बन चुकी हैं ताकि बैंक यह तय कर सकें कि उन स्थानों पर, बैंकों की ओर से प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होगा।

4. सभी बैंक आदि यह सुनिश्चित करें कि उनकी डायरियां/कैलेण्डर और की चैन आदि सभी भेंट वस्तुएं द्विभाषिक हों। (कृपया 1979 के लिए तैयार की गयी इस प्रकार की सारी सामग्री की समीक्षा प्रस्तुत कर दी जाए।)

5. यह सुनिश्चित किया जाए कि हिन्दी के पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए तथा जहां इस अपेक्षा की अवहेलना हो वहां, जरूरी हो तो, जिम्मेदार व्यक्तियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए।

6. सभी बैंक आदि अपनी सारी स्टेशनरी की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि वह सारी सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में हो। यदि अब भी अंग्रेजी की सामग्री का स्टाक मौजूद हो तो उस पर रबड़ की मोहर लगवाकर उसे द्विभाषिक करा लिया जाए।

7. यह सुनिश्चित किया जाए कि रबड़ की सभी मोहरें द्विभाषिक हों और 31 मार्च, 1979 के बाद उन्हीं का प्रयोग हो ; केवल अंग्रेजी की मोहरों का नहीं।

8. यह सुनिश्चित किया जाए कि सब मुद्राएँ (सीलें) द्विभाषिक हों।

9. फ्रैंकिंग मशीनों पर छपने वाली सामग्री द्विभाषिक करा ली जाए।

10. हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी शार्टहैंड सिखाने की गति तेज की जाए।

11. सामान्य आदेशों को राजभाषा अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार द्विभाषिक रूप में ही जारी किया जाए।

12. रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की जा रही बैंकिंग शब्दावली यथाशीघ्र प्रकाशित की जाए।

13. रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किया गया वार्षिक कार्यक्रम सभी बैंक आदि 31 मार्च, तक पूरा कर दें।

14. सभी बैंक आदि अपने फार्मों, रजिस्टरों आदि के अनुवाद/बाकी बचे हुए अनुवाद की समीक्षा करें और

31 मार्च, 1979 तक यह सूचित करें कि यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ।

15. सभी बैंक आदि यह सुनिश्चित करें कि 31 मार्च, 1979 तक 'क' क्षेत्र के कार्यालयों/शाखाओं में जनता से सम्पर्क के सभी फार्म (इनमें चैक, ड्राफ्ट आदि भी शामिल हैं) द्विभाषिक रूप में ही उपलब्ध होने लगें। केवल अंग्रेजी के फार्म आदि वहां से हटा लिए जाएं।

16. बैंक आदि में बहुत सा काम मानक मसौदों (स्टेंडर्ड ड्राफ्ट्स) के आधार पर ही होता है। इस प्रकार के मानक मसौदों का अनुवाद हिन्दी में तैयार कराकर, उन्हें 'क' क्षेत्र के कार्यालयों में सुलभ कर दिया जाए ताकि उनके आधार पर 'क' क्षेत्र के भीतर मूल रूप से हिन्दी के प्रयोग की सुविधा हो सके।

17. जनता से सम्पर्क के स्थानों पर 'क' क्षेत्र में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रों में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।

18. सभी बैंक आदि अपने फार्मों, रजिस्टरों आदि को द्विभाषिक रूप में छपाने के बारे में 31 मार्च, 1979 तक एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करें।

19. यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी फार्म आदि छपने/फिर छपने के लिए भेजे जाएं वे अनिवार्य रूप से द्विभाषिक रूप में हों।

20. 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में जहां जनता से सम्पर्क के फार्मों में हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषा के समावेश का निर्णय हो चुका है वहां यथावश्यक तालमेल बैठाकर तीनों भाषाओं का समावेश कर लिया जाए और जहां यह संभव न हो वहां हिन्दी-अंग्रेजी के द्विभाषिक फार्मों के साथ साथ अलग से उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाए।

21. बैंको में हिन्दी में अधिकाधिक काम करने के विषय में प्रति वर्ष एक प्रतियोगिता आयोजित हो और शील्ड दिया जाया करें। इसके लिए बनाई गई उप समिति के माध्यम से रिजर्व बैंक इस प्रतियोगिता का ब्यौरा तैयार करे।

22. इस प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण के समय सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों आदि का एक सम्मेलन भी बुलाया जा सकता है।

23. सभी बैंक आदि अपने निचले दफ्तरों के माध्यम से प्रत्येक कार्यालय से, इस बात की पुष्टि मंगाएं कि 'क' क्षेत्र के सभी साइन बोर्ड हिन्दी और अंग्रेजी में तथा अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी और अंग्रेजी में कर लिए गए हैं। केवल तमिलनाडु में यथास्थिति रहने दी जाए। काम में लाई गई दोनों अथवा तीनों भाषाओं के अक्षरों का आकार एक समान हो।

24. भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न संस्थाओं की उन योजनाओं का विवरण ज्ञात करें, जिनके अनुसार हिन्दी टाइप शार्टहैंड सीखने और उसका अभ्यास बनाए रखने पर एलाउंस दिया जाता है तथा इण्डियन बैंकर्स एसोसिएशन के परामर्श से बैंकों में भी इस प्रकार की योजना चालू करने पर विचार करें।

25. रिजर्व बैंक जो बैंकिंग उन्मुख (बैंकिंग ओरिएण्टेड कोर्स) तैयार कर रहा है। उसे 31 मार्च, 1979 तक अंतिम रूप दे दिया जाए ताकि बैंकों की ट्रैनिंग संस्थाएं इसे अपना सकें।

26. बैंकों आदि द्वारा चलाए जाने वाले ट्रैनिंग कोर्सों में, उन कोर्सों की अवधि को ध्यान में रखते हुए, हिन्दी सिखाने/हिन्दी में काम करना सिखाने/राजभाषा नीति के बारे में बताने का काम भी शामिल रखा जाए। बैंकों के ट्रैनिंग कालेजों/संस्थाओं में हिन्दी का अध्यापक भी शामिल रखा जाए और वह कम से कम एक लैक्चर रोज के हिसाब से ट्रैनिंग लेने वालों को उपर्युक्त प्रकार का हिन्दी ज्ञान दे।

27. रिजर्व बैंक, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स से सम्पर्क करके यह व्यवस्था करे कि इंस्टीट्यूट अपनी परीक्षाओं में हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम बनाए।

28. रिजर्व बैंक तथा स्वयं बैंकों के इंस्पेक्टर कुछ क्षेत्रों में निरीक्षणों के समय, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि को आमंत्रित कर लिया करें ताकि राजभाषा विषयक आवश्यकताओं को स्पष्ट करने और प्रगति को आंकने में सहायता मिले।

29. राजभाषा विभाग से अनुरोध किया जाए कि वह हिन्दी शिक्षण की दोनों ही नहीं तो कम से कम एक परीक्षा का समय तो एकाउण्ट-क्लोजिंग के समय को बचा कर रखने, और परीक्षा परिणाम को समय से घोषित करने के विषय में यथावश्यक कार्रवाई करें।

30. स्टेट बैंक आफ इन्दौर और स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर में उनके कार्य क्षेत्र को देखते हुए अधिकांश कार्य हिन्दी में हो सकता है। इस विषय में कार्रवाई की जाए। भारतीय स्टेट बैंक वर्कशाप आदि आयोजित करके इस कार्य में शीघ्रता लाने का प्रयास करें।

31. यह सुनिश्चित किया जाए कि राजभाषा कक्षों में हिन्दी अधिकारी के अतिरिक्त सहायक स्टाफ अर्थात् अनुवादक, हिन्दी स्टेनों, हिन्दी टाइपिस्ट आदि की भी समुचित व्यवस्था की जाए।

32. अधिकांश बैंकों की पास बुकें द्विभाषिक रूप में छप चुकी हैं। यदि ग्राहक मांग करें और स्टाफ सक्षम हो तो पास बुकें हिन्दी में भर कर दी जा सकती हैं। अलबत्ता, यह सुनिश्चित किया जाए कि इसमें भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूपों (अर्थात् अंग्रेजी अंकों) का ही प्रयोग किया जाए (बैंक आदि इस बात की पुष्टि करें कि उनकी पास बुकें द्विभाषिक रूप में छप चुकी हैं।) □ □ □

केंद्रीय सरकार के अधिसूचित मंत्रालय और विभाग

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) की व्यवस्था के अनुसार उन कार्यालयों के नाम जिनके 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, भारत सरकार के राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाना है । अब तक 40 मंत्रालयों/विभागों को अधिसूचित किया गया है । 35 मंत्रालयों/विभागों की सूची चौथे अंक में दी जा चुकी हैं। शेष 5 की सूची नीचे दी जा रही है :—

(36) रेल मंत्रालय (37) राष्ट्रपति सचिवालय (38) कोयला विभाग (39) विधायी विभाग (40) संघ लोक सेवा आयोग ।

इसी तरह अब तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 700 कार्यालयों को भी इस नियम के अनुपालन में अधिसूचित कर दिया गया है ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के उपनियम 4 के अनुसरण में अधिसूचित कार्यालयों का विवरण

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	विभिन्न समूह में कर्मचारी			कुल कर्मचारी	कर्मचारी को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान	प्रतिशत
		समूह I	समूह II	समूह III			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कार्यालय, निदेशक (विज्ञान), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण; 29, न्यू कैंट रोड, देहरादून	7	—	38	45	40	89 प्रतिशत
2.	कार्यालय, अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, विक्रमशिला, उत्खनन शाखा, पटना	1	—	10	11	11	100 प्रतिशत
3.	कार्यालय, अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण, मध्यपूर्वी मंडल, पटना	3	1	50	54	54	100 प्रतिशत
4.	कार्यालय, अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मध्यवर्ती मंडल, भोपाल	4	4	37	45	40	88 प्रतिशत
5.	कार्यालय, मुख्य कृषि उद्यान विशेषज्ञ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ताजमहल, आगरा	16	—	1	17	17	100 प्रतिशत

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	कार्यालय, सहायक अधीक्षक, पुरातत्व रसायनज्ञ, (रसायन शाखा) दिल्ली खंड, नई दिल्ली	—	1	3	4	4	100 प्रतिशत
7.	कार्यालय, अधीक्षण उद्यान विशेषज्ञ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उत्तर पश्चिमी खंड, सफदरजंग मदरसा, नई दिल्ली	—	1	37	38	35	92 प्रतिशत
8.	कार्यालय, अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भवन सर्वेक्षण परियोजना, सफदरजंग मदरसा, नई दिल्ली	1	—	7	8	7	86 प्रतिशत
9.	कार्यालय, अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पश्चिमी मंडल, बड़ोदरा	5	3	55	63	61	96 प्रतिशत
10.	कार्यालय, अधीक्षण पुरालेखविद्, अरबी और फारसी अभिलेख, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नागपुर	2	—	9	11	10	99 प्रतिशत

गृह मंत्रालय के अधिसूचित कार्यालय

गृह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालय जिनके कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है नियम 10 के उपनियम 4 के अधीन अधिसूचित किए गए :—

(1) आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली ;

(2) अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ;

(3) पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो, नई दिल्ली ;

(4) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली ;

(5) सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद ;

(6) भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त का कार्यालय, इलाहाबाद ;

(7) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर ;

(8) सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, नई दिल्ली ;

(9) कार्यालय महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, नई दिल्ली ।

भूल सुधार

इस पत्रिका के अक्तूबर, 1978 अंक में, श्री रामचन्द्र तिवारी का 'केन्द्रीय सरकार की पत्रिकाएँ' नामक एक लेख प्रकाशित किया गया है। इसके अंतर्गत पृष्ठ 32 पर उन्होंने यह लिखा है कि "यह (भगीरथ) पत्र पहले निकलता था । बीच में बंद होने के बाद अब इसका पुनः प्रकाशन आरम्भ हुआ है।" किन्तु भगीरथ पत्रिका के सहायक संपादक श्री राधाकांत भारती ने सूचित किया है कि यह तथ्य सही नहीं है। यह पत्रिका कभी बंद नहीं हुई।—संपादक

पाठकों की प्रतिक्रिया

'राजभाषा भारती' के अंक मिले। यह पत्रिका बहुत बड़ी कमी को पूरा कर रही है। इसकी आवश्यकता और उपादेयता के लिए जो कुछ कहा जाए कम है। इस महत्वपूर्ण कदम के लिए राजभाषा विभाग को हार्दिक बधाई।

—जगेश्वर प्रसाद सिंह, प्रशासनिक प्रबंधक,
इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, दूरवाणी नगर, बंगलौर।

** ** ** **

'राजभाषा भारती' का अंक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पत्रिका इतनी अच्छी एवं उपयोगी लगी कि इसे नियमित मँगाने की इच्छा होने लगी है। हमारे कार्यालय के कर्मचारियों के लिए प्रेरक सिद्ध होगी। सुन्दर संपादन के लिए मेरी बधाई स्वीकार करें।

—सतीश कविरत्न, पिल कोर्ट 111, महर्षि कर्वे रोड,
इंडियन रेयर अर्थस् लिमिटेड, बम्बई।

** ** ** **

आप द्वारा भेजी गई 'राजभाषा भारती' यथासमय प्राप्त हुई। पत्रिका के सुचारु रूप से प्रकाशन तथा राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए आपकी सेवाएँ प्रशंसनीय हैं।

—कृष्ण गोपाल,
संपादक, 'यूनेस्को दूत', नई दिल्ली

** ** ** **

'राजभाषा भारती' के तीनों अंक देखने को मिले। सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई स्वीकार करें।

—राम कृष्ण भारती, भूतपूर्व उप निदेशक,
हिन्दी शिक्षण योजना, जी-78, बाली नगर, नई दिल्ली।

** ** ** **

राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित 'राजभाषा भारती' नामक हिन्दी पत्रिका का दूसरा अंक हमें देखने को मिला था। निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के अवलोकन के लिए इसे समिति की तारीख 13-3-79 को हुई ग्यारहवीं बैठक में रखा गया। समिति के सदस्यों ने पत्रिका को देखकर खुशी व्यक्त की और इसे राजभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग तथा प्रगति के लिए उपयोगी बताया और नीचे लिखे सुझाव भी विचारार्थ प्रस्तुत किए:—

(1) नई हिन्दी सीखने वालों के पढ़ने योग्य बनाने के लिए इसे बड़े टाइपों में छापा जाए,

(2) नए शिक्षितों के पढ़ने योग्य पुस्तकों की सूची दी जाए, और

(3) हरेक वर्ष के हिन्दी के प्रयोग के बारे में निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम में से की गई प्रगति की जानकारी दी जाए।

—ल० राजगोपालन, सचिव (राजभाषा कार्यान्वयन समिति),
इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ोदरा (गुजरात)।

राजभाषा विभाग से प्रकाशित 'राजभाषा भारती' के जुलाई, 78 अंक और अक्तूबर, 78 अंक की प्रतियाँ मिलीं जिसके लिए अनेकानेक धन्यवाद। इस संदर्भ में यह बताना बहुत आवश्यक है कि 'राजभाषा भारती' में प्रकाशित साहित्य सरकारी कार्यालयों के लिए अत्यन्त लाभदायक, उपयोगी और सूचनात्मक है। इससे सभी कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम के नियमों और राजभाषा के प्रचार और प्रसार संबंधी सूचनाओं की जानकारी मिलती है।

डॉ० श्रीमती देवला मित्र, अपर महानिदेशक,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली

स मा चा र

हिंदी में सराहनीय कार्य के लिए नकद पुरस्कार

हिन्दी में सराहनीय कार्य करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के नीचे लिखे कर्मचारियों को 150 रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए :—

(1) श्री केशव प्रसाद, अनुरेखक (इंजीनियरिंग डिजाइन)

(2) श्रीमती महेंद्रजीत सूरी, प्रवर लिपिक (सिगनल अनुरक्षक)

श्री केशव प्रसाद द्वारा हिंदी में बनाए गए नक्शे बहुत ही सराहनीय रहे और श्रीमती सूरी ने विगत 2 वर्षों से अपना संपूर्ण कार्य कुशलता के साथ हिन्दी में संपन्न किया।

हिन्दी गोष्ठी का आयोजन

17-1-1979 को केरल के महालेखाकार के कार्यालय में एक सादे समारोह में कार्यालय के सर्वश्री के० शंकर मेनन और श्री निवासाचार्यन पोट्टी को जून, 1978 की प्रबोध परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होने पर नकद पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और कामकाजी हिन्दी के प्रयोग के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

राजभाषा वर्ष 1979

राजस्थान के महालेखाकार के कार्यालय में 1979 को राजभाषा वर्ष के रूप में मनाने तथा हिन्दी में सरकारी टिप्पणियां एवं प्रारूप लिखने का प्रशिक्षण देने के लिए 15 फरवरी, 1979 को एक समारोह का आयोजन किया गया। राजस्थान के वित्त मंत्री श्री आदित्येन्द्र इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए श्री एस० जयरामन, महालेखाकार, राजस्थान ने अपने भाषण में वर्ष 1979 को राजभाषा वर्ष के रूप में मनाने के संदर्भ में इस कार्यालय के महत्व का विवेचन किया। इस समारोह में राजभाषा नियम के अंतर्गत सरकारी पत्र व्यवहार आदि में हिन्दी की स्थिति, इस विषय में सरकारी आदेशों एवं अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदमों तथा राजभाषा वर्ष 1979 के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में उपलब्ध होने वाले प्रस्तावित लक्ष्यों के ऊपर प्रकाश डाला गया।

वित्त मंत्री ने कार्यशाला के मानक अभ्यसों के संकलन को जारी करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री ने महालेखाकार कार्यालय, जिसके क्रियाकलाप में उनकी अत्यधिक रुचि रही है, इस कार्यक्रम हेतु भेंट करने का अवसर प्रदान किए जाने पर अत्यन्त हर्ष व्यक्त किया तथा सरकारी मामलों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सर्वप्रथम ऐसा समारोह आयोजित करने तथा स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला स्थापित करने में उठाए गए व्यावहारिक कदम के लिए महालेखाकार महोदय को बधाई दी। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि निकट भविष्य में समस्त केन्द्रीय सरकार के कार्यालय एवं संस्थाएँ मिलकर ऐसे समारोहों का आयोजन करें तो यह हिन्दी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वित्त मंत्री ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया।

अखिल भारतीय वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह

31 मार्च, 1979 को सायं 6 बजे नई दिल्ली में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् की ओर से अखिल भारतीय वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों में देश के सभी भागों के और सभी भाषा वर्गों के स्त्री-पुरुष, उपस्थित थे, जिससे यह सिद्ध होता है कि हिन्दी को राष्ट्र के किसी क्षेत्र विशेष का नहीं, बल्कि राष्ट्र के सभी भागों का प्रेम और सहयोग प्राप्त है। परिषद के महामंत्री श्री जगन्नाथ तथा प्रतियोगिता मंत्री श्री जगदीश प्रसाद भट्ट ने परिषद के कार्यकलाप तथा प्रतियोगियों के बारे में प्रकाश डाला। इस अवसर पर बोलते हुए माननीय गृह मंत्री श्री एच० एम० पटेल ने कहा कि सरकारी कामकाज की हिन्दी सरल और सुबोध होनी चाहिए तथा दूसरी भाषाओं के आमफहम शब्दों को अपनाने में किसी तरह का संकोच नहीं किया जाना चाहिए।

राज भाषाओं का वर्ष

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब भारत का संविधान बनाया गया तो प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं के

प्रयोग की बात सोची गई थी। संविधान के अनुच्छेद 345 में यह प्रावधान किया गया है कि सभी राज्यों के विधान मंडल कानून बनाकर अपने प्रशासनिक कामों के लिए राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी एक अथवा अधिक भाषाओं को अथवा हिन्दी को उस राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार कर सकते हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ के राज-काज के लिए 1965 से हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया गया है और राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग की भी अनुमति दी गई है। अनुच्छेद 346 के अनुसार एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा किसी राज्य और संघ के बीच पत्राचार के लिए वह भाषा राजभाषा के रूप में काम में लाई जा सकेगी जो संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा हो।

2. राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय भाषाएं अपना यथोचित स्थान प्राप्त करें तथा सभी भारतीय भाषाएं समृद्ध हों। विभिन्न राज्यों में अपनी अपनी राजभाषाओं और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के संबंध में विचार विमर्श करने और तत्संबंधी समस्याओं का हल निकालने के लिए मार्च, 1978 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग सभी राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। इस सम्मेलन ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं जिनमें इस बात पर बल दिया गया था कि विधि तथा प्रशासन आदि के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों की राजभाषाओं का प्रयोग किया जाए और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। इस दिशा में किए जाने वाले प्रयत्नों में गंभीरता लाने की दृष्टि से एक सिफारिश यह की गई थी सन् 1978-79 को सारे देश में 'राजभाषा का वर्ष' के रूप में मनाया जाए। भारत सरकार ने इस सिफारिश पर विचार करने के उपरांत यह निर्णय लिया कि सन् 1979 को "राजभाषाओं का वर्ष" के रूप में मनाया जाए। जहां तक केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का संबंध है, यह तय किया गया कि इस वर्ष के दौरान केन्द्रीय हिन्दी समिति द्वारा अनुमोदित वर्ष 1979-80 के वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पूरी कोशिश की जाए। राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे उपर्युक्त सिफारिश को ध्यान में रखते हुए 'राजभाषाओं का वर्ष' के दौरान अपनी-अपनी राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग के लिए समुचित प्रयत्न करें।

3. इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए कई राज्यों में तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई है। केरल सरकार के मुख्य मंत्री ने 1-8-78 को अपने यहां राजभाषा वर्ष का उद्घाटन किया। केरल सरकार ने मलयालम को राज-भाषा के रूप में कार्यान्वित करने लिए एक पांच वर्षीय प्रोग्राम बनाया है जिसके अनुसार प्रत्येक मंत्री को एक-एक जिला सौंप दिया गया है ताकि संबंधित मंत्री उस जिले के सरकारी कामकाज में मलयालम के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए समुचित कदम उठा सकें। पांडिचेरी प्रशासन ने भी इस संबंध में एक योजना तैयार की है।

4. गुजराती को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए गुजरात सरकार ने एक विस्तृत प्रोग्राम तैयार किया है। गुजरात सरकार द्वारा राजभाषा वर्ष मनाने के संबंध में लिए गए निर्णयों और प्रस्तावों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

(क) गुजराती को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए विविध विषयों पर विचार करने के लिए सेमीनार का आयोजन ;

(ख) मुख्य मंत्री द्वारा सभी विभागों तथा वरिष्ठ अधि-कारियों से अनुरोध कि वे सरकारी कामकाज में गुजराती का प्रयोग करें ;

(ग) गुजराती के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए तरह तरह के चार्ट और विज्ञापन आदि प्रकाशित करना और उन्हें स्थान स्थान पर प्रसारित करना ;

(घ) एक ऐसी मोहर बनाने का प्रस्ताव जिस पर यह लिखा हो कि राज्य के पत्राचार में केवल गुजराती का ही प्रयोग करें ;

(ङ) यह मोहर सभी पत्रों पर लगाकर सबका ध्यान आकर्षित करते रहने का प्रस्ताव ;

(च) गुजराती भाषा के प्रयोग पर बल देने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों के विचार तथा उनके लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित करने का प्रस्ताव ;

(छ) राज्य सरकार द्वारा 'राजभाषा' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका के प्रकाशन का प्रस्ताव। प्रत्येक विभाग की ओर से अपने-अपने विभाग से संबंधित कम से कम 501 तकनीकी/प्रशासनिक शब्दों का एक संकलन तैयार करना ;

(ज) वर्तमान मार्गदर्शिका को संशोधित और परिवर्धित करके बृहद् रूप में प्रकाशित करने का प्रस्ताव ;

(झ) गुजराती में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार देने का प्रस्ताव ;

(ञ) यथास्थान सभी स्थानों पर गुजराती में नाम-पट्ट लगा दिए जाने का प्रस्ताव।

(ट) 1-5-79 को राजभाषा वर्ष के रूप में मनाया जाना।

5. हरियाणा सरकार द्वारा राजभाषा वर्ष के दौरान तरह-तरह के राजभाषा विषयक पोस्टर निकाले जा रहे हैं, सिनेमा घरों में स्लाइडें दिखाई जा रही हैं, हिन्दी को सरकारी कामकाज में आगे बढ़ाने के लिए तरह-तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करने का विचार है। जिला स्तर पर हिन्दी के प्रचलन को देखने के लिए जिला समितियां गठित की जा रही हैं।

6. राजस्थान सरकार ने भी अपने यहां राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए नीचे लिखे निर्णय लिए हैं :—

(क) हिन्दी न जानने वाले सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण दिलाना।
(ख) हिन्दी आशुलिपि संदर्भ सेवा प्रारंभ करना।
(ग) विभागों का नियमित रूप से सर्वेक्षण करना।
(घ) हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

7. बिहार सरकार ने 26-1-79 को अपने यहाँ राजभाषा वर्ष का आयोजन किया था। इसी तरह चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भी हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए समुचित कार्यवाई की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष समिति बनाई है। यह सरकार वर्ष के दौरान राज्य के मुख्य-मुख्य शहरों में इस संबंध में आयोजन करने जा रही है।

8. कुछ संस्थाएं भी राजभाषा वर्ष के दौरान राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में भाग ले रही हैं। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् की विभिन्न नगरों में स्थित शाखाएं, गोष्ठियाँ आदि आयोजित कर रही हैं। भारी इंजीनियरी निगम, राँची की देखरेख में हिन्दी परिषद् भारी अभियांत्रिकी निगम, राँची और बिहार स्थित केन्द्र तथा राज्य के सरकारी प्रतिष्ठान एवं बिहार प्रदेशीय हिन्दी सम्मेलन, राँची स्थित केन्द्रीय कार्यालयों में तरह-तरह के आयोजन कर रहे हैं।

9. इस तरह वर्ष, 1979 को 'राजभाषाओं का वर्ष' के रूप में मनाने के लिए राज्यों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों आदि में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।

[हरिबाबू, कंसल, उपसचिव, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत]

इंडियन एयरलाइन्स में हिन्दी के बढ़ते कदम :

इंडियन एयरलाइन्स में हिन्दी के प्रयोग को भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार आगे बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मुख्यालय में 19,20 और 21 फरवरी, 1979 को हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों के लिए पहली हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्यालय के विभिन्न विभागों के 23 कर्मचारियों के अतिरिक्त हैदराबाद और सभी क्षेत्रों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्य-सचिवों ने भाग लिया।

यह कार्यक्रम सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी विंग कमांडर एन० सी० शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन भारत सरकार (गृह मंत्रालय) के राजभाषा विभाग के उप सचिव श्री हरिबाबू कंसल ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री कंसल ने इंडियन एयरलाइंस के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि हिंदी में सरकारी कामकाज कर सकने वाले कर्मचारियों को सरकार की राजभाषा नीति से परिचित कराने और हिन्दी में काम करने की उनकी मौजूदा झिझक दूर करने के लिए ऐसी कार्यशालाएँ सभी स्थानों पर चलाई जानी चाहिएं। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार हिन्दी देश की राजभाषा है इसलिए हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों के लिए जरूरी हो जाता है कि वे अपने दनिक कामकाज में हिन्दी का प्रयोग शुरू करें। पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री प्रहलाद खन्ना ने इस अवसर पर इंडियन एयरलाइंस में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए प्रयत्नों को अनुकरणीय बताया और आशा प्रकट की कि इन प्रयत्नों से राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा।

हिन्दी में विधि की श्रेष्ठ पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कार

24 मार्च, 1979 को विधि मंत्री श्री शांति भूषण की अध्यक्षता में श्रीमती महादेवी वर्मा जी के कर कमलों द्वारा हिन्दी में विधि की श्रेष्ठ पुस्तकें लिखने के लिए नीचे लिखे अनुसार पुरस्कार दिए गए :—

लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	पुरस्कार की राशि
(1) न्यायमूर्ति श्री महावीर सिंह	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965	10,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार
(2) श्री दान सिंह चौधरी	भारतीय दंड संहिता	10,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार
(3) श्री शांति कुमार जैन	मध्य प्रदेश व्यवहार न्यायालय नियम	5,000 रुपए
(4) श्री ज्योति प्रसाद बंसल	राजस्थान परिसर (किराया तथा बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1950	5,000 रुपए

लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	पुरस्कार की राशि
(5) श्री विनायक शंकर चराटे	जमानतों का कानून	4,000 रुपए
(6) डॉ० धर्म चन्द्र जैन	साम्या न्यास एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष	3,000 रुपए
(7) डॉ० ना० वि० परांजपे	विधि शास्त्र तथा विधि के सिद्धांत	2,000 रुपए
(8) श्री गुलाब चंद जयनारायण गोयल	मध्य प्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम	2,000 रुपए
(9) डॉ० मुरली धर चतुर्वेदी	अपराध शास्त्र एवं अपराध प्रशासन	2,000 रुपए
(10) स्वर्गीय श्री घनश्याम शरण भार्गव	अपराध और अन्वेषण	2,000 रुपए

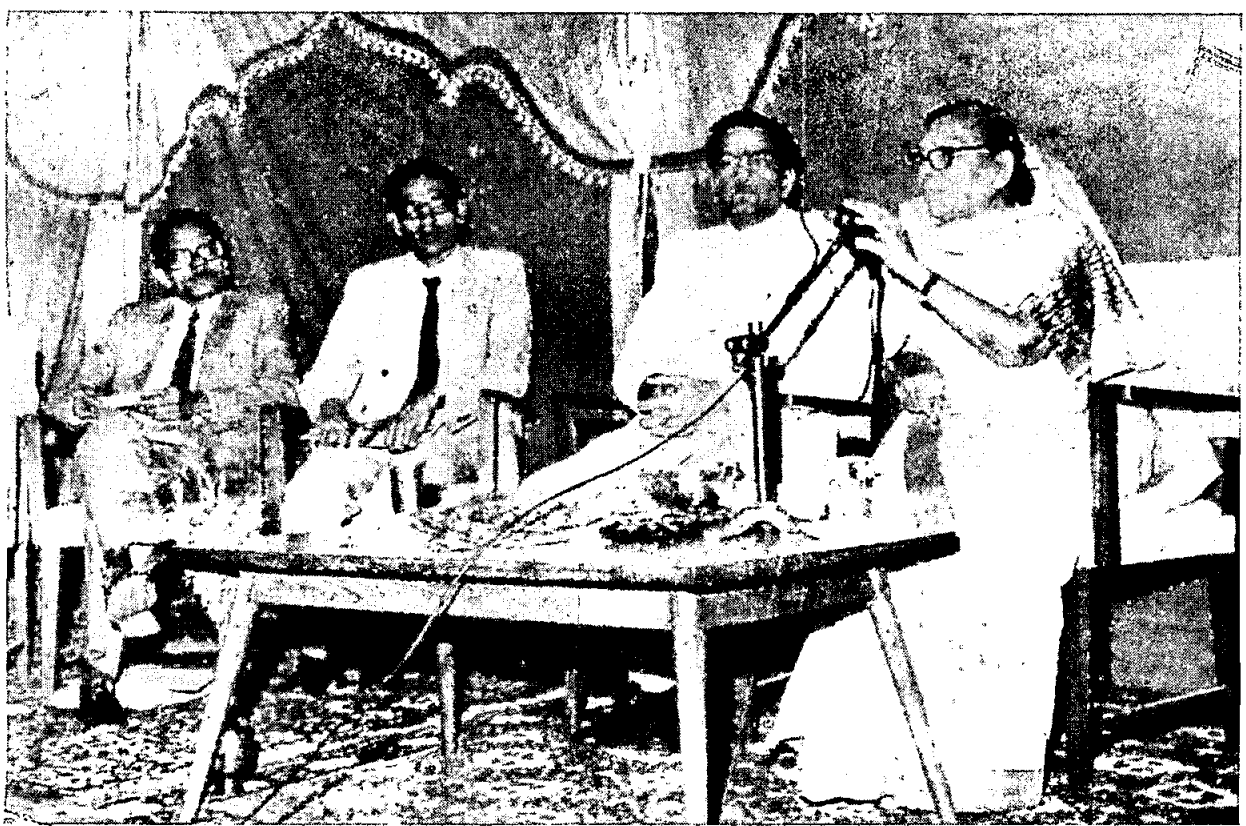

चित्र में दिखाई दे रहे हैं :—

मुख्य अतिथि श्रीमती महादेवी वर्मा, विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री, श्री शांति भूषण, और श्री दान सिंह चौधरी, सिविल जज रायगढ़, एवं श्री ज्योति प्रकाश वंसल, संयुक्त विधि परामर्शी, विधि विभाग, राजस्थान

राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशकों का पहला नवीकरण पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण

राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के लिए गठित पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर हिन्दी शिक्षण योजना के प्राध्यापकों तथा सहायक निदेशकों के प्रशिक्षण का कार्य केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा को सौंपा गया है। अभी तक संस्थान हिन्दी शिक्षण योजना के प्राध्यापकों के लिए 1976-77 में आगरा में चार प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन कर चुका है, जिसके अंतर्गत लगभग 140 प्राध्यापकों को भाषा शिक्षण की अधुनातन विधियों/प्रविधियों का परिचय दिया गया है। संस्थान ने सहायक निदेशकों के प्रशिक्षण कार्य को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया क्योंकि इससे पूर्व

संस्थान ने प्राध्यापकों के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन का कार्य करने वाले सहायक निदेशकों के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलाया था।

सहायक निदेशक प्रतिभागियों के कार्यकलाप को दृष्टि में रखते हुए पाठ्यक्रम में अध्यापन के लिए निम्नलिखित विषय निश्चित किए गए।

(1) हिन्दी भाषा की संरचना	18 घंटे
(2) व्यतिरेकी अध्ययन की तकनीक	12 घंटे
(3) हिन्दी शिक्षण की पद्धतियां और उद्देश्य (द्वितीय भाषा शिक्षण तथा संशोधित पाठ्यक्रम की सामग्री निर्माण के संदर्भ में)	18 घंटे
(4) अधिगम तथा मूल्यांकन	12 घंटे
(5) क-पर्यवेक्षण की पद्धतियां (सैद्धांतिक)	6 घंटे
ख-पर्यवेक्षण की पद्धतियां (योजना सापेक्ष)	6 घंटे
(6) पर्यवेक्षण सामग्री का निर्माण (योजना सापेक्ष)	6 घंटे
(7) क-मार्गदर्शन की विधियां (सैद्धांतिक)	6 घंटे
ख-मार्गदर्शन की विधियां (योजना सापेक्ष तथा शिक्षण व्यवस्था)	6 घंटे
(8) प्रशासनिक नियमावली (योजना सापेक्ष)	20 घंटे
(9) कार्यालयीन हिन्दी	22 घंटे
(10) विचार गोष्ठी तथा प्रसार व्याख्यान	22 घंटे

योजना सापेक्ष विषयों का अध्यापन राजभाषा विभाग के शैक्षिक सहयोग के अंतर्गत किया गया।

उपर्युक्त पाठ्यक्रम का शुभारम्भ 6 नवम्बर, 78 को हुआ जिसमें निम्नलिखित 12 सहायक निदेशक प्रतिभागी सम्मिलित हुए :—

1. संयुक्त निदेशक का कार्यालय	1. श्री सोहनमल लोढ़ा
2. उत्तर क्षेत्र	1. श्री आर० एल० शर्मा
	2. श्री आर० डी० कौशिक
3. दक्षिण क्षेत्र	1. श्री एस० सी० त्रिपाठी
	2. श्री राजबापाराव
4. पूर्व क्षेत्र	1. कु० गीता बनर्जी
	2. श्री रामकृष्ण शर्मा
	3. श्री नकुल राम मेघ
5. मध्य क्षेत्र	1. श्री जे० पी० जुगल
6. पश्चिम क्षेत्र	1. श्रीमती जे० बनर्जी
	2. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा
	3. श्री देवीलाल शर्मा

पाठ्यक्रम का प्रारम्भ संस्थान के निदेशक डा० गोपाल शर्मा के भाषण से हुआ। अपने भाषण के दौरान डॉ० शर्मा ने हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में सहायक निदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा संस्थान में तैयार किए गए संशोधित पाठ्यक्रम की सामग्री के सैद्धांतिक औचित्य पर प्रकाश डाला।

पाठ्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री मुनीश गुप्त ने 13-11-78 को किया। संस्थान के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक तथा शैक्षणिक संयोजक प्रो० रमानाथ सहाय ने संयुक्त सचिव का स्वागत किया और संस्थान की बहुमुखी गतिविधियों का परिचय दिया। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए अपने भाषण में राजभाषा विभाग के कार्यों में संस्थान के सहयोग की सराहना की तथा पाठ्यक्रम की सोद्देश्यता के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।

पाठ्यक्रम के प्रयोजन मूलक तथा योजना सापेक्ष संचालन की दृष्टि से प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया जानने के लिए पाठ्यक्रम के दौरान (दो सप्ताह तथा चार सप्ताह के बाद) दो आंतरिक पत्रक भरवाए गए। पांचवें सप्ताह में प्रतिभागियों से पाठ्यक्रम की व्यावहारिक उपयोगिता के विषय में चर्चा की गई। पाठ्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने इस संस्थान की भाषा प्रयोगशाला का अवलोकन किया और उसकी कार्यविधि के संबंध में क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त किया। पाठ्यक्रम के दौरान तथा प्रतिभागियों से प्राप्त मूल्यांकन पत्रकों तथा कक्षागत अंतःक्रियाओं से पता चला है कि इस पाठ्यक्रम से उनकी व्यावसायिक और शैक्षिक क्षमता में वृद्धि हुई है और वे शैक्षिक तथा प्रशसनिक पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के क्षेत्र में पहले से अधिक समर्थ हुए हैं।

9 दिसम्बर, 1978 को राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के तत्कालीन उप सचिव (हिन्दी) श्री राजकृष्ण बंसल की अध्यक्षता में तथा हिन्दी शिक्षण योजना के संयुक्त निदेशक श्री प्रयागनाथ चतुर्वेदी की उपस्थिति में उक्त पाठ्यक्रम का समापन समारोह सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि, आगरा विश्वविद्यालय के क० मुं० भाषा विज्ञान तथा हिन्दी विद्यापीठ के निदेशक, प्रो० विद्यानिवास मिश्र ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए तथा प्रयोजन मूलक पाठ्यक्रमों के निर्माण और संचालन में संस्थान की प्रशंसा की। उन्होंने भाषा के प्रश्न को अस्मिता के साथ जोड़ने का भी आह्वान किया। अंत में श्री बंसल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में पाठ्यक्रम की प्रयोजनमूलकता के प्रति विश्वास प्रकट किया तथा प्रतिभागियों से अपेक्षा की कि वे प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त नवीन जानकारी को अपने दैनिक कार्य में उपयोग में लाएंगें और हिन्दी सिखाने के कार्य को नई दिशा प्रदान करने में अपेक्षित सहयोग देंगे। उन्होंने आशा प्रकट की कि सभी सहायक निदेशक प्रतिभागी हिन्दी शिक्षण तथा पर्यवेक्षण संबंधी अधुनातन जानकारी से अपने कर्त्तव्यों को अधिक दक्षता से संपन्न करेंगे।

(डॉ० ठाकुरदास (रीडर),
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान द्वारा प्रस्तुत)

हिंदी राष्ट्रीय एकता की कड़ी है ।

□ □ □

यदि मैंने हिंदी का सहारा न लिया होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से केरल तक के गाँव-गाँव में जाकर मैं भूदान-ग्रामदान का क्रांतिपूर्ण संदेश जनता तक न पहुँचा सकता। यदि मैं मराठी भाषा का सहारा लेता तो महाराष्ट्र से बाहर और कहीं काम न बनता। इसी तरह अंग्रेजी भाषा लेकर चलता तो कुछ प्रांतों में तो काम चलता, परन्तु गाँव-गाँव जाकर क्रांति की बात अंग्रेजी द्वारा नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी भाषा का मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है, इसने मेरी बहुत बड़ी सेवा की है।

—आचार्य बिनोवा भावे

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी, द्वारा लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार, मुद्रणालय रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित